इग्नू
जन–जन का
विश्वविद्यालय

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंध विद्यापीठ

बी.टी.एम.सी.-132
प्रबंधन की बुनियादें

खंड

2

कंपनी निर्माण

इकाई 5
कंपनियों की प्रकृति और प्रकार 5

इकाई 6
कंपनी का गठन 35

इकाई 7
सीमानियम 55

इकाई 8
अन्तर्नियम 78

इकाई 9
प्रविवरण 97

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

पाठ्यक्रम निर्माण दल*

इकाई 1–4 (ई.सी.ओ. –01)	इकाई 5–9 (बी.बी.ओ.ई – 108)	इकाई 10–18 (ई.सी.ओ –03)
प्रो. पी.के. घोष दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	श्री विनोद प्रकाश (संपादक) मोती लाल नहेरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	प्रो. पी.के. घोष दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. नफीस बेग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	डॉ. डी.डी. कौशिक, मेरठ कॉलेज, मेरठ	डॉ. बी.पी. सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
डॉ. आर.एन. गोयल देशबन्धु कॉलेज (ई.) दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली	**संकाय सदस्य एस.ओ.एम.एस.** प्रो. आर.के ग्रोवर डॉ. मधु त्यागी (पाठ्यक्रम संयोजक)	श्री पी.एस प्रसाद इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
संकाय सदस्य एस.ओ.एम.एस. डॉ. आर.के ग्रोवर डॉ. एन.वी. नरसिम्हम डॉ. वी.वी. रेड्डी श्रीमती मधु बब्बर प्रो. जी. सांबशिव राव (भाषा संपादक)	**संशोधन दल** प्रो. जी.के.कपूर आई.एम.आई कुतुब इंस्टीट्यूट एरिया नई दिल्ली प्रो मधु त्यागी निदेशक, प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ, इग्नू (पाठ्यक्रम संयोजक एवं संपादक)	**संकाय सदस्य एस.ओ.एम.एस.**डॉ. आर.के ग्रोवर डॉ. एन.वी. नरसिम्हम सुश्री मधु सूर्या श्रीमान नवल किशोर डॉ. मधु त्यागी प्रो. जी. सांबशिव राव (भाषा संपादक)

* बी.टी.एम.सी–132 वाणिज्य अध्ययन विद्यापीठ(एस.ओ.एम.एस) के तीन पाठ्यक्रमों से लिया गया है जिनकें नाम इस प्रकार हैं **बी.सी.ओ.ई.–108, ई.सी.ओ.–01,** एवं **ई.सी.ओ.–03**

पाठ्यक्रम निर्माण एवं अनुकूलन दल

प्रो. जितेन्द्र श्रीवास्तव, निदेशक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम. **(अध्यक्ष)**
डॉ. पारोमिता शुक्लाबैद्या, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.
डॉ. सोनिया शर्मा, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.
डॉ. तांगजाखोम्बी अकोइजम, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.
डॉ. अरविन्द कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम. **(संपादक)**

कार्यक्रम संयोजक

डॉ. अरविन्द कुमार दुबे
सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.

पाठ्यक्रम संयोजक

डॉ. पारोमिता शुक्लाबैद्या, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.
डॉ. तांगजाखोम्बी अकोइजम, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.

खंड संयोजक और सम्पादक

डॉ. तांगजाखोम्बी अकोइजम, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम

संकाय सदस्य

प्रो. जितेन्द्र श्रीवास्तव, निदेशक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम. (अध्यक्ष)
डॉ. पारोमिता षुक्लाबैद्या, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.
डॉ. अरविन्द कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.
डॉ. हरकीरत बैंस, सह–प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.
डॉ. सोनिया शर्मा, सहायक प्राध्यापक, एस.ओ.टी.एच.एस.एम.
डॉ. तांगजाखोम्बी अकोइजम, सहायक प्राध्यापक

सामग्री निर्माण दल

श्री तिलक राज
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी.,इग्नू, नई दिल्ली

श्री यशपाल
अनुभाग अधिकारी (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी.,इग्नू, नई दिल्ली

वर्तनी शोधन
डॉ. सुरेश कुमार गोहे

टंकण सहायक
श्रीमती कौशल्या सैनी

सितम्बर, 2019
© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, 2019
ISBN : 978-93-89499-37-7
सर्वाधिकार सुरक्षित, इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (चक्र मुद्रण) द्वारा या अन्यथा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के मैदान गढ़ी नई, दिल्ली – 110068 स्थित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली की ओर से कुल सचिव एम.पी.डी.डी इग्नू द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।
लेज़र टाइपसेटर : टेसामीडिया एण्ड कंप्यूटर्स, सी–206, ए.एफ.ई.2, जामिया नगर, नई दिल्ली
मुद्रक : मैसर्स ए–वन ऑफसेट प्रिंटर्स, 5/34, कीर्ति नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली–110015 द्वारा मुद्रित।

खंड 2 कंपनी निर्माण

कंपनी रूप व्यवसाय संगठन का अधिक उचित व अत्यंत लोकप्रिय व्यवसाय संगठन हो गया है। इस प्रकार के संगठन में बड़ी संख्या में व्यक्ति अपना धन लगाते हैं जिन्हें ''शेयर धारक'' कहते हैं, जो देश व संसार के कोने-कोने से होते हैं। कंपनी के निर्माण के लिए और इसे अपना व्यवसाय आरम्भ करने के लिए कई प्रलेख बनाने होते हैं। इनमें मुख्य हैं : (i) सीमानियम, (ii) अन्तर्नियम और (iii) प्रविवरण।

यह खंड पाँच इकाइयों में विभक्त है। जिसमें कंपनियों की प्रकृति और प्रवर्तन की भूमिका, कंपनी के गठन की प्रक्रिया एवं महत्व, संस्था के ज्ञापन की सामग्री और कानूनी निहितार्थ, संस्था के लेख एवं प्रविवरण, ऐसी पाँच इकाइयाँ हैं।

इकाई 5 में कंपनी की प्रकृति, कंपनी और साझेदारी के बीच अंतर और गठित की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की कंपनियों के संबंध में बताया गया है।

इकाई 6 में कंपनी के गठन की प्रक्रिया तथा समापन के संबंध में बताया गया है इस प्रक्रिया की चार अवस्थाएं होती हैं– (i) प्रवर्तन, (ii) आवश्यक कागजातों को फाइल करना, (iii) निगमन (पंजीयन) और (iv) व्यवसाय का प्रारंभ और समापन।

इकाई 7 सीमानियम (Memorandum of Association) के बारे में है। इसमें सीमानियम का अर्थ, उद्देश्य एवं विषय-सामग्री के संबंध में तथा इसके विभिन्न खंडों में परिवर्तन करने की विधियों के संबंध में बताया गया है।

इकाई 8 में अन्तर्नियम (Articles of Association) का अर्थ, महत्व और विषय सामग्री के बारे में बताया गया है। इसमें परिवर्तन करने की विधि भी बतायी गयी है तथा सीमानियम और अन्तर्नियम के प्रभाव और प्रलक्षित सूचना का सिद्धान्त और आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धांत का भी वर्णन किया गया है।

इकाई 9 प्रविवरण (Prospectus) के संबंध में है। इसमें इसका अर्थ, उद्देश्य और विषय सामग्री स्पष्ट की गयी है। इसमें प्रविवरण में मिथ्या कथन की स्थिति में बचाव व पीड़ित पक्ष को उपलब्ध उपचारों का भी वर्णन किया गया है।

इकाई 5 कंपनियों की प्रकृति और प्रकार

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा

5.3 कंपनी बनाम निगमित निकाय

5.4 क्या कंपनी एक नागरिक है?

5.5 कंपनी की प्रमुख विशेषताएँ

5.6 निगमन का आवरण हटाना

5.7 कंपनी के प्रकार

  5.7.1 निगमन के आधार पर

  5.7.2 दायित्व के आधार पर

  5.7.3 नियंत्रण के आधार पर

5.8 पंजीकृत कंपनियों के अन्य प्रकार

  5.8.1 उत्पादक कंपनी

  5.8.2 एक व्यक्ति कंपनी

  5.8.3 लघु कंपनी

5.9 संस्था जिसका उद्देश्य ''लाभ'' नहीं है/धमार्थ उद्देश्यों वाली कंपनी का गठन (धारा 8)

5.10 अवैध संस्थाएं

  5.10.1 अर्थ

  5.10.2 अपवाद

  5.10.3 परिणाम

5.11 सारांश

5.12 शब्दावली

5.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.14 अभ्यास के लिए प्रश्न

5.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- कंपनी की परिभाषा दे सकें;
- कंपनी व निगमित निकाय में अंतर जान सकें;
- एक कंपनी की विशेषताएं बता सकें;
- ''निगमन का आवरण'' की संकल्पना को स्पष्ट के सकें;
- कंपनी और साझेदारी में भेद कर सकें;
- कंपनी व सीमित दायित्व साझेदारी का अन्तर बता सकें;

- विभिन्न प्रकार की कंपनियों का वर्णन कर सकें;
- संस्था जिसका उद्देश्य लाभ नहीं होता, का वर्णन कर सकें; और
- एक अवैध संस्था का वर्णन कर सकें।

5.1 प्रस्तावना

कंपनी अधिनियम 2013 की राष्ट्रपति की स्वीकृति 29 अगस्त को व 30 अगस्त 2013 को अधिसूचना हुई। इस में 470 धारायें व 7 अनुसूचियाँ हैं जबकि 1956 अधिनियम में 658 धारायें और 15 अनुसूचियां थी। अधिनियम में कंपनी के गठन, प्रबंधन और प्रशासन तथा अधिकरण (tribunal) द्वारा समापन के विस्तार से नियम दिये गये हैं। इसमें सीमानियम, प्रविवरण की परिभाषा, अंकेक्षक की नियुक्ति, वित्तीय विवरण, लेखा मानकों व अन्वेषण (investigation) के प्रावधानों में परिवर्तन किए गये हैं। इस इकाई में आप कंपनी की परिभाषा, कंपनी की विशेषताएं, साझेदारी व सीमित दायित्व साझेदारी में भेद और भारत में गठित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कंपनियों का अध्ययन करेंगे।

5.2 कंपनी का अर्थ एवं परिभाषा

कंपनी शब्द से तात्पर्य कुछ व्यक्तियों की एक सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों के लिए बनाई गयी एक संस्था से है। वास्तव में, व्यक्तियों की विविध प्रकार से उद्देश्यों के लिए सहयोग करने के इच्छा हो सकती है। इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक उद्देश्य दोनो है। लेकिन ''कंपनी'' शब्द का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब विभिन्न व्यक्ति आर्थिक उद्देश्य के लिए संगठित होते हैं अर्थात **एक व्यवसाय से लाभ अर्जित करने के लिए । इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी का गैर आर्थिक या पूर्त (परोपकारी) उद्देश्यों (charitable purposes) के लिए गठन नहीं किया जा सकता। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार गैर लाभ वाली संस्थायें कंपनी बन सकती हैं।**

साझेदारी फर्में प्रायः अपने को A,B,C एंड कंपनी की तरह कहती हैं। लेकिन ऐसा नाम देने के फर्म विधिक रूप में कंपनी नहीं बन जाती, यह नाम केवल इस बात को दर्शाता है कि इस संगठन में अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं।

विधिक शब्दावली में, एक कंपनी का अर्थ कंपनी अधिनियम 2013 या पहले के कंपनी अधिनियमों में से किसी अधिनियम में अन्तर्गत निगमित या पंजीकृत कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार कंपनी का अर्थ है, **इस अधिनियम के अन्तर्गत निगमित या पंजीकृत की गयी कंपनी या किसी पहले अधिनियम के अन्तर्गत** । लेकिन यह परिभाषा एक सम्पूर्ण परिभाषा नहीं है क्योंकि इससे एक कंपनी का अर्थ एवं विशेषताएं पता नहीं चलती। इसलिए हमें प्रसिद्ध न्यायधीशों द्वारा दी गयी कंपनी की परिभाषा देखनी होगी।

लार्ड जस्टिस लिंडले ने एक कंपनी की परिभाषा इन शब्दों में की हैः '' कंपनी से अभिप्राय उनके अनेक व्यक्तियों की संस्था से होता है जो किसी सामान्य स्टॉक (common stock) में अपना धन या उसके मूल्य की वस्तु लगाते हैं और उसका प्रयोग वे किसी व्यापार या व्यवसाय में करते हैं तथा उससे होने वाले लाभ या हानि (जैसे भी स्थिति हो) को आपस में बाँट लेते हैं। इस प्रकार बनाया गया सामान्य स्टॉक धन के रूप में होता है और इसे कंपनी की पूँजी कहा जाता है। जो लोग इसमें धन लगाते हैं और जो इसके स्वामी होते हैं उन्हें सदस्य कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य जिस अनुपात में इस पूँजी का स्वामी होता

है उसे उसका शेयर कहा जाता है। शेयर सदा ही हस्तांतरणीय होते हैं, हालांकि हस्तांतरणीयता के संबंध में कुछ न कुछ प्रतिबंध भी लगे होते हैं।''

एक अन्य परिभाषा **चीफ जस्टिस मार्शल** ने दी है। उनके अनुसार ''कंपनी वह व्यक्ति है जो कृत्रिम, अदृश्य और अमूर्त होती है तथा जो केवल कानून की नज़र में ही विद्यमान होती है। कानून द्वारा सर्जित होने के नाते इसमें केवल वे ही विशेषाताएं होती हैं जिसे इसे बनाने वाला चार्टर इसको देता है, स्पष्ट रूप से या इसके अस्तित्व के संदर्भ में।''

लार्ड हैने (Lord Haney) के अनुसार ''कंपनी एक निगमित संस्था है जो कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अपना अलग अस्तित्व होता है और जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सार्वमुद्रा (common seal) होती है।''

ऊपर दी गयी परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि कंपनी का एक सामूहिक व विधिक व्यक्तित्व होता है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका केवल विधिक अस्तित्व होता है। इसका एक स्वतंत्र विधिक अस्तित्व, एक सार्वमुद्रा और शाश्वत उत्तराधिकार होता है।

5.3 कंपनी बनाम निगमित निकाय

निगमित निकाय का अर्थ व्यक्तियों की संस्था से है जिसका किसी विधि के अन्तर्गत निगमन हुआ है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार, सार्वमुद्रा और अपने सदस्यों से पृथक विधिक अस्तित्व है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(11) के अनुसार निगमित निकाय की परिभाषा इस प्रकार है :

''निगमित निकाय'' या ''निगम'' के अंतर्गत भारत के बाहर निगमित कोई भी कंपनी है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं हैं –

i) सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी, और

ii) ऐसी कोई अन्य निगमित निकाय (जो इस अधिनियम में यथा परिभाषित कंपनी नहीं है) जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए।

निगमित निकाय दो प्रकार के हो सकते हैं :

i) एकक निगम (corporation sole)

ii) सामूहिक निगम (corporation aggregete)

एकक निगम एक निगमित निकाय है जो एक व्यक्ति से गठित है जो, किसी कार्यालय या कार्य के अधिकार के कारण, निगमित पद रखता है। एकक निगम के उदाहरण शाश्वत कार्यालयों में मिलते हैं जैसे राष्ट्रपति, गर्वनर, राज्यपद, मंत्री और पब्लिक ट्रस्टी। एकक निगम कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निगमित निकाय नहीं है। फिर भी यह कानूनी व्यक्ति है। इस नाते वह किसी कंपनी का सदस्य हो सकती है। स्टार टाईल वर्कस लिमिटेड बनाम एक गोविन्दन – **Star Tile Works Ltd v. N Govindan (1956)**। ''निगम समूह'' व्यक्तियों का एक समूह है जो आपस में जुड़े हैं, ताकि वे ''एक व्यक्ति'' का रूप लें जैसे लिमिटेड कंपनी, व्यापार संघ।

यहां पर यह ध्यान देना रोचक होगा कि भारत के बाहर पंजीकृत हुई कंपनी को ''निगमित निकाय'' की परिभाषा में शामिल करने से उस कंपनी पर कंपनी अधिनियम 2013 के काफी

प्रावधान लागू होते हैं जैसे धारा 380 के अनुसार विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने के लिए रजिस्ट्रार को कुछ दस्तावेज भेजने होंगे। 'निगम' या 'निगमित निकाय' शब्द कंपनी शब्द से व्यापक है। यहां पर जैसा कि ऊपर लिखा है कि कंपनी से अर्थ निगम समूह से है।

5.4 क्या कंपनी एक नागरिक है?

यद्यपि कंपनी एक कानूनी व्यक्ति (परन्तु कृत्रिम) है, फिर भी भारतीय संविधान या नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनी एक नागरिक नहीं है, **हैवी इन्जीनियरिंग मजदूर यूनियन बनाम स्टेट ऑफ बिहार (1969) (Heavy Engineering Mazdoor Union v State of Bihar (1969) स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाम सी.टी.ओ. 1963 (State Tranding Corporation Ltd v CTO (1963)** के केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निगम जिसमें कंपनी शामिल है उसे भारतीय संविधान के अन्दर नागरिक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को मिले हैं वो कंपनी को नहीं मिलते। फिर भी यह चाहे नागरिक है या नहीं उन मौलिक अधिकारों का संरक्षण मांग सकती है जो सब व्यक्तियों को मिलते हैं जैसे कि संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार।

Narasaraopeta Electronic Corporation Ltd v. State of Madras (1951) के वाद में उच्च न्यायलय ने कहा कि कंपनी जिसका भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमन हुआ है यदि वह संविधान की धारा 5 में ''नागरिक''की परिभाषा की शर्ते पूरी नहीं करती नागरिक नहीं है।

कोई कंपनी मौलिक अधिकारों की इस आधार पर मांग नहीं सकती कि यह नागरिकों का समूह है। जब कंपनी या निगम का गठन होता है, कंपनी या निगम का व्यापार नागरिकों का व्यापार नहीं होता बल्कि उस कंपनी या निगम का होता है जो निगमित हुई है और निगमित संस्था के अधिकार उस आधार पर देखने चाहिए, इस धारणा पर नहीं आंकना चाहिए कि वह अधिकार एक व्यक्तिगत नागरिक का है – उच्चतम न्यायालय **Telco Ltd v State of Bihar (1964)** के बाद में ।

यद्यपि कंपनी नागरिक नहीं है फिर भी उसके पास राष्ट्रीयता, अधिवास (domicile) व निवास स्थान है। उस देश और स्थान पर जहां इसका निगमन हुआ है वह उसकी निवासी व नागरिक (resident and national) है।

5.5 कंपनी की प्रमुख विशेषाएं

''कंपनी'' शब्द का विभिन्न विधिक व न्यायिक परिभाषाओं का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत गठित व पंजीकृत कंपनी की कुछ ऐसी खास विशेषताएं हैं जिनके कारण यह संगठनों के अन्य रूपों से भिन्न हैं। कंपनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1) **कानून द्वारा निर्मित (Creation of Law) :** कंपनी ऐसे व्यक्तियों की संस्था है (केवल एक व्यक्ति कंपनी छोड़कर) जो अस्तित्व में तभी आती है जब इसका पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है। निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 व सार्वजनिक कंपनी में 7 होनी चाहिए। एक कंपनी का गठन केवल एक व्यक्ति कर सकता है। (धारा 3)

2) **कृत्रिम व्यक्ति (Artifical Person) :** विधि की स्वीकृति द्वारा कंपनी का निर्माण होता है और वह अपने आप में मनुष्य नहीं है। इस कारण यह कृत्रिम है और क्योंकि इसके अपने अधिकार व दायित्व हैं, इसलिए व्यक्ति है। इसी कारण से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है।

3) **स्वतंत्र विधिक अस्तित्व (Separate Legal Entity) :** कंपनी उन व्यक्तियों से, जो इसके सदस्य हैं, पृथक है। साझेदारी में ऐसा नहीं है। धारा 9 के अनुसार पंजीकरण के बाद व्यक्तियों की संस्था उस नाम से जो नाम सीमानियम में दिया है एक निगमित निकाय बन जाती है। कंपनी की वैधानिक स्थिति की भारतीय उच्चतम न्यायलय ने **टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटव कं. लि. बनाम बिहार राज्य (Tata Engineering & Locomoitive Co. Ltd v State of Bihar)** मुकदमे में एक अच्छी व्याख्या दी है जो निम्नलिखित है :

''कानून की नजर में कंपनी एक वास्तविक व्यक्ति के समान होती है तथा इसका अपना कानूनी अस्तित्व होता है। कंपनी का अस्तित्व उसके शेयरधारियों के अस्तित्व से बिल्कुल पृथक होता है, इसके पास अपना नाम और अपनी मुद्रा होती है, इसकी परिसम्पत्तियां इसके सदस्यों की परिसम्पत्तियों से पृथक और भिन्न होती हैं, अपने कार्यों के लिए यह किसी पर मुकदमा कर सकती है और कोई इस पर मुकदमा कर सकता है।''

यद्यपि कंपनी का भौतिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन कानून के प्रयोजन के लिए इसे एक स्वंतत्र विधिक व्यक्ति माना जाता है जिसका अपना व्यक्तित्व होता है और जो उन सदस्यों से भिन्न होता है जिनसे वह कंपनी बनती है। इसलिए कंपनी अपने किसी भी सदस्य के साथ अनुबंध कर सकती है। एक व्यक्ति इसका शेयरधारक (अंशधारी) हो सकता है और लेनदार भी। एक व्यक्ति कंपनी की सारी शेयर पूँजी का धारक होने पर भी कंपनी के कार्यों और ऋणों के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता। कंपनी के प्रचलन के दौरान या इसके समापन पर कोई भी सदस्य व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कंपनी की परिसम्पत्तियों में स्वामित्व के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसी प्रकार कंपनी के लेनदार केवल कंपनी के ही लेनदार होते हैं और वे कंपनी के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते।

जहाँ केवल एक अंशधारी के पास ही कंपनी के लगभग सभी शेयर हैं, वहाँ भी कंपनी का ऐसे अंशधारी से एक पृथक विधिक अस्तित्व होता है। **सालोमन बनाम सालोमन एण्ड कं. लि. (Salomon v Salomon & Co. Ltd)** के मुकदमें के द्वारा इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता हैं। श्री सालोमन इंग्लैंड में जूतों का अपना व्यवसाय करते थे। उन्होंने Salomon and Co. Ltd, नाम की कंपनी का गठन किया। इसमें स्वयं सालोमन, उनकी पत्नी, चार पुत्र और लड़की शामिल थे। सालोमन ने जूतों का अपना व्यवसाय कंपनी को 30,000 पौंड में बेच दिया गया। सालोमन ने क्रय मूल्य के रूप में मूल्य के रूप में कंपनी से एक-एक पौंड के 20,000 पूर्ण प्रदत्त शेयर और 10,000 पौंड के ऋणपत्र, जिनका कंपनी की परिसम्पत्तियों पर अस्थायी अथवा चल प्रभार (floating charge) था, बाकी नकद प्राप्त किया। सालोमन के परिवार के प्रत्येक सदस्य ने 1 पौंड के एक-एक शेयर के लिए नकद अंशदान किया। सालोमन कंपनी का प्रबंधन निदेशक था। व्यवसाय में कंपनी कुछ अरक्षित ऋणों (unsecured loans) के लिए उत्तरदायी बन गयी। कुछ समय बाद कंपनी को वित्तीय कठिनाइयों ने घेर लिया और एक साल में इसका समापन कर दिया गया। समापन पर, इसकी परिसम्पत्तियों से 6,000 पौंड वसूल हुए। 10,000 पौंड सालोमन को और 7,000 पौंड

अरक्षित लेनदारों को देने थे। ऋणपत्र धारक (सालोमन) को भुगतान करने के बाद कंपनी के पास अरक्षित लेनदारों के लिये नहीं बचा। लेनदारों ने दावा किया कि ऋणपत्रों की तुलना में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए क्योंकि सालोमन और सालोमन एण्ड कं. लिए एक ही व्यक्ति है और कंपनी तो निर्दोष लेनदारों को धोखा देने का एक दिखावा है। अतः सालोमन को एक रक्षित लेनदार (secured creditor) नहीं माना जाना चाहिए। हाउस ऑफ लार्ड्स (house of lords) ने निर्णय लिया कि कंपनी विधिवत् गठित हुई है और इसका इसके सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इसलिए सालोमन अपनी राशि पहले प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि वह एक रक्षित लेनदार है। व्यवसाय कंपनी का है, सालोमन का नहीं। कंपनी और सालोमन का पृथक विधिक अस्तित्व है। सालोमन कंपनी का एजेन्ट है, कंपनी सालोमन की एजेन्ट नहीं हैं।

टी. आर. प्रैट (बम्बई) लि. बनाम् ई.डी सैसून एंड कं. लि. (**T.R Partt (Bombay) Ltd v E.D Sasoon and Co. Ltd**) के मुकदमे में यह कहा गया कि कानून के अन्तर्गत एक निगमित कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है और चाहे कंपनी के सारे शेयर व्यावहारिक रूप में एक ही व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हो फिर भी कानून के अन्तर्गत कंपनी का एक पृथक अस्तित्व होता है। इसी प्रकार **अब्दुल हक बनाम दास मल** के मुकदमें में कंपनी के एक कर्मचरी ने कंपनी के एक निदेशक पर अपने वेतन की राशि, जो देय थी, के लिए दावा किया। यह निर्णय दिया गया कि वह इस दावे में सफल नहीं हो सकता क्योंकि इसका उपचार तो कंपनी कर सकती है, उसका निदेशक या सदस्य नहीं।

एक पृथक विधिक अस्तित्व होने से कंपनी अपने सदस्यों के साथ अनुबंध कर सकती है और सदस्य कंपनी के साथ अनुबंध कर सकते हैं। इस प्रकार एक शेयरधारी (अंशधारी) कंपनी का लेनदार भी हो सकता है।

4) सीमित दायित्व (**Limited Company**): कंपनी का एक प्रमुख लाभ यह है कि इसके सदस्यों को दायित्व सीमित होता है। आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि दायित्व के आधार पर कंपनियों को इस प्रकार बाँटा जा सकता है : (i) शेयरों द्वारा सीमित कंपनियां (ii) गारण्टी द्वारा सीमित कंपनियां (iii) शेयर पूँजी वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां और (iv) असीमित दायित्व वाली कंपनियां।

शेयरों द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व उन के शेयरों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है जो उनके पास हैं। यदि किसी सदस्य ने शेयरों की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है तो उसका दायित्व शून्य होगा। गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व उसने जिनकी राशि की गारंटी दी है उस तक सीमित होगा परन्तु शेयर पूँजी वाली गारण्टी कंपनी में एक सदस्य का दायित्व उसके शेयरों की राशि जो देय है और गारण्टी की गयी राशि दोनों के जोड़ तक सीमित होगा।

आप ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम 2013 सदस्यों के असीमित दायित्व वाली कंपनियों के गठन की अनुमति देता है, असीमित दायित्व वाली कंपनियों के सदस्यों का दायित्व उनके पास शेयरों के अंकित मूल्य तक सीमित नहीं होता। जब तक कंपनी के देयताओं व ऋण के एक-एक पैसे का भुगतान नहीं होता वे उत्तरदायी होंगे। फिर भी कंपनी के पृथक अस्तित्व होने के कारण लेनदार सदस्यों के विरुद्ध सीधे वादे नहीं कर सकते।

5) **पृथक सम्पत्ति (Separate Property) :** कानून की दृष्टि में शेयरधारी उपक्रम (undertaking) के आंशिक मालिक नहीं होते। भारत में उच्चतम न्यायालय ने पृथक सम्पति का सिद्धांत **बच्चा एफ गुज्जदार व कमिश्नर आफ इनकम टैक्स बॉम्बे [Bacha F Guzdar v. Commissoner of Income Tax, Bombay, (Supra)]**के वाद में उत्तम तरीके से स्पष्ट किया। उच्चतम न्यायलय ने निर्णय दिया कि शेयरधारी कंपनी या इसकी सम्पत्ति का आंशिक मालिक नहीं होता। उसको कानून द्वारा कुछ अधिकार दिये हैं जैसे कि मत देना, सभाओं में उपस्थित होना, लाभांश प्राप्त करना।

Macaura v. Northern Assurance Co. Ltd (1925) के वाद में निर्णय दिया गया कि सदस्य का कंपनी की सम्पत्ति में कोई बीमा योग्य हित नहीं होता। इस वाद में Macaura के पास, एक लक़ड़ी की कंपनी के, एक के सिवाय बाकी सब शेयर थे। उसने कंपनी की लकड़ी का अपने नाम से बीमा कराया। आग के कारण लकड़ी जल गई। उसका दावा रद्द कर दिया गया क्योंकि लकड़ी में उसका कोई बीमा हित नहीं था। न्यायालय ने कहा ''किसी भी शेयरधारी का कंपनी की किसी भी सम्पत्ति की किसी भी वस्तु में अधिकार नहीं होता क्योंकि उसका कानूनी या न्यायोचित उसमें हित नहीं हैं।''

6) **शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession) :** ''शाश्वत उत्तराधिकार'' शब्द का अर्थ है निरंतर विद्यमान रहना। कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों के दिवालियापन, मृत्यु, पागलपन जैसे कारणों से प्रभावित नहीं होगा। कंपनी का एक शाश्वत उत्तराधिकारी होता है। सदस्य आते रहते हैं, जाते रहते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है। यदि कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाये तब भी कंपनी का विधिक अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। युद्ध के समय एक निजी कंपनी के सारे सदस्य साधारण सभा में एक बम के कारण मारे गए। परन्तु कंपनी बची रही। एक हाइड्रोजन बम भी उसे समाप्त नहीं कर सका। उपयुक्त अवस्था में मृत अंशधारियों के कानूनी उत्तराधिकारी सदस्य बन जाएंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि कंपनी का कभी अंत नहीं हो सकता। कंपनी विधि द्वारा निर्मित की जाती है तथा विधि की प्रक्रिया द्वारा की इसका अन्त भी किया जा सकता है।

7) **शेयरों का हस्तांतरण (Tranferability of Shares)** : कंपनियों के लोकप्रिय होने का एक विशेष कारण यह है कि उनके शेयर आसानी से हस्तांतरित हो सकते हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के शेयर निर्बाध रूप से हस्तांतरणीय हैं। अन्य सदस्यों की सहमति के बिना कोई भी शेयरधारी अपने शेयरों का हस्तांतरण कर सकता है। अन्तर्नियमों के अंतर्गत एक सार्वजनिक कंपनी भी शेयरों के हस्तांतरण पर कुछ पाबंदियां लगा सकती है लेकिन उन्हें पूर्णतया नहीं रोक सकती। एक सार्वजनिक कंपनी का शेयरधारी जिसके पास पूर्णतया प्रदत्त शेयर हैं अन्तर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार किसी को भी हंस्तातरित करने में स्वतंत्र है।

कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 58 (2) के अनुसार ''उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी सार्वजनिक कंपनी में किसी सदस्य की प्रतिभूतियां या अन्य हित स्वच्छंद रूप से हस्तांतरणीय होंगे। बशर्ते प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की बाबत कोई अनुबन्ध दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध के रूप में प्रर्वतनीय होगा। इसलिये वर्तमान अधिनियम सार्वजनिक कंपनी के शेयरधारियों के करारों को जिनमें ''पहले प्रस्ताव का अधिकार'' और ''पहले मना करने का अधिकार'' का प्रावधान है, वैध है। परन्तु एक निजी कंपनी को हस्तांतरणीयता पर कुछ पाबंदी लगानी आवश्यक है। लेकिन निजी कंपनी भी हस्तांतरण का अधिकार पूर्ण रूप से वापस नहीं ले सकती।

8) **सार्व मुद्रा (Common Seal) :** एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, उसकी मनुष्य की भांति देह नहीं है। इसलिये इसे अपने निदेशक, अधिकारी व दूसरे कर्मचारियों के द्वारा कार्य करने पड़ते हैं। परन्तु यह उन दस्तावेजों के लिये बाध्य है जिस पर इसके हस्ताक्षर हैं। सार्व मुद्रा कंपनी के अधिकारिक हस्ताक्षर होते हैं। इसके लिए एक धातु की मुद्रा प्रयोग करनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी की एक सार्व मुद्रा होनी चाहिए जिस पर उसका नाम अंकित होना चाहिए। धारा 22 (2) के अनुसार कोई कंपनी, अपनी सार्व मुद्रा के अधीन किसी व्यक्ति को साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट अटॉर्नी अधिकार के अंतर्गत, भारत में या भारत के बाहर उसकी ओर से विलेखों के निष्पादन के लिए अधिकार दे सकती है। ऐसे किसी अटॉर्नी द्वारा कंपनी की ओर से उसकी मुद्रा के अधीन हस्ताक्षरित कोई विलेख बाध्य होगा और उसका वही प्रभाव होगा मानो वह उस की सार्व मुद्रा के अधीन किया ही गया है। कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुसार सार्व मुद्रा अनिवार्य नहीं है।

9) **वाद योग्यता (May Sue or be Sued) :** एक न्यायिक व्यक्ति के रूप में कंपनी अपने नाम से वाद ला सकती है और इस पर वाद लाये जा सकते हैं। इसका कारण यह है कि कंपनी का एक पृथक विधिक अस्तित्व है। कंपनी अनुबंध कर सकती है और अनुबंधिक अधिकारों को दूसरों के विरुद्ध प्रवर्तित कर सकती है और यदि यह अनुबंधों का उल्लंघन करती है तो इस पर दूसरों द्वारा वाद लाये जा सकते हैं।

बोध प्रश्न 1

1) कंपनी की परिभाषा दीजिए।

....

....

....

....

....

....

2) कंपनी की प्रमुख विशेषताएं बताइये।

....

....

....

....

....

....

3) बताइये कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं या **गलत**।

i) कंपनी का विधि द्वारा निर्माण किया जाता है।

ii) कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है।

iii) क्योंकि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए यह कोई गलती नहीं कर सकती और न ही इस पर कोई वाद लाया जा सकता है।

iv) साझेदारी की भांति, कंपनी के किसी शेयरधारी की मृत्यु से कंपनी का अन्त हो जाता है।

v) यद्यपि कंपनी एक निगमित व्यक्ति है फिर भी यह एक नागरिक नहीं है।

vi) एक सदस्य का दायित्व उसके शेयरों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है।

5.6 निगमन का आवरण हटाना (Lifting the Corporate Veil)

आपने पैरा 5.5 में पढ़ा है कि एक कंपनी का अपने सदस्यों से स्वतंत्र और भिन्न एक पृथक विधिक अस्तित्व होता है। पृथक विधिक अस्तित्व का नियम **सालोमन बनाम सालोमन एण्ड कं. लि.** के वाद में अच्छी तरह से स्थापित हुआ। निगमन के समय कंपनी और इसके सदस्यों को अलग करने वाली एक रेखा खींची जाती है या एक आवरण डाला जाता है। वास्तव में, कंपनी व्यक्तियों की संस्था है और ये व्यक्ति ही कंपनी की सारी सम्मिलित सम्पत्ति के वास्तविक लाभकारी स्वामी होते हैं। कंपनी के निगमन के पीछे जो असली व्यक्ति होते हैं, कंपनी का गठन होने और उसका विधिक अस्तित्व हो जाने के बाद, उसकी उपेक्षा कर दी जाती है।

पृथक विधिक अस्तित्व के फलस्वरूप कंपनी को बहुत से लाभ मिलते हैं जिनके बारे में आपने इस इकाई के पिछले भाग में पढ़ा है। लेकिन जो कंपनी का इमानदारी से प्रयोग करते हैं उन्हें ही निगमन का लाभ मिलता है। परन्तु निगमन के आवरण का अनुचित व छल कपट उपयोग करने पर कानून इस निगमन के आवरण की उपेक्षा करता है और इसके पीछे जो व्यक्ति हैं और जो कपट के जिम्मेदार हैं उनका पता लगाता है और कंपनी तथा इसके सदस्यों को एक ही व्यक्ति मानता है। **जब न्यायालय कंपनी की उपेक्षा करता है और कंपनी के सदस्यों और पद-अधिकारों में दिलचस्पी लेता है तब यह कहा जाता है कि निगमन के आवरण को हटा दिया गया है।** प्रो. गौवर के अनुसार, ''जब कानून निगमित अस्तित्व (corporate entity) की उपेक्षा करता है तब इस विधिक मुखौटे के पीछे जो व्यक्ति हैं उन पर ध्यान देता है तब इसे निगमित व्यक्तित्व का आवरण हटाना कहते हैं।''

परन्तु आप ध्यान रखें कि न्यायालय का निगमन के आवरण को हटाने का अधिकार पूर्णतया विवेकाधीन है। न्यायालय कंपनी का आवरण तभी हटाता है जब ऐसा करना सार्वजनिक हित में होता है। **Cotton Corporation of India Ltd v. G. C. Odusumathd (1999)** वाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि विधि में, नियम के तौर पर, निगमन का आवरण हटाना, स्वीकृति योग्य नहीं है जब तक कि कानून में स्पष्ट शब्दों में नहीं दिया या चिंताजनक कारणों से जैसे छल कपट को रोकने की चेष्टा या शत्रु देश के साथ व्यापार को रोकना है।

जिन परिस्थितियों में निगमन का आवरण हटाया जा सकता है उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित दो शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है:

1) सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत, और

2) न्यायिक व्याख्याओं के अन्तर्गत।

5.7 कंपनी के प्रकार

कंपनियों के वर्गीकरण करने के विभिन्न आधार है जो निम्नलिखित हैं :

1) निगमन (incorporation) के आधार पर

2) दायित्व (liability) के आधार पर

3) नियंत्रण (control) के आधार पर

विभिन्न की कंपनियों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए चित्र 5.1 को ध्यानपूर्वक देखिए।

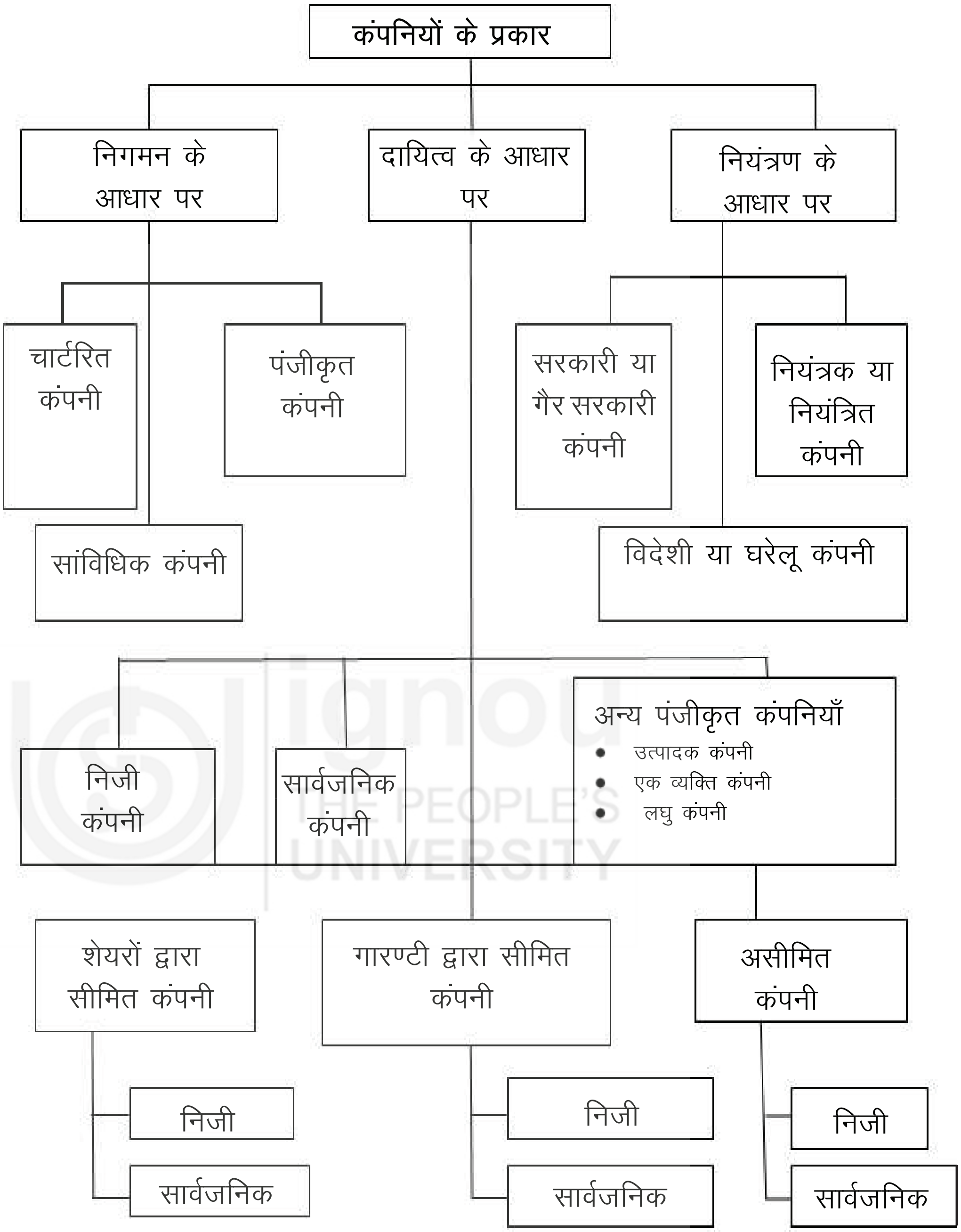

चित्र 5.1 : कंपनियों के प्रकार

5.7.1 निगमन के आधार पर

निगमन की पद्धति के आधार पर संयुक्त पूँजी कंपनियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा जाता है।

i) **चार्टरित कंपनी (Chartered Company) :** वह कंपनी जिसका निगमन इंग्लैंड के राजा या रानी द्वारा अनुमत विशेष चार्टर के अन्तर्गत किया जाता है, चार्टरित कंपनी कहलाती है। इस कंपनी का विनियमन इसके चार्टर के द्वारा होता है। और इस पर कंपनी अधिनियम लागू नहीं होता है। चार्टर ही कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति और

इसके अधिकार को भी निर्धारित करता है। चार्टरित कंपनी के जाने पहचाने उदाहरण ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड है। **ऐसी कंपनी अब भारत में गठित नहीं की जा सकती।**

ii) **सांविधिक कंपनी (Statutory Company) :** सांविधिक कंपनी वह कंपनी है जिसका निर्माण संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है। ऐसी कंपनियां प्रायः सार्वजनिक उपयोगिताओं से संबंधित उद्देश्य को पूरा करने के लिए गठित की जाती हैं। जिस विशेष अधिनियम के अन्तर्गत इनका निर्माण होता है उसी में ऐसी कंपनियों की प्रकृति और अधिकार भी दिये होते हैं। इन पर कंपनी अधिनियम के प्रावधान भी उस हद तक लागू होते हैं जहां तक वे विशेष अधिनियम के प्रावधानों में सामंजस्य रखते हैं। सांविधिक कंपनी का पृथक विधिक अस्तित्व भी होता है और इसके लिए अपने नाम के बाद ''सीमित'' शब्द का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। ऐसी कंपनियों का अंकेक्षण भारत के ऑडिटर जनरल के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किया जाता है। और उनके कार्य की वार्षिक रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल जैसी भी स्थिति हो, में रखनी होती है। ऐसी कंपनियों के सुविदित उदाहरण भारत का रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आदि हैं।

iii) **पंजीकृत या निगमित (Registered or incorportated Company):** एक पंजीकृत कंपनी वह है जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत हुई है और वे कंपनियां जिनका गठन व पंजीकरण पहले से किसी अधिनियम के अन्तर्गत हुआ है। एक पंजीकृत कंपनी अस्तित्व में तभी आती है जब इसे निगमन का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। पंजीकृत कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा नियमित होती है।

एक पंजीकृत कंपनी निजी कंपनी या सार्वजनिक कंपनी हो सकती है। एक निजी कंपनी वह होती है जो अपने अन्तर्नियमों (Articles of Association) द्वारा (क) शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को सीमित करती है, (ख) अपने सदस्यों की संख्या (वर्तमान व भूतपूर्व कर्मचारियों को शामिल किये बिना) 200 तक सीमित रखती है और (ग) जनता को कंपनी के शेयरों का ऋणपत्रों के लिए अभिदान करने के लिए आमंत्रण करने का निषेध करती है धारा 2(68)]।

दूसरी ओर, एक सार्वजनिक कंपनी वह होती है जो निजी कंपनी नहीं है या ऐसी निजी कंपनी है जो सार्वजनिक कंपनी की नियंत्रित कंपनी है इस बात के बावजूद भी ऐसे नियंत्रित कंपनी अपने अन्तर्नियमों में निजी कंपनी बनी रहती है 2(71)।

एक निजी कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम दो सदस्यों की आवश्यकता होती है जबकि एक सार्वजनिक कंपनी के लिए न्यूनतम संख्या सात है।

एक निजी और सार्वजनिक कंपनी में निम्नलिखित मुख्य अन्तर हैं :

1) **न्यूनतम सदस्यों की संख्या** : निजी कंपनी की स्थापना करने के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम दो होनी चाहिए जबकि सार्वजनिक कंपनी में सात होनी चाहिए (धारा 3)।

2) **अधिकतम सदस्यों की संख्या** : एक निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 200 तक हो सकती है जबकि सार्वजनिक कंपनी में कोई सीमा नहीं है।

3) **शेयरों का हस्तांतरण** : सार्वजनिक कंपनी के किसी भी सदस्य के शेयर या डिबेंचर

कंपनी के अन्तर्नियमों के अनुसार चल सम्पत्ति होंगे और हस्तांतरित किए जा सकते हैं, एक निजी कंपनी में इसकी परिभाषा से ही, इस के अन्तर्नियमों में, शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध होता है (धारा (44)।

4) **प्रविवरण (प्रास्पेक्टस)** : निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती। जबकि एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण द्वारा अपनी प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है [धारा 2(68)]।

5) **निदेशकों की न्यूनतम संख्या** : एक निजी कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम संख्या दो और सार्वजनिक कंपनी में तीन होना अनिवार्य है (धारा 149)।

6) **निदेशकों की सेवानिवृत्ति** : निजी कंपनी के निदेशकों को बारी-बारी से सेवानिवृत्त (रिटायर) होना नहीं पड़ता। जबकि सार्वजनिक कंपनी के कम से कम 2/3 निदेशक बारी-बारी से रिटायर होने चाहिए (धारा 152)।

7) **साधारण सभा में कोरम** : एक जब तक कंपनी के अन्तर्नियमों में अधिक संख्या न दी गयी हो, सार्वजनिक कंपनी की दशा में कोरम :

   i) यदि सभा की तिथि तक सदस्यों की संख्या एक हजार से अधिक नहीं है वहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्य

   ii) यदि सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या, एक हजार से अधिक है किंतु पांच हजार तक है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पंद्रह सदस्य

   iii) यदि सभा की तिथि को सदस्यों की संख्या पांच हजार से अधिक है तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तीस सदस्य होने चाहिए। निजी कंपनी में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित दो सदस्यों से कंपनी का कोरम होगा यदि उसके अन्तर्नियमों में अधिक संख्या न दी गई हो (धारा 103)।

8) प्रबंधकीय पारिश्रमिक (**Managerial Remuneration**) (धारा 197): निजी कंपनी में कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी में प्रबंधकीय पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 11% से अधिक नहीं हो सकता। प्रत्येक प्रबन्धन/पूर्णकालिक निदेशक या प्रबन्धक का पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं हो सकता जब तक कि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति ना हो। इस तरह ही साधारण निदेशकों के पारिश्रमिक पर प्रतिबंध हैं।

9) जनता से जमा (**Public Deposits**) : एक सार्वजनिक कंपनी जनता से जमा स्वीकार कर सकती है (धारा 76 के प्रावधान के अधीन) परन्तु निजी कंपनी जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती।

5.7.2 दायित्व के आधार पर

दायित्व के आधार पर एक निगमित कंपनी (1) शेयर द्वारा सीमित कंपनी हो सकती है या (2) गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी हो सकती है या (3) असीमित कंपनी हो सकती है।

1) **शेयरों द्वारा सीमित कंपनी (Company Limited by Shares):** वह कंपनी जिसमें इसके सदस्यों का दायित्व उनके शेयरों पर अदत्त राशि, यदि कोई है, के आधार पर सीमानियम द्वारा सीमित होता है, 'शेयरों द्वारा सीमित कंपनी' कहलाती है [धारा 2 (22)]। ऐसी कंपनियों को आमतौर पर सीमित दायित्व वाली कंपनियों के रूप में जाना जाता है। यद्यपि कंपनी का दायित्व सीमित नहीं होता, सदस्यों का दायित्व

सीमित होता है। दायित्व को कंपनी के सदस्यों के विरुद्ध कंपनी के जीवन काल में या समापन के दौरान प्रवर्तित किया जा सकता है। ऐसी कंपनी के पास शेयर पूँजी होनी चाहिए क्योंकि दायित्व की सीमा शेयरों के अंकित मूल्य द्वारा निर्धारित की जाती हैं। फिर भी शेयरों पर अदत्त (शेष) राशि के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होता जब तक कानून व अन्तर्नियम के अनुसार शेयर की मांग (calls) ना हो, जब तक कंपनी एक चालू व्यवसाय है और समापन के समय शेयर की मांग की जाए।

2) **गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी (Company Limited Guarantee):** अधिनियम की धारा 2 (21) के अनुसार जिस कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके सीमानियम के द्वारा उस राशि तक सीमित किया जाता है जो वे कंपनी के समापन (winding up) की स्थिति में कंपनी की परिसम्पत्तियों को अंशदान करने का वचन देते हैं, को गांरटी द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। [धारा 2 (22)]।

   ऐसी कंपनी के पास शेयर पूँजी होनी आवश्यक नहीं है। यदि गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी का गठन बिना शेयर पूँजी के किया जाता है तो सदस्य केवल गारण्टी की गयी राशि के लिए ही दायी है और वह भी तब जब कंपनी का समापन (liquidation) हो।

   लेकिन यदि गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी का गठन शेयर पूँजी के साथ किया जाता है तो सदस्य अपने शेयरों पर अदत्त राशि देने के लिए दायी है। लेकिन गारण्टी की गयी राशि केवल कंपनी के समापन के समय मांगी जा सकती है।

3) **असीमित कंपनी (Unlimited Company):** जिस कंपनी के सदस्यों का दायित्व असीमित होता है उस कंपनी को एक 'असीमित कंपनी' कहा जाता है [धारा 2 (92)]। अतः असीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व कंपनी के सारे ऋण व दायित्व के विपरीत कंपनी के सदस्यों पर सीधा वाद नहीं किया जा सकता। चूंकि कंपनी का पृथक विधिक अस्तित्व होता है इसलिए कंपनी के विरुद्ध ही वाद होगा। अतः लेनदारों को अपने दावों के लिए कंपनी के समापन के लिए आवेदन देना होगा। लेकिन सरकारी समापक सदस्यों को बिना किसी सीमा के दायित्व व ऋणों के भुगतान के लिए बुला सकता है। एक असीमित कंपनी के पास शेयर पूँजी होना आवश्यक नहीं है।

धारा 18 के अनुसार कंपनी जिसका पंजीकरण असीमित कंपनी की भांति हुआ है बाद में सीमित कंपनी में परिवर्तन कर सकती है। परन्तु ऐसे परिवर्तन से किसी ऋण, दायित्वों, आवेदनों या अनुबन्धों पर जो कंपनी की ओर से किए गए थे कोई प्रभाव नहीं होगा।

5.7.3 नियंत्रण के आधार पर

आइये अब नियंत्रण के आधार पर कंपनियों के वर्गीकरण का अध्ययन करें जैसे कि कंपनी के मामलों को कौन प्रभावशाली रूप से नियंत्रित करता है। इस आधार पर कंपनियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है :

i) नियंत्रक कंपनी और नियंत्रित कंपनी

ii) सरकारी कंपनी

iii) विदेशी कंपनी

i) नियंत्रक कंपनी और नियंत्रित कंपनी (Holding and Subsidiary Company): बोल चाल की भाषा में, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को नियंत्रित करती है तो

नियंत्रण करने वाली कंपनी को 'नियंत्रक कंपनी' (holding Company) और जिस कंपनी पर नियंत्रण किया जाता है उसे 'नियंत्रित कंपनी' या सहायक कंपनी (subsidiary) कहते हैं।

अधिनियम की धारा 2(87) के अनुसार नियंत्रित कंपनी या नियंत्रित किसी अन्य कंपनी के संबंध में (जैसे नियंत्रक कंपनी) से अभिप्राय है, एक कंपनी जिसमें निंयत्रक कंपनी:

i) निदेशक बोर्ड के संघटन का नियंत्रण करती है, या

ii) कुल शेयर पूँजी* के आधे से अधिक का नियंत्रण या तो वह स्वयं या अपनी एक या अधिक नियंत्रित कंपनियों के साथ मिलकर करती है।

एक कंपनी (मान लीजिए यह (S) कंपनी है) दूसरी कंपनी (मान लीजिए यह (H) है) की केवल निम्नलिखित स्थितियों में नियंत्रित कंपनी मानी जाएगी :

i) जब कंपनी (कंपनी (H) दूसरी कंपनी (S) के निदेशक मंडल के संघटन को नियंत्रित करती है,)

ii) जब (कंपनी (H) के पास (S) कंपनी की आधे से अधिक शेयर पूँजी है। जहां 'H' कंपनी 'S' के साथ मिल कंपनी 'Z' की आधे से अधिक कुल शेयर पूँजी का भाग रखती है उस स्थिति में कंपनी 'Z' कंपनी 'H' की नियंत्रित कंपनी होगी।

iii) जब कंपनी 'S' एक अन्य कंपनी 'T' की नियंत्रित कंपनी है और जो स्वयं कंपनी 'H' की नियंत्रित कंपनी है।

केवल ऊपर बतायी गयी स्थितियों में ही कंपनी 'S' कंपनी 'H' की नियंत्रित कंपनी मानी जाएगी।

जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि एक नियंत्रक कंपनी प्रायः नियंत्रित कंपनी की एक प्रमुख शेयर होल्डर होती है और कानून की दृष्टि से दोनों का पृथक विधिक अस्तित्व होता है। जब तक दोनों कंपनियों में कोई विशिष्ट अनुबन्ध न हो, इसमें से कोई भी दूसरे की एजेन्ट नहीं कही जा सकती। एक नियंत्रित कंपनी को नियंत्रक कंपनी का एक अंग भी नहीं कहा जा सकता।

सरकारी कंपनी (Government Company): कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार एक सरकारी कंपनी का अर्थ है : ''कोई भी वह कंपनी (जो कंपनी अधिनियम में पंजीकृत हुई हो) जिसमें कम से कम 51% प्रदत्त शेयर पूँजी

i) केन्द्रीय सरकार, या

ii) राज्य सरकार या सरकारों, या

iii) अंशतः केन्द्रीय सरकार और अंशतः राज्य सरकार या सरकारों के पास है।

इसमे वह कंपनी जो सरकारी कंपनी की नियंत्रित कंपनी है को भी सरकारी कंपनी माना जाता है।

* केन्द्रीय सरकार के नियम के अनुसार कुल शेयर पूँजी का अर्थ प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी तथा प्रदत्त पूर्वाधिकार शेयर पूँजी का जोड़ है (Rule No 1-2 (1) (5))

इन्जीनियर इंडिया लिमिटेड, बी.एच.ई.एल और हिन्दुस्तार एरोनॉटिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनियों के उदाहरण हैं।

यदि एक सांविधिक निगम संसद के विशेष अधिनियम या राज्य के अधिनियम के द्वारा गठन की जाती है जैसे जीवन बीमा निगम (LIC India), वह कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत कंपनी नहीं है। इसलिए ऐसी निगम सरकारी कंपनी नहीं है। ऐसी निगम सरकारी कंपनियों से भिन्न हैं और उनका पंजीकरण व नियंत्रण उनसे सम्बंधित अधिनियमों द्वारा होता है।

एक सरकारी कंपनी सरकार की एजेंट नहीं होती। यह और कंपनियों की तरह जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है अपने सदस्यों से पृथक होती है। इसके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते। और कंपनियों की तरह वह भी निजी व सार्वजनिक होती हैं। इन पर भी और कंपनियों की तरह कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू होते हैं।

iii) **विदेशी कंपनी** धारा 2(42) के अनुसार 'विदेशी कंपनी' का अर्थ भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी या निगमित निकाय है :

i) जिसका भारत में चाहे स्वयं द्वारा या किसी एजेन्ट द्वारा भौतिक रूप से यह इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा, कारोबार का स्थान है, और

ii) जो किसी अन्य तरीके से भारत में किसी भी व्यापारिक क्रियाकलाप का संचालन करती है।

यद्यपि धारा 386 (c) के अनुसार शेयर हस्तांतरण कार्यालय या शेयर पंजीकरण कार्यालय व्यवसाय का स्थान भी हो सकता है।

धारा 380 के अंतर्गत प्रत्येक विदेशी कंपनी को भारत में व्यापार के क्षेत्र की स्थापना के 30 दिन के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने आवश्यक हैं :

क) कंपनी के चार्टर, कानून या सीमानियम और अंतर्नियम या कंपनी का गठन करने वाले या गठन को परिभाषित वाले कोई अन्य लिखित प्रलेख और यदि अंग्रेजी भाषा में प्रलेख (instruments) नहीं है तो अंग्रेजी भाषा में उनका प्रमाणित अनुवाद;

ख) कंपनी के पंजीकृत या प्रधान कार्यालय का पूरा पता;

ग) कंपनी के निदेशकों और सचिव की सूची, जिसमें ऐसे विवरण होंगे, जैसा निर्धारित (perscribed) है;

य) भारत में रहने वाले एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों के नाम और पते हों कंपनी की ओर से कोई नोटिस या विधिक प्रक्रिया के अंर्गत कोई दस्तावेज प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत हों;

ड) भारत में कंपनी के उस कार्यालय का पूरा पता, जिसके बारे में यह माना जाएगा कि वह भारत में व्यवसाय का मुख्य स्थान है;

च) पूर्व अवसर या अवसरों पर भारत में खोले गए और बन्द किए गए व्यवसाय के स्थान का ब्यौरा;

छ) यह घोषणा कि कंपनी का कोई निदेशक या भारत में कंपनी का प्राधिकृत प्रतिनिधि कभी भी अपराधी नहीं घोषित किया गया या भारत में अथवा विदेश में कंपनी के गठन और प्रबंधन करने से रोका नहीं गया है; और

ज) कोई अन्य जानकारी जो विदित की जाए।

जहां इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार को सुपुर्द किए गए दस्तावेजों में कोई परिवर्तन किया जाता है या होता है, वहां विदेशी कंपनी ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर परिवर्तन के ब्यौरों वाली एक विवरणी, पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को निर्धारित प्रारूप में भेजेगी।

धारा 382 के अनुसार प्रत्येक विदेशी कंपनी सहजदृश्य (Conspicuosly) रूप में अपने कार्यालय या उस स्थान के बाहर जहां वह कारोबार करती है और वह प्रविवरण में प्रदर्शित करेगी –

i) कंपनी का नाम;

ii) उस देश का नाम जहां वह निगमित की गयी है ;

iii) यह तथ्य कि सब सदस्यों का दायित्व सीमित है।

उपर्युक्त सूचना सभी कारोबार पत्रों, बिल शीर्ष, कागजपत्रों और नोटिसों और कंपनी के अन्य अधिकारिक प्रकाशनों में अंग्रेजी में और इस स्थान की उपयोग में आने वाली स्थानीय भाषा में जहां कार्यालय या स्थान स्थित है निर्दिष्ट करेगी।

धारा 381 के अनुसार प्रत्येक विदेशी कंपनी (सिवाए उस वर्ग की कंपनियों के जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा छूट प्राप्त है) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में :

a) ऐसे प्रारूप में बैलेंस शीट और लाभ हानि लेखा तैयार करेगी, जिसमें ऐसे विवरण होंगे या ऐसे दस्तावेज सम्मिलित होंगे या उस से जुड़े या संलगन होंगे जो निर्धारित किए गये हैं, और

b) रजिस्ट्रार को उन दस्तावेजों की एक प्रति सुपुर्द करेगी।

विदेशी कंपनी को भी अधिनियम की धारा 92 के प्रावधान जो वार्षिक विवरणी के रजिस्ट्रार के पास जमा करने से सम्बन्धित हैं लागू होते हैं।

बोध प्रश्न 2

1) निगमन के आवरण का क्या अर्थ है?

....

....

....

....

....

2) एक वैधानिक कंपनी क्या है?

....

....

....

3) एक पंजीकृत कंपनी से क्या अभिप्राय है?

....

....

....

....

....

4) शेयर पूँजी की गारन्टी द्वारा सीमित कंपनी से क्या अभिप्राय है?

....

....

....

....

....

5) एक सरकारी कंपनी क्या है?

....

....

....

....

....

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

6) रिक्त स्थानों को भरिये :

i) एक निगमित कंपनी की स्थापना एक चार्टरित कंपनी के रूप में, एक सांविधिक कंपनी के रूप में, और एक .... कंपनी के रूप में की जा सकती है।

ii) गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी में एक सदस्य के गारण्टी की गयी राशि का भुगतान केवल तब करना होता है यदि कंपनी का ....होता है।

iii) एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें केन्द्रीय सरकार के पास प्रदत्त शेयर पूँजी का .... प्रतिशत से कम न हो।

iv) एक विदेशी कंपनी को, जो भारत में व्यवसाय के स्थान की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद करती है, उसे कंपनी के रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज भारत में व्यवसाय के स्थान की स्थापना के .... दिन के भीतर देने होते हैं।

7) बताइये कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं या **गलत**।

i) एक बार यदि एक कंपनी का पंजीकरण एक असीमित कंपनी के रूप में हो जाता है तो इसका विघटन किये बिना इसे एक सीमित कंपनी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

ii) एक सरकारी, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से विनियमित नहीं होती।

iii) एक सरकारी कंपनी में कंपनी की प्रदत्त शेयर पूँजी अंशतः केन्द्रीय सरकार के पास हो सकती है और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकार के पास।

iv) एक विदेशी कंपनी भारत में व्यवसाय का स्थान स्थापित किये बिना भी भारत में व्यवसाय कर सकती है।

v) एक विदेशी कंपनी वह है जो भारत में पंजीकृत और विदेश में अपने व्यवसाय चलाती है।

vi) नियंत्रक कंपनी और नियंत्रित कंपनी का पृथक-पृथक विधिक अस्तित्व होता है।

vii) एक निजी कंपनी जो व्यवहार में एक सार्वजनिक कंपनी की नियंत्रित कंपनी है, उसे एक सार्वजनिक कंपनी की भांति माना जाएगा।

8) नीचे लिखे विकल्प में कौन सा विकल्प **सही** है बताइएः

क) एक निजी कंपनी

i) में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए

ii) के 50 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते

iii) अपने शेयर क्रय के लिए जनता को नियंत्रण आमंत्रित पर अवश्य रोक लगानी चाहिए

iv) को प्रविवरण के बदले विवरण फाइल करना आवश्यक है।

5.8 पंजीकृत कंपनियों के अन्य प्रकार (Other Kinds of Registered Companies)

अन्य पंजीकृत कंपनियों की श्रेणी में ये कंपनियां हैं :

1) उत्पादक कंपनी (producer Company)

2) एक व्यक्ति कंपनी (One person Company)

3) लघु कंपनी (Small Company)

5.8.1 उत्पादक कंपनी*

डा. अलग आयोग की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित प्रावधान उत्पादक कंपनियों से संबंधित हैं :

1) **उत्पादक कंपनी का अर्थ** : उत्पादक कंपनी वह निगमित निकाय है जिसका संबंध उस कार्यकलाप से है जो प्राथमिक उत्पाद से जुड़ा या सम्बन्धित है। प्राथमिक उत्पाद से अभिप्राय (i) किसानों का वह उत्पाद जो कृषि से उत्पन्न होता है (इसमें पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं) या (ii) और कोई दूसरा प्राथमिक कार्यकलाप जिससे किसानों या उपभोक्ताओं के हित को प्रोत्साहन देना हो या (iii)

*यहां नोट करें कि कंपनी अधिनियम की धारा 465 के अनुसार उत्पादक कंपनियां कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा विनियमित की जाएंगी जब तक विशेष अधिनियम नहीं बनाया जाता।

उन लोगों द्वारा उत्पादन जो हथकरगघार व दस्तकारी और कुटीर उद्योग में लगे हैं या (iv) ऊपर लिखे कार्यकलापों से जुड़ी उप-उत्पाद या सहायक वस्तु।

2) **सदस्यों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या** : कोई भी दस या अधिक उत्पादकों** द्वारा, जो व्यक्ति हैं, या दो या अधिक संस्थाएं*** या दस या अधिक व्यक्तियों और उत्पादक संस्थाओं का संगठन एक उत्पादक कंपनी बना सकते हैं। परन्तु जो व्यक्ति, जिसका व्यापारिक हित उत्पादक कंपनी के व्यापारिक हित का विरोधी है उस कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। अधिकतम सदस्यों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

3) **शेयर पूँजी** : उत्पादक कंपनी की शेयर पूँजी केवल साधारण शेयर ही होंगे।

4) **शेयरों का पारेषण और हस्तांतरण** : उत्पादक कंपनी के सदस्यों के शेयर हस्तांतरित नहीं हो सकते केवल बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से सक्रिय सदस्य को हस्तांतरित हो सकते हैं। यदि हस्तांतरण की अनुमति मिल जाती है तो हस्तांतरण केवल शेयर के अंकित मूल्य पर होगा। किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर शेयर मृतक के मनोनीत व्यक्ति के नाम पंजीकृत होंगे जिसका उत्पादक होना आवश्यक है।

5) **सदस्यों का दायित्व** : उत्पादक कंपनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिए शेयरों के अदत्त राशि तक ही, यदि है, सीमित होता है।

6) **प्रवर्तक का पारिश्रमिक** : उत्पादक कंपनी, सदस्यों की पहली साधारण सभा में उनकी स्वीकृति से, इसके प्रवर्तकों को कंपनी के निगमन और पंजीकरण से संबंधित सभी प्रत्यक्ष लागत, जिसमें, कानूनी फीस, सीमानियम और अन्तर्नियम छपवाना भी शामिल है, वापस कर सकती है।

7) **निजी कंपनी का दर्जा** : पंजीकरण होने पर, उत्पादक कंपनी एक निगमित निकाय बन जाती है मानो यह एक निजी कंपनी है अपने नाम के आगे प्राइवेट शब्द लगाये बिना और सदस्यों की संख्या पर किसी सीमा के बिना। धारा 581F के अनुसार एक उत्पादक कंपनी के नाम के अन्त में ''उत्पादक कंपनी लिमिटेड'' होगा।

8) **सदस्यों के मत अधिकार** :

क) जब उत्पादक कंपनी के सदस्य (i) केवल व्यक्ति ही सदस्य हों; या (ii) व्यक्ति और उत्पादक संस्थाएं हों तो मत अधिकार प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा चाहे उसके कितने ही शेयर हों या उसे उत्पादक कंपनी का संरक्षण प्राप्त हो।

ख) यदि सदस्यता केवल उत्पादक संस्थानों की है तो मत अधिकार इन संस्थानों के उत्पादक कंपनी के व्यापार में पिछले वर्ष भाग लेने का आधार पर, जैसा अन्तर्नियमों में वर्णित हो, निर्धारित होंगे। परन्तु जिस वर्ष में जब कंपनी का पंजीकरण हुआ है, मत अधिकार इन उत्पादक संस्थाओं के शेयरों के आधार पर होगा।

9) **सदस्यता की समाप्ति** : कोई व्यक्ति जिसका व्यापारिक हित उत्पादक कंपनी के

**उत्पादक से अर्थ उस व्यक्ति से है जिसका कार्यकलाप प्राथमिक उत्पादक से जुड़ा होता है।

***उत्पादक संस्थान से अर्थ उत्पादक कंपनी या और अन्य संस्थान से है जिसके सदस्य केवल उत्पादक कंपनी (याँ) या उत्पादक है (हैं) चाहे उसका निगमन हुआ है या नहीं जिनका उद्देश्य धारा 581B के अंतर्गत है और जो इनके अन्तर्नियमों के अनुसार उत्पादक(कों) के सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहमत हो गए हैं।

व्यापार के हित के विरोध में है सदस्य नहीं बन सकता। यदि कोई सदस्य रहते हुए उत्पादक कंपनी के व्यापार के विरुद्ध हित प्राप्त करता है वह अन्तर्नियमों के अनुसार सदस्यता से हटाया जाएगा और यदि कोई सदस्य प्राथमिक उत्पादक नहीं रहता तो भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उस को, उसके शेयरों के सममूल्य या कोई और मूल्य बोर्ड (मंडल) की अनुमति से चुका दिया जाएगा।

10) सदस्यों के लाभ

क) सदस्यों को अपनी सांझा या पूर्ति (pool or supply) किए हुए उत्पादक का पूरा मूल्य नहीं दिया जाएगा। रोकी हुई रकम (withheld price) बाद में नकद या साधारण शेयरों के रूप में, जैसा बोर्ड अनुमति दे, दी जाएगी।

ख) सदस्यों को उनकी पूँजी पर एक सीमित लाभ मिलेगा।

ग) सदस्यों को बोनस शेयर भी आबंटित किए जा सकते हैं।

घ) धारा 581 (ZI) के अनुसार सीमित लाभ और संचय (limited return and reserves) के प्रावधान करने के बाद (ii) उत्पादक कंपनी के व्यापार के विकास के लिए प्रावधान करने पर; (iii) सामान्य सुविधाओं का प्रावधान करने पर अधिशेष (surplus) यदि कोई है तो उसे बोनस के रूप में सदस्यों के व्यापार में भाग लेने के अनुपात से वितरित किया जा सकता है। यह नकद और इक्विटी शेयर के रूप में दिया जा सकता है।

11) सामान्य सभाएं :

i) **प्रथम वार्षिक सभा** : प्रथम वार्षिक सभा उत्पादक कंपनी को निगमन के 90 दिनों के अन्दर अन्तर्नियमों की स्वीकृति, निदेशकों की नियुक्ति की चर्चा करने के लिए करनी होगी। समय सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता।

ii) **आगामी वार्षिक सभाएं** : दो वार्षिक सभाओं में 15 माह से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिए। कंपनी रजिस्ट्रार इसे 3 माह तक बढ़ा सकता है।

iii) **वार्षिक सभा का समय और स्थान** : इस बारे में जो प्रावधान अन्य कंपनियों पर लागू होते हैं वो ही उत्पादक कंपनी पर लागू होते हैं। अतः वार्षिक साधारण सभा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होनी चाहिए, सार्वजनिक अवकाश वाले दिन नहीं होनी चाहिए और कारोबार समय (Business times) में होनी चाहिए।

iv) **असाधारण सभा** : कंपनी के मताधिकार रखने वाले कुल सदस्यों का 1/3 भाग या उससे से अधिक मांग पत्र पर उसके हस्ताक्षरों के साथ निदेशकों द्वारा यह सभा बुलाई जा सकती है।

v) **नोटिस** : नोटिस (क) सभी सदस्यों तथा (ख) कंपनी के अंकेक्षकों को भेजा जाना चाहिए।

vi) **कोरम** : वार्षिक साधारण सभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/4 उपस्थित होना आवश्यक है। अन्तर्नियमों द्वारा इस से अधिक कोरम का भी प्रावधान हो सकता है। असाधारण सभा के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं होता।

5.8.2 एक व्यक्ति कंपनी [One Person Company (OPC)]

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (62) के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी की परिभाषा इस प्रकार है 'एक व्यक्ति कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसमें सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति है।' धारा 3(1) (c)कहती है कि 'कोई कंपनी, किसी वैध प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति द्वारा बनायी जा सकती है, जहां बनाई जाने वाली कंपनी एक व्यक्ति कंपनी होगी, अर्थात् निजी कंपनी सीमानियम में अपने नाम से हस्ताक्षर करने और पंजीकरण के संबंध में इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए बनाई जा सकेगी।

एक व्यक्ति कंपनी का पंजीकरण शेयर द्वारा सीमित कंपनी या गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में हो सकता है।

ओ.पी.सी कंपनी के सीमानियम में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम, निर्धारित फार्म में (फार्म न. 3) उसकी पूर्व लिखित अनुमति से दिया जाएगा, जो अभिदाता की मृत्यु की या अनुबंध न करने की क्षमता की दशा में कंपनी का सदस्य बनेगा। जब कंपनी का पंजीकरण होगा तब यह लिखित अनुमति रजिस्ट्रार के पास सीमानियम व अन्तर्नियमों के साथ फाइल करनी होगी। जिस व्यक्ति का नाम दिया है वह किसी समय अपनी सहमति जैसा कि निर्धारित हो वापस ले सकता है।

ओ.पी.सी के प्रवर्तक (प्रोमोटर) सदस्य के मृत्यु होने के बाद वह व्यक्ति जिसका नामांकन किया है उसे सारे शेयर प्राप्त होंगे। वह उन सभी लाभांश और अधिभार और दायित्वों का अधिकारी होगा जिनका पहले एकमात्र प्रवर्तक अधिकारी या दायी था।

ओ.पी.सी का सदस्य उस व्यक्ति का नाम किसी समय नोटिस द्वारा बदल सकता है और इस परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को निर्धारित समय और विधि के अनुसार देनी होगी।

'एक व्यक्ति कंपनी' (OPC) शब्दों को कोष्ठक में, उस कंपनी के नाम के नीचे, उल्लेखित किया जाएगा जहां कहीं भी इसका नाम मुद्रित हो, लगाया गया हो या उत्कीर्ण हो।

ओ.पी.सी को मिलने वाली छूटें

ओ.पी.सी को मिलने वाली छूटों में शामिल हैं :

1) रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं [(धारा)(2)(40)]।

2) वार्षिक विवरणी पर निदेशक भी हस्ताक्षर कर सकता है। कंपनी सचिव के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है (धारा 92)।

3) वार्षिक साधारण सभा की आवश्यकता नहीं है (धारा 96)।

4) साधारण सभा व असामान्य सभा से सम्बन्धित विशेष प्रावधान (provisons) लागू नहीं होते हैं (धारा 100 से 111 तक)।

5) यदि प्रस्तावों (Resolutions) को कंपनी की केवल कार्यवृत पुस्तक में प्रविष्ट किया है तो यह अनुपालन माना जाएगा (धारा 122)।

6) यदि अंकेक्षित (audited) वित्तीय विवरण को एक ही निदेशक हस्ताक्षर करता है तो यह प्राप्त होगा (धारा 134)।

7) वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर 30 दिन की बजाए 6 महीने के भीतर वित्तीय विवरण फाइल किए जा सकते हैं (धारा 137)।

8) ओ.पी.सी को निदेशक बोर्ड की केवल एक सभा, कलेन्डर वर्ष में प्रत्येक छह महीने में करनी होगी। परन्तु दो सभाओं के बीच का अन्तर 90 दिन से कम नहीं होना चाहिए (धारा 173)।

ओ.पी.सी पर लागू विशेष प्रावधान

धारा 193 कहती है 'जहां शेयरों या प्रतिभूतियों से सीमित एक व्यक्ति कंपनी, कंपनी के एकमात्र सदस्य से, जो कंपनी का निदेशक भी है अनुबन्ध करती है वहां कंपनी जब तब अनुबंध लिखित में नहीं हो, इस बात को सुनिश्चित करेगी कि अनुबंध की शर्तें या प्रस्ताव सीमानियम में अंतर्विष्ट हैं या अनुबंध करने के पश्चात् कंपनी की आयोजित की गयी निदेशक बोर्ड की आगामी पहली सभा के विवरण (minutes) में अभिलिखित हैं। परन्तु यह कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में किए गये अनुबन्धों पर लागू नहीं होगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार

1) केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति ही जो भारतीय नागरिक है और भारत का निवासी है ''एक व्यक्ति कंपनी'' का निगमन कर सकता है या ''एक व्यक्ति कंपनी'' के एकमात्र सदस्य का नामित भी नियुक्त हो सकता है। ''भारत का निवासी'' शब्द का अर्थ उस व्यक्ति से है जो एक वित्तीय वर्ष से पहले वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो (नियम न. 3.1)।

2) कोई भी व्यक्ति एक से अधिक ''एक व्यक्ति कंपनी'' का निगमन नहीं कर सकता और ऐसी कंपनी का नामित नहीं हो सकता (नियम न. 3.2)।

3) कोई भी अवयस्क ''एक व्यक्ति कंपनी'' में सदस्य या नामित नहीं हो सकता या न ही किसी लाभकारी हित में हिस्सेदार हो सकता है (नियम न. 3.4)।

4) ऐसी कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत निगमन या सपरिवर्तन नहीं कर सकती (नियम 3.5) या गैर बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां, जिसमें किसी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों में निवेश भी शामिल है, का कार्यकलाप नहीं चला सकती (नियम 3.6)।

5) जब ''एक व्यक्ति कंपनी'' की प्रदत्त पूँजी 50 लाख रुपए से अधिक हो जाए और* उस समय उसकी औसत वार्षिक बिक्री दो करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है तो वह ''एक व्यक्ति कंपनी'' के रूप में समाप्त हो जाएगी और जारी नहीं रह सकती (नियम 3.7) जब ऐसी कंपनी की प्रदत्त पूँजी 50 लाख रुपए से अधिक हो जाए और* बिक्री 2 करोड़ रूपए से अधिक हो जाए तो उस तिथि से छह मास के अन्दर ऐसी कंपनी अपने को निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है (नियम 6)।

6) **एक व्यक्ति कंपनी का निजी (प्राइवेट) या सार्वजनिक (पब्लिक) कंपनी में परिवर्तनः** एक व्यक्ति कंपनी ''अपने को प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है परन्तु इसे न्यूनतम सदस्य और निदेशक की संख्या दो या न्यूनतम सात सदस्य और तीन निदेशक जैसी भी स्थिति हो करने होंगे और अपनी न्यूनतम प्रदत्त पूँजी इस श्रेणी की कंपनी के लिए अधिनियम के अनुसार करनी होगी और धारा 18 के परिवर्तन के प्रावधानों का पालन करना होगा अर्थात् पहले से पंजीकृत कंपनियों का परिवर्तन

*कंपनी निगमन (संशोधन) नियम 2015 द्वारा शब्द **या** हटाकर शब्द **और** लगा दिया गया है।

(नियम 6)। **फिर भी, ऐसा कंपनी स्वेच्छा से किसी प्रकार की कंपनी में परिवर्तित नहीं हो सकती जब तक इसके निगमन की तारीख से दो वर्ष नहीं बीत गए हों (नियम 3.7)।**

5.8.3 लघु कंपनी

कंपनी अधिनियम 2013 में लघु कंपनी की संकल्पना को पहली बार आरंभ किया है। कंपनी अधिनियम 2013 धारा 2(85) के अनुसार सार्वजनिक (पब्लिक) कंपनी के अतिरिक्त, लघु कंपनी है :

i) जिसकी प्रदत्त शेयर पूँजी पचास लाख रुपए या उस उच्चतर राशि से, जो निर्धारित की गयी है जो पाँच करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी; और*

ii) जिसकी कुल बिक्री उसके अंतिम लाभ हानि खातों के अनुसार दो करोड़ रुपए या वह उच्चतर राशि से जो इस संदर्भ में निर्धारित की जाए, जो बीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी;

यद्यपि लघु कंपनी अभिव्यक्ति में शामिल नहीं होगी :

क) नियंत्रण कंपनी या कोई नियंत्रित कंपनी;

ख) लाभ न कमाने वाली संस्था (कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनी)

ग) किसी विशेष अधिनियम द्वारा नियमित कोई कंपनी या निगमित निकाय।

ऐसी कंपनी में रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वार्षिक विवरणी पर निदेशक या सचिव हस्ताक्षर कर सकता है, और आधे कैलेन्डर वर्ष में एक सभा बुलानी चाहिए और दो सभाओं के बीच 90 दिन से कम अन्तर नहीं होना चाहिये।

5.9 संस्था जिसका उद्देश्य ''लाभ'' नहीं है/धर्माथ उद्देश्यों वाली कंपनी का गठन (धारा 8)

ऐसी ''संस्था जो लाभ कमाने के लिए नहीं है'' वह संस्था है जिस का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता बल्कि वाणिज्य, कला, विज्ञान, खेलकूद, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण, धर्म, पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है (धारा 8)। ऐसी संस्था कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो सकती है या नहीं भी हो सकती। जब ऐसी संस्था सीमित कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होती है तब केन्द्रीय सरकार उसे लाइसेंस दे सकती है। जिस व्यक्ति** या संस्था का सीमित कंपनी के रूप में इस अधिनियम में पंजीकृत होने जा रहा है उसे केन्द्रीय सरकार लाइसेंस तभी देगी जब वह संतुष्ट हो जाए कि इस कंपनी का :

क) उद्देश्य वाणिज्य, विज्ञान, खेलकूद, शिक्षा, अनुसंधान समाज कल्याण, धर्म, पर्यावरण का संरक्षण या किसी ऐसे अन्य उद्देश्य का संवर्धन करना है;

---

*कॉर्पोरेट कार्यमंत्रालय शब्द **'या'** के स्थान पर शब्द **'और'** लगा दिया गया है दिनांक 13.2.15

**यहां पर आप नोट करें कि धारा 8 के अंतर्गत शब्द 'व्यक्ति' से अर्थ है कि एक व्यक्ति भी जो उद्देश्य विशिष्ट है कंपनी का गठन कर सकता है। परन्तु कंपनी (निगमन) नियम शब्द के नियम 3(5) के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी को ऐसी कंपनी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

ख) अपने लाभों को, यदि कोई है, या अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संवर्धन के लिए उपयोग करना चाहती है; और

ग) अपने सदस्यों को किसी लाभांश के भुगतान का निषेध करती है।

जब ये शर्तें पूरी हो जाती हैं जब केन्द्रीय सरकार लाइसेंस द्वारा उस व्यक्ति या संस्था को निर्देश दे सकती है कि वह कंपनी अपने नाम के आगे 'लिमिटेड' या 'प्राइवेट' लिमिटेड शब्द जोड़े बिना पंजीकरण करा सकती है। केन्द्रीय सरकार लाइसेंस देते समय कोई भी शर्त या विनियम जो वह उचित समझे लगा सकती है और ये संस्था पर बाध्य होंगे। ऐसी कंपनियों के उदाहरण जो धारा (25) के अंतर्गत पंजीकृत हैं (अब धारा 8), वे हैं : मोहन बगान क्लब, जिम खाना क्लब, देहली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, आदि।

5.10 अवैध संस्थाएं (Illegal Associations)

5.10.1 अर्थ

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 [कंपनी विविध नियम 2014 के नियम 10 साथ] के अनुसार 'ऐसे किसी कारोबार को करने के प्रयोजन के लिए जिसमें अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई संस्था या साझेदारी का या व्यष्टि सदस्यों द्वारा लाभ अर्जित करना है 50 से अधिक व्यक्तियों की कोई संस्था या साझेदारी गठित नहीं की जाएगी जब तक कि उसे कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाता या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत जो उस समय लागू है।

अतः यदि किसी संस्था कंपनी अधिनियम में पंजीकृत नहीं हुई है तो यह संस्था अवैध मानी जाएगी भले ही जिन उद्देश्यों के लिए इसका गठन किया गया है वे अवैध नहीं हैं।

5.10.2 अपवाद (Exceptions)

क) कोई भी व्यवसाय करने वाला संयुक्त हिन्दू परिवार (Hindu undivided family) यानि संयुक्त हिन्दू परिवार कोई भी व्यवसाय चाहे वह लाभ अर्जित करने के लिए ही हो, सदस्यों की किसी भी संख्या के साथ, किसी भी भारतीय विधि के अन्तर्गत जैसा धारा 464 में है पंजीकृत हुए बिना कर सकता है और फिर भी यह अवैध संस्था नहीं होगी। परन्तु जब दो हिन्दू परिवार मिल कर व्यवसाय करते हैं तो धारा 464 लागू होगी। ऐसी संस्था में सदस्यों की गणना करते समय परिवार के अवयस्क सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा। वयस्क सदस्यों की गणना में पुरुष व महिलाएं दोनों शामिल किए जाएंगे।

ख) ऐसी किसी संस्था या साझेदारी को लागू नहीं होगा यदि वह पेशेवर (professionals) व्यक्तियों द्वारा गठित की जाती है जो विशेष अधिनियम द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

5.10.3 परिणाम

एक अवैध संस्था के परिणाम निम्नलिखित हैं :

1) ऐसी साझेदारी या संस्था के प्रत्येक सदस्य पर, व्यवसाय चलाने पर, जुर्माना होगा जो एक लाख रु. तक हो सकता है।

2) ऐसे व्यवसाय से उत्पन्न सभी दायित्वों के लिए प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

3) ऐसी संस्था कोई अनुबंध नहीं कर सकती।

4) ऐसी संस्था अपने किसी सदस्यों या बाहरी व्यक्तियों पर वाद नहीं चला सकती, चाहे बाद में संस्था का कंपनी के रूप में पंजीकरण हो गया हो।

5) कोई सदस्य या बाहरी व्यक्ति जिस पर कोई ऋण बाकी है वह इस पर वाद नहीं कर सकता।

6) ऐसी संस्था का कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत एक अपंजीकृत (unregistered) कंपनी की तरह भी विघटन नहीं हो सकता है।

7) क्या कोई सदस्य बंटवारा या समापन या हिसाब किताब के लिए अवैध संस्था पर वाद कर सकता है ? इलाहाबाद उच्च न्यायलय के सामने यह प्रश्न **मेवा राम बनाम राम गोपाल (Mewa Ram v Ram Gopal 1926)** के वाद में आया। यह निर्णय हुआ कि जहां संस्था अवैध है और व्यापार कई वर्ष चलाया गया, इसका कोई भी सदस्य बंटवारे का वाद नहीं कर सकता, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि बंटवारे में कंपनी की परिसम्पत्तियों को बेच कर ऋण का भुगतान करना होगा जैसा कि साझेदारी के विघटन या कंपनी के समापन के वाद में होता है।

   यह नोट करें कि एक पंजीकृत कंपनी का विघटन हो सकता है, न कि एक अवैध संस्था का क्योंकि विधि की दृष्टि में वह मौजूद नहीं है।

8) अवैध संस्थाओं की अवैधता को बाद में सदस्यों की संख्या कम करके ठीक नहीं किया जा सकता **(Kumar Swami Chattiar v M.S.M. Chinnathambi Chattiar)**।

9) अवैध संस्था के लाभ आयकर निर्धारण के उत्तरदायी है **(Gopal ji Co. v. CITA)**।

बोध प्रश्न 3

1) एक व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनी में क्या अंतर हैं?

....

....

....

....

....

2) 'अवैध संस्था' से आप क्या समझते हैं?

....

....

....

....

....

....

....

....

3) रिक्त स्थानों को भरिये :

i) एक सरकारी कंपनी के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति .... के द्वारा की जाती है।

ii) अधिनियम की धारा .... के अन्तर्गत, कोई संस्था जिसका निर्माण लाभ के लिए नहीं किया गया हो, केन्द्रीय सरकारी से छूट प्राप्त कर सकती है और अपने नाम के अन्तिम 'शब्द के रूप में' 'सीमित' शब्द का प्रयोग किये बिना पंजीकृत की जा सकती है।

4) बताइये कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत :

i) एक साझेदारी फर्म, एक संस्था जो लाभ के लिए नहीं होती, की सदस्य हो सकती है।

ii) एक अवैध संस्था का कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता।

5) नीचे लिखे विकल्प में से कौन सा सही है बताइये :

एक अवैध संस्था

i) एक साझेदारी है जो अवैध कार्यों के लिए गठन की जाए

ii) एक साझेदारी है जिसमें 100 से अधिक सदस्य हों

iii) एक साझेदारी है जिसका विघटन न्यायालय द्वारा हो

iv) एक संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसमें 100 से अधिक सदस्य हो।

5.11 सारांश

'कंपनी' का अर्थ किसी सामूहिक उद्देश्य या उद्देश्यों के लिये व्यक्तियों की संस्था से है। कंपनी अधिनियम में कंपनी की परिभाषा इस प्रकार है 'कंपनी का कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठन व पंजीकरण हुआ हो या पहले किसी कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत हुआ हो।

एक कंपनी की प्रमुख विशेषताएं हैं –

1) यह एक अधिनियम द्वारा निर्मित पंजीकृत संस्था है। 2) पंजीकरण के बाद यह निगमित निकाय बन अपने सदस्यों से स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त करती है। (3) यद्यपि कंपनी को एक व्यक्ति जैसे अधिकार व दायित्व प्राप्त हैं पर यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अस्तित्व केवल विधि में ही है। 4) कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके शेयरों के अदत्त मूल्य तक या उनके द्वारा दी गई गारन्टी की राशि तक सीमित होता है। 5) कंपनी एक अलग अस्तित्व है इसलिए कंपनी की सम्पत्ति भी अलग है। शेयरधारी कंपनी की सम्पत्ति के सहस्वामी नहीं होते। कंपनी की सम्पत्ति में सदस्यों का बीमा हित भी नहीं होता। 6) शेयर कंपनी की चल सम्पत्ति होती है इसलिए अन्तर्नियम के नियम अनुसार हस्तातांरणीय हैं। 7) कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए बीमारी या किसी कारण से असमर्थ नहीं होती। सदस्य आते हैं और जाते हैं परन्तु कंपनी सदैव रहती है। 8) कंपनी को व्यक्तियों की एजेन्सी द्वारा कार्य करना पड़ता है। लेकिन यह उन दस्तावेजों के लिए बाध्य है जहां पर इसके हस्ताक्षर यानी सार्वमुद्रा, हो।

एक कंपनी सदस्यों से भिन्न व्यक्ति है लेकिन यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। जो लोग कंपनी का प्रबंधन करते हैं वे कंपनी के नाम पर अवैध कार्य या धोखाधड़ी कर सकते हैं। इस

कारण यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों को पता लगाने पर उनके गलत कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाये। शब्दों में इस निमगन का आवरण हटाना कहते हैं। निगमन का आवरण दो परिस्थितियों में हटाया जाता है :

क) सांविधिक प्रावधानों के अन्तर्गत और

ख) न्यायिक व्याख्या के अन्तर्गत

सांविधिक प्रश्नों के अन्तर्गत निम्नलिखित परिस्थितियों में आवरण हटाया जाता है :

(1) प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) में मिथ्या कथन (2) आवेदन राशि को वापिस न करने पर चूक (3) नाम की अशुद्धि या ना बताना। (4) कंपनी के मामलों की छानबीन करने पर (5) कंपनी के स्वामित्व की छानबीन (6) कारोबार का कपट पूर्ण संचालन करना (7) शक्ति बाह्य कार्यों के लिए दायित्व (8) अन्य विधियों में दायित्व।

न्यायिक व्याख्या के अन्तर्गतः निगमन का आवरण निम्नलिखित दशाओं में हटाया जाता हैः

(1) राजस्व सुरक्षा (2) निगमन द्वारा धोखा या अनुचित आचरण (3) कंपनी के दुश्मन स्वरूप का निर्धारण (4) नियंत्रित कंपनियां एजेंट का कार्य करने के लिए गठन करना (5) कंपनी अपने सदस्यों के एंजेट के रूप में कार्य करने पर (6) आर्थिक अपराध (7) जब कंपनी अवैध या अनुचित उद्देश्य का प्रयोग (8) न्यायालय का अपमान करने पर (9) कंपनी तकनीकी योग्यता देखना (10) जहां कंपनी केवल धोखा या दिखावा हो।

एक कंपनी और निगमित निकाय में अन्तर है। शब्द 'निगमित निकाय' कंपनी शब्द से अधिक विस्तृत है। निगमित निकाय में, कंपनी, कंपनी जिसका पंजीकरण विदेश में हुआ हो, लोक वित्तीय संस्था, राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरी संस्थाएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा निगमित निकाय घोषित किया गया है, शामिल हैं।

कंपनी कानून की दृष्टि में व्यक्ति है। इसकी राष्ट्रीयता व रहने का स्थान होता है। परन्तु एक कंपनी नागरिक नहीं है यह न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है और इसलिए इसे नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिलें हैं वह नहीं मिलते। परन्तु जो मौलिक अधिकार सब व्यक्तियों को, चाहे नागरिक हों या नहीं, मिलते हैं वे कंपनी को भी मिलते हैं जैसे सम्पत्ति के मालिकाना अधिकार।

एक साझेदारी और कंपनी में अन्तर निम्नलिखित आधारों पर हैं : गठन का तरीका, सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या, विधिक हैसियत, सदस्यों का दायित्व, शेयरों का हस्तांतरण, एजेन्सी, प्रबंधन, शाश्वत उत्तराधिकार शक्तियां, विघटन और कानूनी दायित्व।

कंपनियों के प्रकार : कंपनियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है : (1) चार्टरित कंपनियां (2) सांवधिक कंपनियां और (3) पंजीकृत कंपनियां । एक पंजीकृत कंपनी शेयरों द्वारा या गारण्टी द्वारा सीमित हो सकती है या एक असीमित कंपनी हो सकती है। ये कंपनी निजी या सार्वजनिक हो सकती है। विदेशी कंपनियां वे हैं जो भारत के बाहर निगमित हुई हैं लेकिन भारत में उनका व्यापार का स्थान है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की नियंत्रक कंपनी है यदि दूसरी कंपनी इसकी नियंत्रित कंपनी है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की एक नियंत्रित कंपनी केवल तब मानी जाती है जब :

1) दूसरी कंपनी इस कंपनी के निदेशक मंडल के संघटन को नियंत्रित करती है।

2) दूसरी कंपनी इसकी इक्विटी शेयर पूँजी के अंकित मूल्य के आधे से अधिक धारक है।

3) यह किसी अन्य कंपनी की नियंत्रित कंपनी है और वह कंपनी स्वयं नियंत्रक कंपनी की एक नियंत्रित कंपनी है।

उत्पादक कंपनियां वह कंपनियां हैं जिसमें दस या उससे अधिक उत्पादक जो व्यक्ति है या कोई दो अधिक उत्पादक संस्थाएं एक उत्पादक कंपनी का गठन और निगमन कर सकती हैं।

एक व्यक्ति कंपनी : एक शेयधारी निगमित अस्तित्व कंपनी है जहां विधि व वित्तीय दायित्व कंपनी तक ही सीमित होता है।

लघु कंपनी का अर्थ सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर (i) जिसकी प्रदत्त शेयर पूँजी पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है ii) जिसका आवर्त (turnover) उस के अंतिम लाभ और हानि खातों के अनुसार दो करोड़ से अधिक नहीं है।

अवैध संस्थाएं : कंपनी अधिनियम की धारा 464 के अनुसार कोई संस्था या साझेदारी में 50 से अधिक सदस्य होने पर अवैध संस्था कहलाएगी। एक संयुक्त हिन्दू परिवार, स्टॉक एक्सेंज या संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है अवैध संस्थाएं नहीं है। अवैध संस्था का हर सदस्य ऐसे कारोबार के दायित्वों का स्वयं जिम्मेदार होगा।

5.12 शब्दावली

कंपनी **(Company)**	:	कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की एक संस्था। यह विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका विशिष्ट नाम, एक सामान्य मुद्रा और इसके सदस्यों का शाश्वत उत्तराधिकार होता है।
चार्टरित कंपनी **(Chartered: Company)**		ऐसी कंपनी जिसका निगमन इंग्लैंड के राजा या रानी द्वारा अनुमत विशेष चार्टर के अंतर्गत किया गया है।
सांविधिक कंपनी **(Statutory Company)**	:	एक कंपनी जो संसद या राज्य विधान मंडल के विशेष अधिनियम द्वारा निर्मित की जाती है।
शेयरों द्वारा सीमित कंपनी **(Company Limited by Shares)**	:	एक कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उनके शेयरों के मूल्य तक सीमित होता है।
गारण्टी द्वारा सीमित कंपनी **(Company Limited by Guaratnee)**	:	एक कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व उस राशि तक सीमित है जो वे कंपनी के समापन होने की स्थिति में कंपनी की परिसम्पत्तियों में देने के उत्तराधिकारी लेते हैं।
सरकारी कंपनी **(Government Company)**	:	वह कंपनी जिसकी प्रदत्त पूँजी में सरकार के भाग 51% से कम नहीं होता।
निजी कंपनी (Private Company)	:	कंपनी जो अपने अन्तर्नियमों द्वारा (क) अपने शेयरों के हस्तांतरण के अधिकार को सीमित करती है (ख) इसके सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित करती है (इसके वर्तमान शेयरधारियों कर्मचारियों को छोड़कर) और (ग) जनता को इसके शेयरों या ऋणपत्रों के लिए अभिदान को नियंत्रित करने पर रोक लगाती है। (घ) सदस्यों निदेशकों तथा रिश्तदारों को छोड़कर जनता का जमा का नियंत्रण या साझेदारी पर रोक लगाती है। निजी

		कंपनी के गठन के लिए कम से कम दो सदस्यों की आवश्यकता होती है।
सार्वजनिक कंपनी **(Public Company)**	:	एक कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है या जो निजी कंपनी है परन्तु एक सार्वजनिक कंपनी की नियंत्रित कंपनी है। एक सार्वजनिक कंपनी के गठन के लिए कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है।
असीमित कंपनी **(Unlimited Company)**	:	एक कंपनी जिसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है।
शाश्वत उत्तराधिकार **(Perpetual Succession)**	:	अपने सदस्यों के जीवन या विवेक पर ध्यान किये बिना कंपनी का अस्तित्व निरंतर बने रहना।
विदेशी कंपनी **(Foreign Company)**	:	भारत से बाहर निगमित कंपनी लेकिन जिसका भारत में व्यवसाय का स्थान है।
निगमन का अवरण **(Corporate Veil)**	:	एक सीमा रेखा या आवरण जो कंपनी और इसके सदस्यों के बीच खींचा जाता है।
उत्पादक कंपनी	:	यह वह कंपनियां हैं जिन्हें कोई 10 या अधिक प्राथमिक उत्पादक या 2 या 2 से अधिक प्राथमिक उत्पादक कंपनियां मिलकर किसी उत्पादक कंपनी का निगमन कर सकते हैं।
एक व्यक्ति कंपनी	:	यह कंपनी में एक शेयरधारी निर्गमित अस्तित्व कंपनी है जहां विधि व वित्तीय दायित्व कंपनी तक ही सीमित होता है।
लघु कंपनी	:	लघु कंपनी का अर्थ है सार्वजनिक कंपनी को छोड़कर (i) जिसकी प्रदत्त शेयर पूँजी पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है और (ii) जिसका आवर्त उस के अंतिम लाभ और हानि खातों अनुसार दो करोड़ से अधिक नहीं है।

5.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

3) i) सही ii) सही iii) गलत iv) गलत v) सही vi) सही

बोध प्रश्न 2

5) i) स्वतंत्र विधिक ii) प्रतिनिधि iii) शत्रु स्वरूप iv) सांविधिक प्रावधान v) असीमित।

6) i) सही ii) गलत iii) गलत iv) गलत v) सही vi) सही vi) सही vii) सही

बोध प्रश्न 3

6) i) पंजीकृत ii) समापन iii) 51 iv) तीस v) 8

7) i) गलत ii) गलत iii) सही iv) सही v) गलत vi) सही) vii) सही
viii) सही ix) सही

8) (क) iii, (ख) ii

5.14 अभ्यास के लिए प्रश्न

1) 'कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार वाली और विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है और जिन सदस्यों से यह बनती है उनके व्यक्तित्व से भिन्न होती है'। टिप्पणी कीजिए।

2) कंपनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

3) निगमन के आवरण की संकल्पना का विवेचना कीजिए। किन परिस्थितियों में यह आवरण हटाया जा सकता है?

4) कंपनी और साझेदारी में भेद कीजिए।

5) कंपनी और निगमित निकाय के बीच अन्तर बताए।

6) सरकारी कंपनी पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

7) विभिन्न प्रकार की कंपनियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

8) विदेशी कंपनी क्या है? एक विदेशी कंपनी से सम्बन्धित विशेष प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

9) नियंत्रक कंपनी और नियंत्रित कंपनी में भेद कीजिए। किसी कंपनी को दूसरी कंपनी की नियत्रित कंपनी कब कहा जा सकता है? उदाहरण दीजिए।

10) एक अवैध संस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइये। ऐसी संस्था बनाने के क्या परिणाम होते हैं?

11) एक व्यक्ति कंपनी और लघु कंपनी के बारे में संक्षेप में बताइए।

टिप्पणी: इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए हैं।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

इकाई 6 कंपनी का गठन

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 कंपनी के गठन की अवस्थाएं

6.3 प्रवर्तन

6.3.1 प्रवर्तक : अर्थ एवं महत्व

6.3.2 प्रवर्तक के कार्य

6.4 रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेज

6.5 निगमन

6.5.1 निगमन प्रमाण पत्र का निश्चायक प्रमाण

6.5.2 पंजीयन के प्रभाव

6.6 व्यापार आरम्भ करना

6.7 सभाएं

6.7.1 सभाओं का अर्थ एवं महत्व

6.7.2 सभाओं के प्रकार

6.8 कंपनी का समापन

6.9 सारांश

6.10 शब्दावली

6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.12 अभ्यास के लिए प्रश्न

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

6.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्, आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- कंपनी के गठन की अवस्थाओं का वर्णन कर सकें;
- प्रवर्तक के अर्थ तथा महत्व का वर्णन कर सकें;
- प्रवर्तक के कार्यों का वर्णन कर सकें;
- कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों को सूचीबद्ध कर सकें;
- पंजीयन के प्रभाव को स्पष्ट कर सकें;
- निगमन प्रमाण-पत्र का अर्थ स्पष्ट कर सकें;
- कंपनी की सभाओं का अर्थ स्पष्ट कर सकें;
- कंपनी की सभाओं के महत्व का वर्णन कर सकें;
- कंपनी सभाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कर सकें;
- समापन और विघटन में अंतर कर सकें; और
- अनिवार्य समापन के विभिन्न आधार सूचीबद्ध कर सकें।

6.1 प्रस्तावना

आप इकाई 5 में पढ़ चुके हैं कि कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति होती है तथा इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इस इकाई में आप यह जानेंगे कि कंपनी के गठन से पहले, कुछ व्यक्ति, जिन्हें 'प्रवर्तक' कहते हैं, गहन जांच-पड़ताल करके जब वे व्यापार की लाभप्रदता के बारे में संतुष्ट हो जाते हैं, जब कंपनी के गठन के लिए आवश्यक औपचारिकताएं तथा कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए एवं प्रवर्तन की प्रक्रिया के लिए कदम उठाते हैं। इस इकाई में आप कंपनी के गठन की विभिन्न अवस्थाओं तथा रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप कंपनी की सभाओं के महत्व, सभाओं के विभिन्न प्रकार तथा कंपनी के समापन के विषय में भी पढ़ेंगे।

6.2 कंपनी के गठन की अवस्थाएं

कंपनी का गठन एक लम्बी प्रक्रिया है। पंजीयन कराने या निगमन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की निम्नलिखित तीन अवस्थाएं हैं :

1) प्रवर्तन,

2) पंजीयन या निगमन, तथा

3) व्यापार आरम्भ करना

उपर्युक्त प्रत्येक अवस्था में अनेक विशिष्ट कार्य करने पड़ते हैं। आइये, प्रत्येक अवस्था को बारी बारी से पढ़ें।

6.3 प्रवर्तन

आप पढ़ चुके हैं कि विधि के द्वारा निर्मित कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। यथाविधि से इसका निगमन होने पर ही इसका जन्म होता है। कंपनी का निगमन करने के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं तथा अनेक अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करनी पड़ती हैं। ये समस्त कार्य प्रवर्तकों के द्वारा किए जाते हैं।

6.3.1 प्रवर्तक : अर्थ एवं महत्व

आप पढ़ चुके हैं कि कंपनी कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। यथाविधि से इसका निगमन होने पर ही इसका जन्म होता है। कंपनी का निगमन करने के लिए विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं तथा अनेक अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करनी पड़ती हैं। ये समस्त कार्य प्रवर्तकों के द्वारा किए जाते हैं। जर्सटनबर्ग (Gerstenterg) ने प्रवर्तन की परिभाषा इस प्रकार की है, **व्यावसायिक अवसरों को खोजना, तत्पश्चात् उससे लाभ अर्जित करने के लिए व्यावसायिक इकाई का रूप देने के लिए धन, सम्पत्तियां एवं प्रबन्धकीय योग्यता का संगठन करना।** विचार की परिकल्पना करने के पश्चात् उस व्यवसाय के कमजोर तथा मजबूत पक्षों को जानने के लिए प्रवर्तक विस्तृत जांच पड़ताल करते हैं, आवश्यक पूँजी की राशि निर्धारित करते हैं और कार्यकारी व्ययों का अनुमान लगाकर सम्भावित आय का अनुमान लगाते हैं। जब प्रवर्तक विचार की लाभप्रदता के विषय में पूर्णतः सन्तुष्ट हो जाते हैं तब वे कंपनी के निगमन के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ करते हैं।

एल.जे.बोवेन के अनुसार, '' प्रवर्तक शब्द कानून का शब्द नहीं है बल्कि व्यवसाय का शब्द है, इस एक शब्द में वे समस्त व्यावसायिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा कंपनी का निर्माण किया जाता है।''

जस्टिस सी.कॉकबर्न ने प्रवर्तक की व्याख्या इस प्रकार की है, ''ऐसा व्यक्ति जो किसी परियोजना से सम्बन्धित कंपनी का गठन करता है और उसे आरम्भ करता है और जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है।''

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (69) के अनुसार प्रवर्तक से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है :

क) जिसे प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) में उस रूप में नामित किया है या धारा 92 में निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी में कंपनी द्वारा परिचित कराया गया है; या

ख) जिसका कंपनी के काम काज पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चाहे किसी शेयर धारक, निदेशक के रूप में या अन्यथा नियंत्रण है; या

ग) जिसकी सलाह, निदेशों या अनुदेशों के अनुसार कंपनी का निदेशक बोर्ड कार्य करने का अभ्यस्त है।

जो व्यक्ति केवल किसी पेशेवर की हैसियत से ही कार्य कर रहा है उस पर यह बात लागू नहीं होती, वह प्रवर्तक नहीं माना जायेगा।

नीचे लिखे वर्णन से प्रवर्तक के कार्यों की प्रकृति का पता लगता है जिनसे प्रवर्तक सामान्यतः जुड़ा होता है। ये हैं :

1) वह कंपनी का गठन करता है और इसे चलते देखता है।

2) वह उन सब आवश्यक कार्यवाहियों को अपने ऊपर लेता है जो कंपनी के गठन के लिए चाहिए।

3) वह निदेशक बोर्ड का निदेश, सलाह व आदेश देता है।

4) वह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखता है।

कंपनी के एक से अधिक प्रवर्तक हो सकते हैं। प्रवर्तक एक व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का सूमह या निगमित निकाय (body Corporate) हो सकते हैं। यहां तक कि यदि किसी व्यक्ति ने प्रवर्तन प्रक्रिया में मामूली सा भी भाग लिया हो, तो वह भी प्रवर्तक हो सकता है। परन्तु यदि किसी व्यक्ति ने सीमानियम में हस्ताक्षर किये हैं अथवा उसने कंपनी के गठन से सम्बन्धित व्ययों के लिए धन जुटाया है या पेशेवर की हैसियत (professional capacity) में कार्य किया है तो इतने से ही वह प्रवर्तक नहीं बन जाता है। उदाहरण के लिए, कंपनी के निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना या कंपनी के पंजीकरण के दस्तावेज तैयार करना। अतः एक कानूनी सलाहकार (सॉलिसिटर) जो अन्तर्नियम तैयार करता है या एक लेखाकार, कंपनी जो परिसम्पत्तियाँ क्रय करना चाहती है, उनका मूल्यांकन करता है वे अपने पेशे की हैसियत से प्रवर्तकों की सहायता करता है। यदि वह इससे अधिक कार्य करता है जैसे अपने ग्राहकों (clients)

का ऐसे व्यक्ति से परिचय कराता है जो उस कंपनी के शेयर क्रय करना चाहते हैं, प्रवर्तक माना जायेगा। परन्तु एक व्यक्ति जिसने सीमानियम में केवल एक अभिदाता के रूप में, एक या अधिक शेयर के लिए हस्ताक्षर किये हैं, प्रवर्तक नहीं बन सकता (Official liquidator v. Velu Mudaliar)।

उपर्युक्त विवरण से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रारंभिक कर्त्तव्यों को पालन करता है। इस प्रकार यह निर्णय करने के लिए कि कौन व्यक्ति प्रवर्तक है, हमें यह देखना चाहिए कि क्या वह कंपनी का गठन करने का इच्छुक है तथा इसके लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है या नहीं।

कंपनी के गठन कार्य में, प्रवर्तक वास्तव में अत्यन्त महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। वे समाज की सेवा करते हैं तथा देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। प्रवर्तक को ''धन का जनक'' तथा ''आर्थिक मसीहा'' कहा जाता है। प्रवर्तक बहुत जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं क्योंकि यदि उनकी परिकल्पना गलत निकलती है तो जो भी धन व समय उन्होंने उसमें लगाया है, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं।

6.3.2 प्रवर्तक के कार्य

आप पढ़ चुके हैं कि कंपनी के गठन में प्रवर्तक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने यह भी पढ़ा कि एक व्यक्ति, संस्था या कंपनी प्रवर्तक हो सकती है। प्रवर्तक की हैसियत से कंपनी का निगमन करने तथा इसका कार्य आरम्भ करने के लिए प्रवर्तक निम्नलिखित कार्य करते हैं :

i) **कंपनी के गठन की योजना की परिकल्पना :** प्रवर्तक ही सामान्यतः वे पहले व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय करने के विचार की योजना बनाते हैं। वे इस बात की आवश्यक जांच-पड़ताल का कार्य करते हैं कि क्या कंपनी का गठन संभव तथा लाभप्रद होगा। तत्पश्चात्, वे आवश्यक साधनों को संगठित करके अपने विचारों को वास्तविक रूप देने के लिए कंपनी गठित करते हैं। इस अर्थ में प्रवर्तक ही कंपनी के गठन की योजना बनाने वाले पहले व्यक्ति होते हैं।

ii) **परियोजना से जुड़ने के लिए तैयार आवश्यक संख्या में व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना :** निजी कंपनी का गठन करना है अथवा सार्वजनिक कंपनी का, उसी के अनुसार प्रवर्तक आवश्यक संख्या में व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या सात तथा निजी कंपनी की दशा में यह संख्या दो होती है। कंपनी के स्वरूप के अनुसार, प्रवर्तक प्रारम्भिक सदस्यों की संख्या तय करते हैं।

iii) **कंपनी के प्रथम निदेशकों के रूप में कार्य करने के लिए सहमत व्यक्तियों को खोजना एवं उनकी सहमति प्राप्त करना :** आप इकाई 5 में पढ़ चुके हैं कि कंपनी में प्रतिनिधित्व प्रबन्ध प्रणाली का चलन होता है तथा इसका प्रबन्ध ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें निदेशक कहते हैं। साधारणतः कंपनी के प्रवर्तक ही प्रथम निदेशक स्वयं होते हैं या वे ही निदेशकों की नियुक्ति करते हैं। प्रवर्तक कुछ ऐसे व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करते हैं जो उनके विचार में इस

कार्य के लिए उपयुक्त हैं और ऐसे व्यक्तियों को ही प्रस्तावित कंपनी का प्रथम निदेशक नियुक्त किया जाता है। कई बार प्रवर्तक स्वयं ही पहले निदेशक बनते हैं।

iv) **कंपनी के नाम के विषय में निर्णय करना** : कंपनी के नाम का चयन करने के लिए प्रवर्तकों को कंपनियों के रजिस्ट्रार से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। आम तौर से प्रवर्तक कंपनी के लिए प्राथमिकता के आधार पर तीन नामों का सुझाव देते हैं। नाम का चयन करते समय प्रवर्तकों को ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी का प्रस्तावित नाम पहले से ही चल रही किसी कंपनी के नाम जैसा या उससे मिलता-जुलता न हो। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो नाम उन्होंने सुझाए हैं वह कारपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) द्वारा बनाए गये नियम और दिशा निर्देश के अनुसार हैं। हम कंपनी के नाम से सबंधित प्रावधानों को इकाई 7 में विस्तार से चर्चा करेंगे।

v) **प्रस्तावित कंपनी के दस्तावेज तैयार करवाना** : आप अगली इकाई में पढ़ेंगे कि कंपनी का पंजीयन कराने तथा इसे अस्तित्व में लाने के लिए कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज, जैसे कंपनी के सीमानियम (Memorandum of Association) एवं अन्तर्नियम (Articles of Association) फाइल (जमा) कराने पड़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि निगमन से पूर्व कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए इन दस्तावेजों को तैयार करवाने का कार्य भी प्रवर्तक ही करते हैं। कानूनी सलाहकारों की सहायता से प्रवर्तक सीमानियम एवं अन्तर्नियम तैयार करने व छपाई कराने का कार्य करते हैं। यदि प्रस्तावित कंपनी सार्वजनिक कंपनी है जो निगमन के बाद शेयर जारी करेगी, तब प्रवर्तक को प्रविवरण (Prospectus) भी तैयार करने व छपाई कराने की व्यवस्था करनी चाहिए।

vi) **कंपनी के लिए बैंकर, दलाल तथा कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति** : कंपनी के निगमन के लिए अनेक कानूनी औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। गठन से सम्बन्धित अनेक विषयों के लिए प्रवर्तकों को कानूनी सलाहकारों की सहायता लेनी पड़ती है। अतः कंपनी के गठन की प्रक्रियों में सहायता प्राप्त करने के लिए वे कानूनी सलाहकार (सॉलिसिटर) नियुक्त करते हैं कंपनी का गठन किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाता है अतः इसे धन के प्रबन्धन का भी कार्य करना होता है। इसलिए प्रवर्तकों को बैंकर की नियुक्ति अवश्य ही करनी चाहिए जो शेयरों के प्रार्थना-पत्र की राशि को प्राप्त करें। यदि प्रस्तावित कंपनी सार्वजनिक कंपनी है और जनता द्वारा पूँजी जुटाने का प्रस्ताव है तो प्रवर्तकों को कंपनी के प्रथम पूँजी निर्गमन को सफल बनाने के लिए अभिगोपक (underwriters) तथा दलालों (brokers) की भी नियुक्ति करनी चाहिए।

vii) **परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक करार करना** : कंपनी की फैक्ट्री के लिए प्रवर्तकों को उपयुक्त स्थान का क्रय करना होता है, प्लांट एवं मशीनरी की व्यवस्था करनी होती है तथा महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्तियां भी करनी होती हैं। कई बार कंपनी के कारोबार को ठीक से

चलाने के लिए किसी चल रहे व्यवसाय की परिसम्पत्तियों को खरीदने का कार्य भी करना पड़ता है। ऐसी परिसम्पत्तियों या व्यवसाय को उचित शर्तों पर खरीदने का कार्य भी प्रवर्तक ही करते हैं।

viii) **विक्रेताओं के साथ प्रारम्भिक अनुबन्ध करना :** जैसा कि ऊपर बताया गया है कंपनी के लिए आवश्यक परिसम्पतियां खरीदने के लिए प्रवर्तकों को विक्रेताओं से अनुबंध करने के लिए शर्तों को तय करने का कार्य भी करना पड़ता है। ऐसे अनुबन्धों को प्रारम्भिक अनुबन्ध कहते हैं।

ix) **रजिस्ट्रार के पास आवश्यक दस्तावेजों को जमा कराने की व्यवस्था करना :** कंपनी के पंजीयन के लिए प्रवर्तकों को स्टाम्प शुल्क, दस्तावेज जमा कराने की फीस तथा अन्य व्ययों का भुगतान करना पड़ता है। प्रवर्तकों को ही इस बात का पूरा-पूरा ध्यान करना पड़ता है कि कंपनी के निगमन से सम्बन्धित समस्त कानूनी औपचारिकताओं का पालन कर दिया गया है।

कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए प्रवर्तकों द्वारा की जाने वाली बहुत सी कार्यवाहियों के बारे में आप ऊपर पढ़ चुके हैं। व्यवसाय के विचार की परिकल्पना करके प्रवर्तक इसकी सुदृढ़ता को देखता है, तत्पश्चात् वह अपने विचारों को साकार रूप देने के लिए आवश्यक साधनों को संगठित करता है। वह कंपनी के लिए आवश्यक सम्पत्ति, प्लांट एवं मशीनरी खरीदने के लिए आवश्यक बातचीत करके उन्हें प्राप्त करता है, तथा कंपनी को जितनी पूँजी की आवश्यकता हो, उतनी पूँजी एकत्रित करने की व्यवस्था करता है इसके अतिरिक्त, प्रवर्तक उन व्यक्तियों से भी बातचीत करता है जो कंपनी के प्रथम निदेशक का उत्तरदायत्वि संभालने को तैयार हैं।

यहां यह ध्यान रहे कि कंपनी का निर्माण वैध उद्देश्यों के लिए ही हो सकता है। कंपनी का उद्देश्यों अवैधानिक होगा यदि –

क) यह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, या

ख) यह भारत में लागू होने वाले किसी अन्य कानून के प्रावधानों के विपरीत है।

प्रवर्तक सीमित दायित्व वाली अथवा असीमित दायित्व वाली कंपनी का गठन कर सकते हैं। सीमित दायित्व वाली कंपनी की दशा में, सदस्यों का दायित्व शेयरों अथवा गारंटी द्वारा सीमित हो सकता है।

इसके पश्चात् प्रवर्तक कंपनियों के प्रस्तावित नाम के लिए अनुमति प्राप्त करता है। अब आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रवर्तक प्राथमिकता के क्रम में तीन या चार नामों का चुनाव करते हैं ताकि कोई एक नाम की स्वीकृति मिल जाए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 में प्रावधान है कि कोई भी कंपनी ऐसे नाम से पंजीकृत नहीं की जाएगी :

क) जो नाम पहले से ही हम अधिनियम के या अन्य पहले कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विद्यमान किसी कंपनी के नाम जैसा या उससे मिलता जुलता हो या

ख) ऐसा हो जो (i) किसी कानून के अन्तर्गत वह अपराध हो या (iii) जो केन्द्र सरकार के मत के अवांछनीय हो।

इस सम्बन्ध में आप सीमानियम से सम्बन्धित इकाई 7 में विस्तार से अध्ययन करेंगे।

कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास कंपनी के पंजीयन के लिए आवेदन देने से पहले, प्रवर्तक को महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे सीमानियम तथा अन्तर्नियम तैयार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर लेनी चाहिए। इस कार्य के लिए कंपनी के प्रवर्तक कानून विशेषज्ञ, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट या कंपनी सचिव की सहायता ले सकते हैं। ये दस्तावेज छपे हुए होने चाहिए। सीमानियम तथा अन्तर्नियमों पर स्टाम्प होना चाहिए। यह स्टाम्प शुल्क अलग अलग राज्यों में वहां के राज्य स्टाम्प कानून के अनुसार होता है।

अधिनियम की धारा 7 तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये नियम के अनुसार सीमानियम तथा अन्तर्नियमों पर प्रत्येक अभिदाता के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए तथा उसे नाम, विवरण तथा पेशा, यदि कोई है तो कम से कम एक गवाह की उपस्थिति में लिखने होंगे तथा गवाह को अभिदाता के हस्ताक्षर प्रमाणित कर स्वयं अपने हस्ताक्षर करने होंगे तथा अपना, नाम, पता और व्यवसाय सम्बन्धी विवरण भी देना होगा। गवाह को अपनी पहचान (ID) भी देनी होगी। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि सीमानियम व अन्तर्नियम पर प्रवर्तक स्वयं हस्ताक्षर करें।

निदेशकों की इस रूप में कार्य करने की लिखित सहमति भी फाइल करना आवश्यक है। निदेशकों द्वारा योग्यता शेयर खरीदने तथा उसका मूल्य चुकाने का लिखित वचन भी दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता से और ऐसे व्यक्तियों से, जिनका नाम प्रथम निदेशकों के रूप में है यह शपथ पत्र (affidavit) फाइल किया जाए कि उसे किसी भी पंजीकृत कंपनी के प्रवर्तन, गठन या प्रबंधन के संबंध के किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं किया गया है या उसे पिछले पांच वर्षों में इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अधीन, किसी कपट या अपकरण या किसी पंजीकृत कंपनी के कर्त्तव्य के भंग का दोषी नहीं पाया गया और यह कि कंपनी कंपनी के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए सभी दस्तावेजों मे जो जानकारी दी गयी है वह उसकी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण तथा सत्य है।

इस आशय की सांविधिक घोषणा कि कंपनी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों का अनुपालन कर दिया गया है भी फाइल की जानी चाहिए। घोषणा : अधिवक्ता (advocate), चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, लागत लेखापाल या कंपनी सचिव द्वारा, जो कंपनी के गठन में शामिल हैं और उस व्यक्ति द्वारा जिसका नाम अन्तर्नियमों में निदेशक, प्रबंधक या मैनेज़र के रूप में दिया गया है द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

इन कार्यों के अतिरिक्त, कंपनी की विशिष्ट प्रकृति तथा उद्देश्यों के अनुसार, प्रवर्तकों को पंजीकरण कराने के लिए कंपनी अधिनियम की कुछ अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा करना पड़ता है। इसमें शामिल हैं – i) प्रस्तावित कंपनी का उद्योग (विकास एवं नियंत्रण) अधिनियम 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करना ii) पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना ii) प्रारम्भिक अनुबन्ध करना और iv) प्रविवरण तैयार करना।

बोध प्रश्न 1

1) कंपनी के प्रवर्तन का क्या अर्थ हैं?

....

....

....

2) प्रवर्तक के क्या-क्या कार्य हैं?

....

....

....

....

....

3) रिक्त स्थानों को भरिये :

i) कंपनी के गठन के लिए प्रवर्तकों को .... अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है।

ii) कंपनी गठन की तीन अवस्थाएं हैं, प्रवर्तन, ... तथा व्यापार आरम्भ करना।

iii) कंपनी के प्रवर्तन का कार्य .... से आरम्भ होता है।

iv) कंपनी का गठन केवल .... उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।

v) ऐसी कंपनी, जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं .... कंपनी कहलाती है।

vi) अधिनियम की धारा 5 के अनुसार कोई भी कंपनी किसी ऐसी नाम से पंजीकृत नहीं की जाएगी जो .... के मत में .... है।

vii) कंपनी के आन्तरिक प्रबन्धन सम्बन्धी मामलों के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें .... कहते हैं।

viii) कंपनी का पंजीकरण कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास सीमानियम तथा अन्तर्नियम फाइल करने से पहले इन दस्तावेज़ों पर प्रस्तावित कंपनी के प्रत्येक .... होने चाहिए।

ix) सीमानियम के अभिदाताओं को कम से कम एक .... की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने चाहिए।

6.4 रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेज

प्रवर्तकों ने जब आवश्यक दस्तावेज तैयार करवा लिए हों तो कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास इन दस्तावेज़ों को फाइल (जमा) कर देना होता है। कंपनी का पंजीकरण कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज फाइल किए जाने आवश्यक होते हैं।

1) **सीमानियम (Memorandum of Association)** : सीमानियम कंपनी का चार्टर होता है। प्रत्येक कंपनी को यह बनाना आवश्यक है। इनमें इन उद्देश्यों का वर्णन होता है जिनके लिए कंपनी का निर्माण किया जाता है। सीमानियम के खंडों से कंपनी के बारे में सम्पूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसमें कंपनी के उद्देश्य, नाम, दायित्व की प्रकृति, पंजीकृत कार्यालय का पता व राज्य जिसमें पंजीकृत कार्यालय होगा तथा अधिकृत पूँजी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सीमानियम में उन, व्यक्तियों के नाम, पते

तथा अन्य निर्धारित विवरण होने चाहिए जिन्होंने अपने नाम की सहमति सीमानियम में दी है। सीमानियम कंपनी के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करता है तथा बाहरी व्यक्तियों से संबंध नियमित करता है। सीमानियम कंपनी अधिनियम की अनुसूची 1 में (सारणी क ख ग घ और ड़) (Table A,B,C,D and E) वर्णित प्रारूपों में किसी भी प्रारूप के समान या उससे मिलते जुलते प्रारूप में होना चाहिए जो कंपनी के लिए उपयुक्त हो।

कंपनी का पंजीकरण कराने के लिए, प्रवर्तकों को सीमानियम की छपी, हस्ताक्षरित तथा स्टाम्पित कापी रजिस्ट्रार के पास फाइल करानी होती है। यह याद रहे कि निजी कंपनी में सीमानियम पर दो व्यक्तियों के और इसके विपरीत सार्वजनिक कंपनी में सात व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

2) **अन्तर्नियम (Article of Association) :** कंपनी के अन्तर्नियमों में कंपनी के आंतरिक प्रबन्धन संबंधी नियम व विनियम दिए होते हैं अतः ये कंपनी और सदस्यों के बीच सम्बन्धों को नियमित करते हैं। सभी कंपनियों के लिए अन्तर्नियम आवश्यक हैं। परन्तु कोई भी कंपनी, उस कंपनी को लागू आदर्श अन्तर्नियम में अंतर्विष्ट सूची के किसी नियम को अपना सकती है। विभिन्न प्रकार की कंपनियों के संबंध में मॉडल अन्तर्नियम अधिनियम की अनुसूची 1 की सारणी च, छ, ज, झ और त्र (Table F, G, H, I and J) में दिए हैं।

अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पंजीकृत कंपनी के पंजीकृत अन्तर्नियमों पर मॉडल अन्तर्नियमों **(model articles)** में दिए गये निमय लागू होंगे जब तक उन्हें संशोधित या अलग न कर दिया गया हो।

अन्तर्नियमों पर अभिदाताओं के अलग-अलग से हस्ताक्षर होंगे और वे गवाह से प्रमाणित होंगे। याद रहे निजी कंपनी में दो और इसके विपरीत सार्वजनिक कंपनी में सात व्यक्तियों के अन्तर्नियम पर हस्ताक्षर होंगे।

3) **सीमानियम के अभिदाताओं व प्रथम निदेशकों द्वारा शपथ पत्र** : सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता से और उन व्यक्तियों से जिनका नाम प्रथम निदेशकों के रूप में है, यदि कोई हैं, अन्तर्नियम में, यह शपथपत्र फाइल किया जाना चाहिए कि उसे किसी पंजीकृत कंपनी के प्रवर्तन, या गठन या प्रबंधन के संबंध में किसी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं किया गया है या यह कि उसे पिछले पांच वर्षों के दौरान इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कपट या अपकरण या किसी कंपनी के कर्त्तव्य भंग के लिए दोषी नहीं पाया गया है और पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को फाइल के लिए किए गए सभी दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण तथा सत्य है (धारा 7(1)(c))।

4) **उन व्यक्तियों की सूची जो कंपनी के पहले के निदेशक बनने के लिए सहमति दे चुके हैं फाइल की जानी चाहिए** : अन्तर्नियमों में ऐसे व्यक्तियों के नाम, उपनाम, कुटुंब नाम, निवास स्थान का पता, राष्ट्रीयता, निदेशक पहचान संख्या और ऐसे अन्य विवरण जो इस संबंध में निर्धारित हैं फाइल किए जाएं।

इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रथम निदेशकों के रूप में अन्तर्नियमों में उल्लेखित व्यक्तियों का अन्य फर्मों या निगमित निकायों में हितों का विवरण तथा उसके साथ कंपनी के निदेशकों के रूप में कार्य करने की उनकी सहमति भी रजिस्ट्रार के पास निर्धारित प्रारूप व रीति में फाइल करनी होगी।

5) **पत्र व्यवहार के लिए पताः** जब तक कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय प्राप्त नहीं कर लेती है, उसे संपर्क के लिए पता देना होगा।

यद्यपि कंपनी की धारा 12 के अनुसार, पंजीयन के 15 दिनों के भीतर, सभी प्रकार के पत्र व्यवहार, प्राप्ति सूचना (पावती) और नोटिस के लिए, जो उसके नाम में भेजे जा सकते हैं पंजीकृत कार्यालय स्थापित करना होगा।

धारा 12 और जो इस संबंध में नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत कंपनी को निर्धारित फार्म न 2.25 में निगमन के 30 दिनों के भीतर पंजीकृत कार्यलय का सत्यापन रजिस्ट्रार को देना होगा।

6) **सांविधानिक घोषणा** : अन्त में, कंपनी प्रवर्तकों को यह सांविधिक घोषणा अवश्य करनी चाहिए कि कंपनी अधिनियम की सभी आवश्यकताओं तथा पंजीयन संबंधी इसके नियमों का पालन कर लिया गया है। इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं :

i) एडवोकेट या

ii) चार्टर्ड लेखापाल या

iii) लागत लेखापाल या

iv) कंपनी सचिव

जो प्रैक्टिस करने वाला हो तथा कंपनी के गठन कार्य में संलग्न रहा हो **और ऐसे** व्यक्ति द्वारा जिसका नाम कंपनी के अन्तर्नियमों में निदेशक, प्रबंधक या सचिव के रूप को दिया गया हो।

बोध प्रश्न 2

1) किन्हीं तीन दस्तावेजों को सूचीबद्ध कीजिए जिन्हें किसी कंपनी के निगमन के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाना आवश्यक होता है।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

2) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत**।

i) कंपनी के सीमानियम उन उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं, जिनके लिए कंपनी का गठन किया जाता है।

ii) अन्तर्नियम कंपनी और तीसरे पक्षकारों के बीच के संबंधों को नियमित करते हैं।

iii) कंपनी और उसके सदस्यों के बीच सम्बन्ध अन्तर्नियम द्वारा नियमित होते हैं।

iv) निजी कंपनी के पंजीयन के लिए, रजिस्ट्रार के पास अन्तर्नियम को फाइल करना आवश्यक है।

v) कंपनी के निदेशकों की सूची के साथ निदेशक के रूप में कार्य करने की उनकी लिखित सहमति भी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी चाहिए।

6.5 निगमन

जब रजिस्ट्रार के पास सभी आवश्यक दस्तावेज निर्धारित शुल्क सहित जमा करा दिए जाते हैं, जब वह इन दस्तावेजों की जांच करता है तथा जब वह सन्तुष्ट हो जाता है कि (क) सभी दस्तावेज ठीक हैं, (ख) पंजीयन सम्बन्धी कंपनी अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन कर दिया गया है, तथा (ग) जिस उद्देश्य के लिए कंपनी का निर्माण किया जा रहा है वह यदि वैध है तब वह अपने कार्यालय में रखे हुए कंपनियों के रजिस्टर में कंपनी का नाम लिख देगा। तत्पश्चात् वह अपने हस्ताक्षर करके निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण-पत्र जारी कर देगा जो इस बात का प्रमाण है कि कंपनी का निगमन हो गया है। इस प्रमाण-पत्र को ही निगमन प्रमाण-पत्र कहते हैं। इस प्रमाण-पत्र में कंपनी का नाम, इसके जारी करने की तिथि तथा रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व उसकी मुद्रा (seal) अंकित होते हैं। निगमन प्रमाण पत्र वास्तव में कंपनी के जन्म का प्रमाण-पत्र होता है तथा इसके प्राप्त होने पर कंपनी शाश्वत अस्तित्व वाली निगमित संस्था बन जाती है जिसकी एक सामान्य मुद्रा होती है। निगमन प्रमाण-पत्र में लिखी तिथि से ही कंपनी को अस्तित्व में माना जाता है।

यदि रजिस्ट्रार के विचार में किस दस्तावेज में कोई मामूली सी त्रुटि या कमी है, तो वह उसे ठीक करने के लिए कह सकता है, परन्तु यदि उनमें कोई महत्वपूर्ण तथा भारी दोष है तो वह कंपनी का पंजीयन करने से इन्कार कर सकता है।

निगम पहचान संख्या आबंटन (CIN) धारा 7(3) के अनुसार निगमन प्रमाण पत्र उल्लिखित तिथि से ही रजिस्ट्रार कंपनी को निगम पहचान संख्या (Corportate Identity Number) आबंटित करेगा, जो कंपनी के लिए एक भिन्न पहचान होगी और जिसे प्रमाण-पत्र में भी शामिल किया जाएगा।

6.5.1 निगमन प्रमाण-पत्र का निश्चायक प्रमाण

किसी भी संस्था को जब रजिस्ट्रार द्वारा निगमन प्रमाण-पत्र दे दिया जाता है तो यह इस बात का निश्चायक प्रमाण है कि कंपनी पंजीयन से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिय गया है। निगमन प्रमाण-पत्र कंपनी की विधिवत स्थापना एवं पंजीयन का निश्चायक प्रमाण होता है। इसे **पील्स (Peels)** के केस का नियम भी कहते हैं। इस मामले के हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात् परन्तु पंजीयन से पहले सीमानियम में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया। निर्णय दिया गया कि कंपनी के निगमित स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा निगमन प्रमाण-पत्र को वैध माना गया। नियम की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए Lord Cairns ने कहा कि **जब एक बार सीमानियम का पंजीकरण हो जाता है तो समस्त संसार के सामने कंपनी को शेयरधारी रखने, व्यापार करने तथा व्यापार सम्बन्धी अनुबन्ध करने के योग्य घोषित किया जाता है। ऐसी स्थिति में इतना सब कुछ होने के पश्चात् यह बहुत ही खतरनाक होगा यदि किसी व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाए कि फिर से कंपनी के पंजीकरण की परिस्थितियों एवं मूल दस्तावेजों को नियमितता की जांच-पड़ताल करे।**

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब रजिस्ट्रार एक बार निगमन प्रमाण पत्र जारी कर देता है तो निगमन से पहले की गई किसी भी अनियमितता के होने पर भी, निगमन प्रमाण-पत्र की वैधता को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती और इस में कोई जांच पड़ताल किसी भी आधार पर नहीं होगी।

मूसा गुलाम आरिफ बनाम इब्राहिम गुलाम आरिफ के मामले में सार्वजनिक सीमित कंपनी के सीमानियम के सात हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से दो बालिग व्यक्ति थे तथा शेष पांच नाबालिग सदस्य थे। नाबालिगों के अभिभावकों ने प्रत्येक के लिए सीमानियम पर पृथक-पृथक हस्ताक्षर कर दिए। रजिस्ट्रार ने कंपनी का पंजीयन करके निगमन प्रमाण-पत्र जारी कर दिया। वादी ने कंपनी के निगमन को चुनौती देते हुए न्यायालय से प्रार्थना की कि निगमन प्रमाण-पत्र को व्यर्थ घोषित किया जाए। प्रीवी कौंसिल ने वादी के तर्क को अस्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि निगमन प्रमाण-पत्र वैध है।

निगमन प्रमाण-पत्र इस तथ्य का भी निश्चायक प्रमाण है कि कंपनी उस तारीख को अस्तित्व में आई जो निगमन प्रमाण-पत्र में लिखी गई है। **जुबली कॉटन मिल्स लिमिटेड बनाम लीविस** के मामले में कंपनी ने 6 जनवरी को रजिस्ट्रार के पास पंजीयन से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए। रजिस्ट्रार ने 8 जनवरी को कंपनी को पंजीकृत करके निगमन प्रमाण पत्र जारी कर दिया परन्तु उस पर 8 जनवरी की तारीख के बजाय 6 जनवरी लिख दिया। कंपनी ने 6 जनवरी को (प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से पहले) कुछ शेयर भी लीविस को आबंटित कर दिए। निगमन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से पहले किए गये इस आबंटन की वैधता को चुनौती दी गई तथा प्रार्थना की गई कि इस आबंटन को व्यर्थ घोषित किया जाए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निगमन प्रमाण-पत्र उसमें लिखी सभी बातों के बारे में निश्चायक प्रमाण है अतः कंपनी का गठन 6 जनवरी को हुआ माना गया तथा शेयरों को आबंटन वैध माना गया।

आप नोट करें धारा 7 की उपधारा (5), (6) और (7) के अनुसार मिथ्या या गलत जानकारी या कोई महत्वपूर्ण तथ्य या जानकारी छिपाने के लिए कम से कम छह मास का कारावास जो दस वर्ष तक का हो सकता और जुर्माना भी हो सकता है और यह जुर्माना कपट की रकम से कम नहीं होगा किन्तु यह जुर्माना कपट की रकम से तीन गुना भी हो सकता है।

उपरोक्त दंड के अतिरिक्त यदि अधिकरण को आवेदन किया गया है और यह आश्वस्त होने पर कि स्थिति के अनुसार (क) कंपनी के प्रबंधन के विनियमन के लिए जिसके अन्तर्गत उसके सीमानियम व अन्तर्नियम का परिवर्तन भी शामिल है, यदि कोई है, लोकहित और सदस्यों और लेनदारों के हित में ऐसे आदेश पास कर सकता है जो वह ठीक समझता है या (ख) यह आदेश दे सकता है कि सदस्यों का दायित्व असीमित होगा, या (ग) कंपनियों के रजिस्ट्रार से कंपनी के नाम को हटाने का आदेश दे सकता है या (घ) कंपनी के समापन का कोई आदेश पारित कर सकता है या (ड) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

परन्तु ऐसा आदेश देने से पहले :

i) कंपनी को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा; और

ii) अधिकरण कंपनी द्वारा किये गए लेन देन पर, जिसके अन्तर्गत अनुबन्ध की गई बाध्यताएं, यदि कोई हों या किसी दायित्व के भुगतान भी है, विचार करेगा।

परन्तु इस संबंध में यह स्मरण रखना बहुत आवश्यक है कि कंपनी के सीमानियम में उद्देश्य खंड के अन्तर्गत वर्णित किसी अवैध उद्देश्य को निगमन प्रमाण पत्र वैध नहीं बना देता है। अतः यदि किसी ऐसी कंपनी का पंजीकरण कर लिया गया है जिसके उद्देश्य अवैधानिक है, तो निगमित हो जाने पर वे अवैध उद्देश्य वैध नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में एकमात्र उपाय यही है कि कंपनी का समापन किया जाए।

6.5.2 पंजीयन के प्रभाव

अभी-अभी आप पढ़ चुके हैं कि रजिस्ट्रार द्वारा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र को निगमन प्रमाण पत्र कहते हैं। यह प्रमाण-पत्र कंपनी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्योंकि कंपनी का निगमित जीवन प्रमाण-पत्र में दी गयी तारीख से ही आरम्भ हुआ माना जाता है।

कंपनी से सीमानियम, अन्तर्नियम तथा अन्य प्रस्तावित करार आदि जब रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिए जाते हैं तब रजिस्ट्रार कंपनी को निगमन प्रमाण पत्र जारी करता है। इस प्रमाण-पत्र में रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर द्वारा यह प्रमाणित करता है कि कंपनी का निगमन हो गया है। यदि कंपनी सीमित दायित्व वाली कंपनी है तो रजिस्ट्रार यह भी प्रमाणित करता है कि कंपनी सीमित कंपनी है।

निगमन की तारीख से अर्थात् निगमन प्रमाण पत्र में लिखी हुई तारीख से, कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक विधिक अस्तित्व हो जाता है। धारा 9 में पंजीयन के प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया गया हैं :

धारा 9 कहती है "निगमन प्रमाण-पत्र में उल्लिखित निगमन की तारीख से, सीमानियम के मूल अभिदाता और सभी अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर कंपनी का सदस्य बनने वाले अन्य व्यक्ति, सीमानियम में, इस अधिनियम के अधीन एक निगमित निकाय होंगे, कंपनी सभी कार्यों को करने के लिए समर्थ होगी और उसका शाश्वत् उत्तराधिकार तथा उसके पास मूर्त/अमूर्त, चल व स्थायी (immovable/tangible) दोनों प्रकार की सम्पत्ति को रखने का तथा निपटाने की, तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा और उसे अपने नाम से वाद लाने और इसके विरुद्ध वाद लाए जाने की शक्ति होगी।

निगमन के प्रभाव इस प्रकार हैं :

i) निगमन की तारीख से सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले मूल अभिदाता तथा समय-समय पर कंपनी के सदस्य बनने वाले अन्य व्यक्ति, सीमानियम में दिए नाम से एक निगमित संस्था बन जाते हैं। यदि आप स्मरण करें तो आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि निगमन के पश्चात् कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व हो जाता हैं कंपनी एक वैधिक व्यक्ति बन जाती है। कंपनी का जीवन निगमन की तारीख से आरम्भ होता है।

ii) कंपनी को शाश्वत् उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाता है। इसके परिणाम को एक उदाहरण देकर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। यदि किसी कंपनी में दस सदस्य हैं और एक रेल दुर्घटना में अचानक उन सभी की मृत्यु हो जाती है तब भी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य शब्दों में, कंपनी के सदस्य आते-जाते रह सकते हैं परन्तु जब तक कंपनी का समापन नहीं कर दिया जाता वह निरन्तर चलती रहती है।

iii) कंपनी स्वयं अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकती है तथा उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है।

iv) कंपनी की देयताएं एवं ऋण कंपनी के ही होते हैं, उसके शेयरधारियों या सदस्यों के नहीं। फिर भी वे अनुबन्ध के अन्तर्गत अपने दायित्व की सीमा तक या गारन्टी की गई राशि तक कंपनी के समापन की दशा में ही, कंपनी को अंशदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

v) कंपनी को अपनी सम्पत्ति अपने नाम से रखने का अधिकार होता है। कंपनी की सम्पत्ति शेयरधारियों की सम्पत्ति नहीं होती।

vi) कंपनी के सीमानियम तथा अन्तर्नियम कंपनी पर तथा प्रत्येक सदस्य पर बाध्य होते हैं। अन्तर्नियमों को कंपनी और सदस्यों के बीच एक अनुबन्ध माना जाता है तथा निगमन के पश्चात् ये (क) कंपनी के प्रति सदस्यों के (ख) सदस्यों के प्रति कंपनी के तथा (ग) कंपनी के सदस्यों के परस्पर अधिकारों को नियमित करते हैं।

6.6 व्यापार आरम्भ करना

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2015 के अनुसार 25 मई 2015 से एक कंपनी निगमन प्रमाण पत्र मिलने पर व्यापार तुरन्त आरम्भ कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 11 समाप्त कर दी गई है, जिनके अनुसार, शेयर पूँजी वाली कंपनी को एक व्यापार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ता था।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2017 के अनुसार कोई कंपनी व्यवसाय शुरू नहीं कर सकती जब तक कि (i) निगमन के 180 दिनों के भीतर एक घोषणापत्र दाखिल नहीं करती है यह पुष्टि करते हुए कि कंपनी के प्रत्येक सदस्य ने सहमति वाले शेयर जो उन्होंने लिए थे उनका भुगतान कर दिया गया है, और (ii) निगमन के 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार से अपने पंजीकृत कार्यालय के पते का सत्यापन कराना है। यदि कोई कंपनी इन प्रावधानों का पालन करने में विफल रहती है और ऐसा पाया जाता है कि वह किसी व्यवसाय को नहीं करती हैं, तो कंपनी का नाम कंपनी रजिस्टर से हटा दिया जा सकता है।

6.7 सभाएं

कंपनी का कारोबार निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है, जिन्हें निदेशक कहते हैं। निदेशक मंडल की सभाओं में निदेशक निर्णय लेते हैं। परन्तु वे कंपनी के कारोबार से सम्बन्धित समस्त विषयों पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिनका निर्णय शेयरधारकों की साधारण सभा में लिया जाता है। इस कारण शेयरधारियों की सभा बुलाई जाती हैं जिसमें शेयरधारियों द्वारा प्रस्ताव पारित कर के निर्णय लिए जाते हैं। इस इकाई में आप सभाओं के विभिन्न प्रकारों का तथा इन सभाओं में क्या-क्या कार्यवाही की जाती हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। कंपनी अधिनियम में इन सभाओं को बुलाने व संचालन संबंधी नियम दिए गए हैं।

6.7.1 सभाओं का अर्थ एवं महत्व

सभा की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं ''किसी वैध व्यापार को करने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने या मिलने या समूह को सभा कहते हैं। कंपनी के कारोबार

को कुशल ढंग से चलाने के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी के शेयरधारी समय-समय पर सभाएं तथा पारस्परिक हितों से सम्बन्धित विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते रहें। सभा ऐसा मंच प्रदान करती है जहां पर सभी व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, तथा खुले ढंग से बहस कर सकते हैं। सभाओं में लिए गए निर्णय सभी को सामान्यतः स्वीकार होते हैं तथा उनका फिर विरोध नहीं किया जाता।

किसी भी वैध सभा के लिए कम से कम दो व्यक्ति अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कोई सभा नहीं कर सकता परन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जब अकेला व्यक्ति वैध सभा कर सकता है। ये इस प्रकार हैं :

क) जब किसी वर्ग के समस्त शेयर किसी एक व्यक्ति के पास हैं, तो वह अकेला व्यक्ति उस वर्ग की सभा कर सकता है।

ख) जब अधिकरण के आदेश पर सभा बुलाई जाती है, तो अधिकरण आदेश दे सकता है कि एक सदस्य के व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित होने पर वैध सभा हो सकती है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में कंपनी की सभाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके द्वारा शेयरधारियों को कंपनी की गतिविधियों की समीक्षा करने तथा नीति सम्बन्धी निर्णय लेने का अवसर प्राप्त होता है, इस प्रकार निदेशक मंडल पर नियन्त्रण रख सकते हैं। शेयरधारियों को साधारण सभा में लिए गये निर्णयों का पालन करने के लिए निदेशक कर्त्तव्यबद्ध होते हैं कंपनी संगठन के प्रबंध एवं प्रशासन में सभाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

6.7.2 सभाओं के प्रकार

कंपनी की सभाओं को मुख्य तौर पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है :

1) **शेयरधारियों की सभाएं** : इस प्रकार की सभाओं को सदस्यों की साधारण सभा भी कहा जाता है तथा जिसे अपने सामूहिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए बुलाया जाता है। शेयरधारियों की सभाओं के भी निम्नलिखित चार प्रकार होते हैं।

   क) वार्षिक साधारण सभा (Annual General Meeting)

   ख) असाधारण सामान्य सभा (Extraodinary General Meeting)

   ग) वर्ग सभा (Class Meeting)

2) **निदेशकों की सभाएं** : निदेशक सामूहिक रूप से एक मंडल के रूप में कार्य करते हैं तथा निदेशक मंडल की सभाओं में निर्णय लिए जाते हैं। वे सभाएं भी दो प्रकार की होती हैं:

   क) निदेशक मंडल की संभाए; तथा

   ख) निदेशकों की समिति की सभाएं।

3) **अन्य सभाएं** : ये सभाएं निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती हैं :

   क) डिबेंचरधारियों की सभाएं;

   ख) लेनदारों की सभाएं

   ग) कंपनी के समापन के समय लेनदारों तथा अंशदाताओं की सभाएं।

चित्र 6.1 को देखने से आपको सभाओं के प्रकार को समझने में सहायता मिलेगी :

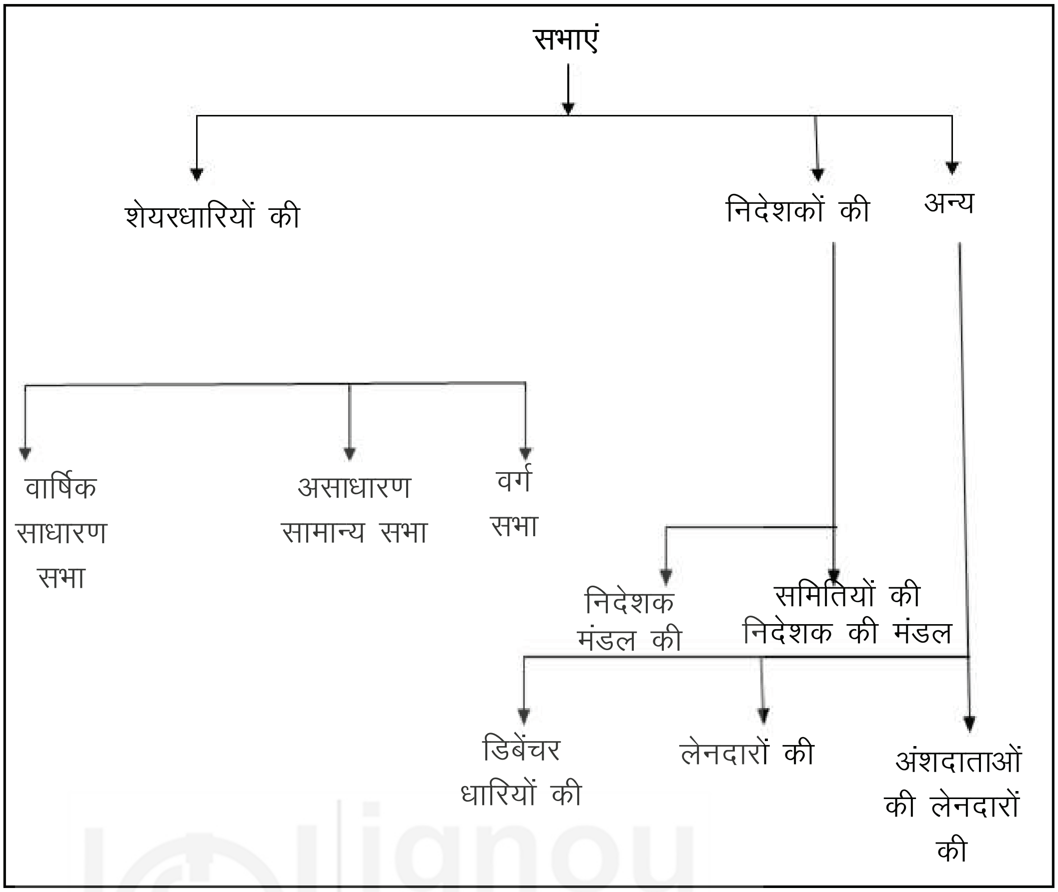

चित्र 6.1

6.8 कंपनी का समापन

कंपनी विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। अतः इसका अन्त भी विधिक प्रक्रिया से ही होता है। समापन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी का जीवन समाप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान कंपनी अपना सामान्य कारोबार करना बन्द कर देती है, कंपनी की परिसम्पत्तियों को बेचा जाता है तथा प्राप्त राशि से कंपनी के लेनदारों तथा अन्य देयताओं का भुगतान किया जाता है। यदि इसके बाद कुछ राशि से बचती है तो यह राशि सदस्यों द्वारा खरीदे गये शेयरों के अनुपात में उनको वापस लौटा दी जाती है। एक प्रशासक (administrator) जिसे समापक (liquidator) कहते हैं, की नियुक्ति की जाती है अैर वह कंपनी का सारा कारोबार व परिसम्पत्तियों को अपने नियन्त्रण में ले लेता है, परिसम्पत्तियों को बेचकर कंपनी के ऋणों का भुगतान करता है, तथा यदि कुछ राशि शेष बचती है तो उसे सदस्यों में बांट देता है। इस प्रकार, समापन होने पर कंपनी एक चलती रहने वाली संस्था नहीं रहती बल्कि इसके समस्त कार्य एकदम रुक जाते हैं। यहां पर आप यह याद रखें कि समापन की प्रक्रिया केवल तभी आरम्भ होती है जब न्यायालय समापन का आदेश जारी करता है। अतः जब तक समापन आदेश पास नहीं किया जाता कंपनी का समापन नहीं होता।

यद्यपि कंपनी अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हो सकती है, परन्तु इसे दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि दिवालियापन सम्बन्धी कानून कंपनियों पर लागू नहीं होता है। व्यक्तियों को ही दिवालिया घोषित किया जा सकता है, निगमित संस्थाओं को

नहीं। इस प्रकार, कंपनी का केवल समापन ही किया जा सकता है।

- **समापन एवं विघटन (Winding up and Dissolution)**

कंपनी का समापन एवं विघटन एक नहीं है। समापन की प्रक्रिया आरम्भ होने पर, कंपनी का तत्काल की विघटन नहीं हो पाता। समापन पहली प्रक्रिया है, इसके बाद ही विघटन की स्थिति होती है। कंपनी के विघटन पर, रजिस्ट्रार कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से काट देता है अर्थात् कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत समापन होने पर कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से नहीं काटा जाता है। समापन प्रक्रिया आरम्भ होने के पश्चात् भी कंपनी का वैधानिक अस्तित्व बना रहता है, तथा कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा किया जा सकता है। कंपनी का समापन प्रक्रिया का अन्तिम चरण विघटन होता है। परन्तु कुछ परिस्थितियों में जैसे जब इनका दूसरी कंपनी से विलय होता है, कंपनी का समापन किए बिना भी उसका विघटन किया जा सकता है।

कंपनी के समापन एवं विघटन में मुख्य अन्तर निम्नलिखित हैं :

i) समापन की स्थिति में, परिसम्पत्तियों को बेचकर प्राप्त राशि से कंपनी के ऋणों तथा अन्य देयताओं का भुगतान किया जाता है। कंपनी के जीवन को समाप्त करने की यह प्रथम अवस्था है। जबकि विघटन अन्तिम अवस्था है, इसके कंपनी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है।

ii) समापन की कार्यवाही कंपनी के समापक (liquidator) द्वारा की जाती है जबकि विघटन की स्थिति में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

iii) समापन में कंपनी के लेनदार अपने ऋणों को सिद्ध कर सकते हैं परन्तु कंपनी के विघटन पर ऐसा नहीं हो सकता।

iv) समापन के लिए, न्यायालय से आदेश प्राप्त करना सदैव आवश्यक नहीं होता क्योंकि स्वैच्छिक समापन हो सकता है, परन्तु कंपनी के विघटन के लिए न्यायालय का आदेश सदैव आवश्यक है।

उपर्युक्त चर्चा से आपको यह भली-भांति स्पष्ट हो गया होगा कि कंपनी का समापन तथा कंपनी का विघटन एक समान ही नहीं है बल्कि इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है।

बोध प्रश्न 3

1) निगमन प्रमाण-पत्र से क्या तात्पर्य है?

....

....

....

....

....

2) निगमन के क्या प्रभाव होते हैं?

....

....

....

3) कंपनी का समापन क्या होता है?

....

....

....

....

4) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत**।

i) निगमन प्रमाण-पत्र में लिखी तारीख से कंपनी अस्तित्व में आ जाती है।

ii) रजिस्ट्रार अपना हस्ताक्षर करके निगमन प्रमाण-पत्र जारी करता है।

iii) रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक प्रमाण होता है कि कंपनी अधिनियम द्वारा पंजीयन से संबंधित निर्धारित सभी आवश्यक नियमों का पूर्णतः पालन कर दिया गया है।

iv) केवल सार्वजनिक कंपनी को निगमन के पश्चात् शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होता है।

v) निजी कंपनी निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करते ही तुरन्त व्यापार आरम्भ कर सकती है।

6.9 सारांश

कंपनी के गठन के तीन चरण हैं — प्रवर्तन, निगमन तथा व्यापार आरम्भ करना। प्रवर्तन की अवस्था में कंपनी के प्रवर्तक व्यापार की परकिल्पना करते हैं तथा कंपनी के निर्माण के लिए सभी आवश्यक साधनों को संगठित करते हैं। वे सभी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी व उनकी छपाई की व्यवस्था करते हैं तथा पंजीयन के लिए निर्धारित फीस के साथ उन्हें रजिस्ट्रार के कर्यालय में फाइल करते हैं। इन दस्तावेजों की जांच करके यदि रजिस्ट्रार इस बात से सनतुष्ट हो जाता है कि कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी औपचारिकताओं को पूरा कर दिया गया है, तो यह अपना हस्ताक्षर करके कंपनी को निगमन का प्रमाण-पत्र प्रदान करता है। इस तारीख से कंपनी का निगमित जीवन आरम्भ होता है तथा वह अपना व्यापार आरम्भ कर सकती हैं। कंपनी एक कृत्रिम विधिक व्यक्ति है और इसका समापन (क) अधिकरण के आदेश द्वारा (ख) स्वैच्छिक समापन के लिए एक उपयुक्त प्रस्ताव साधारण सभा में पारित कर किया जा सकता है।

6.10 शब्दावली

निश्चायक (Conclusive) : अन्तिम, जिसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती।

ऋणपत्र (Debenture) : ऐसा दस्तावेज या प्रमाण-पत्र जिस पर कंपनी के अधिकारी हस्ताक्षर करके ऋण का प्रमाण पत्र देते हैं तथा ब्याज सहित उसे वापस लौटाने की गारंटी देते हैं।

निगमित (Incorported) : निगमित निकाय के रूप में निर्मित, जो एक व्यक्ति की तरह कार्य करने का हकदार होती है।

आपस में (Inter se) : एक दूसरे के बीच या परस्पर।

प्रवर्तक (Promoter)	:	जो कंपनी के निर्माण का कार्य करता है।
सांविधिक घोषणा (Statutory Declaration)	:	किसी लिखित कानून के विषयों को पालन करने की घोषणा।
समापन	:	वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कंपनी का जीवन समाप्त किया जाता है।

6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

3) i) तीन ii) निगमन iii) व्यापार के विचार की खोज
vi) वैध v) असीमित vi) केन्द्र सरकार, अवांछनीय vii) अन्तर्नियम
viii) अभिदाता या प्रवर्तक, हस्ताक्षर ix) गवाह

बोध प्रश्न 2

2) i) सही, ii) गलत, iii) सही, iv) सही, v) सही

बोध प्रश्न 3

4) i) सही, ii) सही, iii) सही, iv) गलत, v) सही, (कंपनी संशोधन अधिनियम 2015)

6.12 अभ्यास के लिए प्रश्न

1) कंपनी के निर्माण के विभिन्न चरण क्या है? वर्णन कीजिए।

2) कंपनी के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले दस्तावेजों को सूचीबद्ध कीजिए।

3) कंपनी के 'निगमन' से आप क्या समझते हैं? कंपनी के पंजीयन के क्या प्रभाव होते हैं?

4) ''निगमन का प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक प्रमाण है कि कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित कंपनी के निर्माण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हैं'' स्पष्ट कीजिए।

5) तमिलनाडु राज्य में लाटरी का व्यापार चलाने के उद्देश्य से एक निजी कंपनी का निगमन किया गया। कंपनी के कार्य को इस आधार पर चुनौती दी गई हैं कि लाटरी चलाना गैरकानूनी है। कंपनी का यह तर्क था कि जब एक बार कंपनी का निगमन हो गया तो कंपनी के व्यापार की प्रकृति के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता तथा निगमन प्रमाण-पत्र निश्चायक होता है।

   संकेत : अपने ऊपर 6.5 में पढ़ा है कि निगमन प्रमाण-पत्र, सीमानियम के उद्देश्य खण्ड में वर्णित कंपनी के उद्देश्य की वैधता के सम्बन्ध में निश्चायक नहीं हो, तो तथा अवैध उद्देश्य इसके वैध नहीं हो जाते। अतः कंपनी को लाटरी का व्यापार करने से रोका जा सकता है।

6) अनिवार्य समान क्या होता है? इन स्थितियों का वर्णन कीजिए जब कंपनी का अधिकरण द्वारा समापन किया जाता है।

7) शोधन क्षमता क्या होती है?

टिप्पणी : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई की और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए हैं।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

अवतार सिंह, कंपनी विधि, इस्टर्न बुक कंपनी, दिल्ली 16 संस्करण।

कुच्चल ए.सी. आधुनिक भारतीय कंपनी अधिनियम, श्री महावीर बुक डिपाट, दिल्ली।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 7 सीमानियम

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 सीमानियम का अर्थ एवं उद्देश्य

7.3 सीमानियम – क्या यह एक अपरिवर्तनीय चार्टर है?

7.4 सीमानियम का प्रारूप

7.5 सीमानियम की विषय-वस्तु

7.5.1 नाम खंड

7.5.2 पंजीकृत कार्यालय खंड

7.5.3 उद्देश्य खंड

7.5.4 दायित्व खंड

7.5.5 पूँजी खंड

7.5.6 संघ खंड/अभिदान खंड

7.6 शक्तिबाह्यता का सिद्धान्त

7.7 सीमानियम के विभिन्न खंडों में परिवर्तन

7.7.1 नाम में परिवर्तन

7.7.2 पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

7.7.3 उद्देश्य खंड में परिवर्तन

7.7.4 दायित्व खंड में परिवर्तन

7.7.5 पूँजी खंड में परिवर्तन

7.8 सारांश

7.9 शब्दावली

7.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.11 अभ्यास के लिए प्रश्न

7.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात्, आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- सीमानियम के अर्थ एवं उद्देश्य का वर्णन कर सकें;
- विभिन्न प्रकार की कंपनियों के लिए उपयुक्त सीमानियम के विभिन्न प्रारूपों को बता सकें;
- सीमानियम के विभिन्न खंडों की सूची बना सकें;
- शक्तिबाह्यता के सिद्धांत की व्याख्या कर सकें; और
- सीमानियम के विभिन्न खंडों में परिवर्तन करने की पद्धति का वर्णन कर सकें।

7.1 प्रस्तावना

पिछले खंड में आप ने पढ़ा कि कंपनी संगठन साझेदारी के मुकाबले कुछ विशेष लाभ प्रदान करता है। सीमित दायित्व और प्रबंधन का स्वामित्व से अलग होना बड़े उद्योगों को चलाने में मददगार है। इसलिए, कंपनी संगठन बहुत लोकप्रिय है, विशेष रूप से जहां बहुत अधिक पूँजी चाहिए। एक कंपनी का गठन करने के लिए कुछ प्रलेख रजिस्ट्रार के पास जमा कराने पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख जो जमा कराया जाता है वह सीमानियम (Memorandum of Association) है। इस इकाई में आप सीमानियम का अर्थ एवं उद्देश्य पढ़ेंगे। आप इस प्रलेख की विषय वस्तु और विभिन्न खंडों के बारे में तथा इन खंडो में परिवर्तन करने की विधि का भी अध्ययन करेंगे।

7.2 सीमानियम का अर्थ एवं उद्देश्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(56) के अन्तर्गत 'सीमानियम का अर्थ मूल रूप से बने हुए अथवा किसी पूर्व कंपनी अधिनियम या इस कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत संशोधित सीमानियम से है'। यह परिभाषा न तो इस प्रलेख का प्रारूप और न ही इसका महत्व बताती है। इसलिए हम सीमानियम की परिभाषा जो न्यायधीशों ने दी है उनका अध्ययन करेंगे। पालमर के अनुसार कंपनी जो गठन के लिए प्रस्तावित है, सीमानियम उसका एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। इस दस्तावेज में उद्देश्य दिए होते हैं जिनके लिए कंपनी का गठन हुआ है और इसमें कंपनी का कार्यक्षेत्र दिया होता है जिससे बाहर कोई कार्य नहीं हो सकता। यह कंपनी के अधिकार को परिभाषित एवं सीमित करता है। इन अधिकारों से बाहर कंपनी यदि कोई कार्य करती है तो ऐसे कार्य शक्तिबाह्यय (ultra vires) कहलाते हैं और व्यर्थ माने जाते हैं।

ऐशबरी रेलवे कैरिज एण्ड आयरन क. बनाम रिचे (Ashbury railway carriage v Riche) के प्रसिद्ध केस में लार्ड केर्न्स ने कहा ''सीमानियम कंपनी के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को परिभाषित करता है। इसमें दोनों बातें होती हैं: वह जो 'हां' में और वह जो 'ना' में होती हैं। जो 'हां' में होती हैं वे कानून द्वारा शक्ति की सीमा को बताती हैं और 'ना' में जो बातें है वह उस सीमा के बाहर नहीं की जा सकती।''

अतः सीमानियम शेयरधारियो, ऋण दाताओं एवं उन समस्त व्यक्तियों को जो इसके साथ लेन-देन करते हैं, बतलाता है कि इसके अधिकार क्या हैं और इसका कार्य क्षेत्र क्या है? एक भावी शेयरधारी यह जान सकता है कि उसका धन किन कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा तथा निवेश करने में वह कितना जोखिम उठा रहा है। इस प्रकार कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैसे माल सप्लाई करने वाला या ऋणदाता यह जान सकेगा कि जो लेन-देन वह कंपनी के साथ करने जा रहा है वह कम्पन के अधिकार क्षेत्र के भीतर है या नहीं और वह सीमानियम के वर्णित उद्देश्य खंड के शक्तिबाह्य नहीं है। संक्षेप में, सीमानियम कंपनी का संविधान है। यह वह नींव है जिस पर कंपनी का ढांचा खड़ा होता है।

7.3 सीमानियम – क्या यह एक अपरिवर्तनीय चार्टर है

अपने पैरा 7.2 में पढ़ा कि सीमानियम न केवल कंपनी के अधिकर को परिभाषित करता है बल्कि उन्हें सीमित भी करता है। कोई कंपनी सीमानियम द्वारा दिए गए अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं कर सकती। सीमानियम के क्षेत्र से बाहर किया गया कार्य व्यर्थ एवं

निष्क्रिय होगा। सीमानियम का उद्देश्य शेयरधारियों, लेनदारों और जो कंपनी के साथ व्यापार करते हैं उन्हें यह जानकारी देना है कि कंपनी का कितना कार्यक्षेत्र है। यह शेयरधारियों को यह बताता है कि उनके धन का कितना उद्देश्य के लिए उपयोग किया जायेगा। जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि सीमानियम एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर कंपनी का गठन होता है। अतः यह उचित है कि इस दस्तावेज के खंडों को प्रायः जल्दी बदलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसलिए कंपनी अधिनियम में विस्तार से सीमानियम के परिवर्तन के लिए नियम बनाए गये हैं। अधिनियम की धारा 13 कहती है कि सिवाए पूँजी खंड के (जो साधारण प्रस्ताव पारित से परिवर्तित हो सकता है) कंपनी सीमानियम में परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने के अतिरिक्त इस धारा में विशेष पद्धति निर्धारित की है, उस पद्धति के अनुसार ही परिवर्तन कर सकती है। धारा 13 में नाम, पंजीकृत कार्यालय, उद्देश्य, दायित्व खंडों के परिवर्तन करने का प्रावधान है।

इन शर्तों को प्रत्येक सीमानियम में गर्भित (implied) माना जाता है। नाम खंड और पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसी कोई कंपनी, जिसने प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) के माध्यम से जनता से धन जुटाया है और अभी तक उस के पास इस जुटाए धन की अनुपयोजित रकम है तब तक अपने उद्देश्यों को परिवर्तित नहीं करेगी जिसके लिए अपने प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जुटाया है जब तक कि कंपनी में कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता है और असहमति व्यक्त करने वाले शेयर धारकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विनिमयों के अनुसार नियंत्रण रखने वाले प्रवर्तकों और शेयरधारकों द्वारा कंपनी छोड़ने का अवसर नहीं दिया जाता।

अतः हम कह सकते हैं कि यद्यपि सीमानियम कंपनी का एक चार्टर है परन्तु यह अपरिवर्तनीय नहीं है। इस प्रलेख के विभिन्न खंडों को अधिनियम में दिए हुई पद्धति के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है।

7.4 सीमानियम का प्रारूप

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अनुसार कंपनी सीमानियम अनुसूची 1 में तालिका A,B,C,D और E विभिन्न प्रारूप दिये हैं जो विभिन्न प्रकार की कंपनियों पर लागू होते हैं धारा 3 और 4 को धारा 7 के साथ पढ़ने पर और उनके अन्तर्गत बनाए नियमों के अनुसार सार्वजनिक कंपनी में सात और निजी कंपनी में दो व्यक्तियों के और एक व्यक्ति कंपनी में एक व्यक्ति के हस्ताक्षर एक गवाह की उपस्थिति में होने चाहिये व एक गवाह जो उनके हस्ताक्षरों को प्रमाणित करेगा। प्रत्येक अभिदाता को अपने नाम के आगे उसने कितने शेयर लिए हैं लिखने होंगे। सीमानियम पर हस्ताक्षरकर्त्ता अपना पता, विवरण और व्यवसाय लिखेंगे। इस प्रकार गवाह को भी लिखने होंगे। तालिकाएं इस प्रकार हैं :

तालिका A- शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के लिए

तालिका B- गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए जिसकी शेयर पूँजी नहीं है

तालिका C- गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए जिसकी शेयर पूँजी है

तालिका D- असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसकी शेयर पूँजी नहीं है

तालिका E- असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसकी शेयर पूँजी है

आप यह नोट करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जो नियम बनाए गये हैं उनके अनुसार गवाह को यह कथन देना होगा कि ''मैं इस अभिदाता/अभिदाताओं का गवाह हूँ

जिन्होंने अभिदान दिया है और मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए हैं (तारीख व स्थान के साथ) और मैंने उस/उन के पहचान पत्रों का उनकी पहचान के लिए सत्यापन कर लिया है और उन्होंने पहचान के लिए जो विवरण दिए है उनसे संतुष्ट हूँ।

यदि सीमानियम का अभिदाता अशिक्षित है वह अगूंठे का निशान या चिन्ह लगाएगा जिसे वह व्यक्ति जो उसके लिए लिख रहा है वैसा विवरण देगा और वह अभिदाता का नाम उस निशान के नीचे लिखेगा और अपने हस्ताक्षर से उसे प्रमाणित करेगा। वह उस अभिदाता के नाम के आगे उसने जितने शेयर लिए हैं उनकी संख्या भी लिखेगा। ऐसा व्यक्ति सीमानियम और अन्तर्नियम की विषय सामग्री को अभिदाता को पढ़ कर समझाएगा और उन दोनों दस्तावेजों पर इस बारे में पुष्टि करेगा।

यदि सीमानियम (ज्ञापन) का अभिदाता कोई निगमित निकाय है तो सीमानियम और अन्तर्नियमों (अनुच्छेद) पर कोई उस निगमित निकाय का निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी हस्ताक्षर करेगा जिसको उस निगमित निकाय के निदेशक बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया हो।

यदि अभिदाता कोई सीमित दायित्व साझेदारी है तो ऐसी साझेदारी का कोई साझेदार इन पर हस्ताक्षर कर सकेगा। परन्तु सीमित दायित्व साझेदारी के सारे साझेदारों द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर ऐसे साझेदार को प्राधिकृत करना होगा परन्तु किसी भी दशा में प्राधिकृत व्यक्ति, एक ही समय में, सीमानियम और अन्तर्नियम दोनों का अभिदाता नहीं हो सकेगा।

कंपनी नियमों में पहली बार विदेशी नागरिक, जो भारत से बाहर रहता हो, के सीमानियम पर हस्ताक्षर करने के बारे में विशिष्ट विधि दी गई हैं।

7.5 सीमानियम की विषय-वस्तु

धारा 4 के अनुसार सीमानियम में निम्नलिखित बातें दर्शाई जानी चाहिएं :

क) कंपनी का नाम, सार्वजनिक कंपनी की दशा में नाम के अंत के 'लिमिटेड' और निजी कंपनी के नाम के अंत में 'प्राइवेट लिमिटेड' जोड़े जाने चाहिये। धारा 12 के अनुसार 'एक व्यक्ति कंपनी' शब्द एक व्यक्ति कंपनी के नाम के नीचे कोष्ठकों को उल्लिखित करना होगा। ये धारा 8 के अधिन पंजीकृत किसी कंपनी को लागू नहीं होगा (पूर्व उद्देश्यों वाली (charitable objects) कंपनी)।

ख) उस राज्य का नाम लिखा जाना चाहिए जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

ग) कंपनी के उद्देश्य जिनके लिए कंपनी निगमित करने का प्रस्ताव है और ऐसा कोई विषय जो सहायता में आवश्यक समझा जाए।

घ) कंपनी के सदस्यों का दायित्व, चाहे सीमित हो या असीमित और उसमें निम्नलिखित भी होगा –

   i) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी की दशा में, उसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में अदत्त रकम तक, यदि कोई हो सीमित है।

   ii) गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में वह रकम जिसका प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित के लिए अंशदान करने का वचन देता है :

अ) उसके सदस्य रहते हुए या उसके सदस्य न रहने के पश्चात् एक वर्ष के भीतर कंपनी के समापन की दशा में, कंपनी की परिसम्पतियों में, यथास्थिति, कंपनी के ऋणों और दायित्वों के भुगतान के लिए ऐसे ऋणों और दायित्वों के भुगतान के लिए, जो उसके सदस्य न रहने के पूर्व संविदा की गई हों और

ब) समापन की लागतों, प्रभारों और व्यय तथा अंशधारियों (contributories) के बीच उनके अधिकारों के समायोजन के लिए;

ड) शेयर पूँजी वाली कंपनी की दशा में –

i) शेयर पूँजी की वह रकम, जिसके साथ कंपनी को पंजीकृत किया जाना है और उसका नियत रकम के शेयरों में विभाजन तथा उन शेयरों की संख्या, जिनके लिए सीमानियम के अभिदाता, अभिदान करने की सहमति देते हैं, जो एक शेयर से कम नहीं होगा; और

ii) उन शेयरों की संख्या, जो सीमानियम का प्रत्येक अभिदाता लेने का आशय रखता है, जो उसके नाम के सामने उपदर्शित है;

च) एक व्यक्ति कंपनी की स्थिति में, उस व्यक्ति का नाम, जो अभिदाता की मृत्यु की दशा में कंपनी का सदस्य बनेगा।

यह नोट करें कि सीमानियम, यदि अधिनियम 2013 के उपबंधों के प्रतिकूल है, तो यथास्थिति, कानूनी प्रभाव से वह शून्य हो जाएगा। (धारा 6)।

अब हम सीमानियम के विभिन्न खंडों का वर्णन करेंगे।

7.5.1 नाम खंड (धारा 4(1)(a))

कंपनी एक पृथक कानूनी अस्तित्व है इसलिए इसका एक नाम होना चाहिए ताकि इसकी अलग पहचान हो सके। प्रवर्तक कंपनी का कोई भी नाम रख सकते हैं परन्तु :

1) सार्वजनिक कंपनी, शेयरों द्वारा या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द और निजी कंपनी के नाम के अंत में 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द अवश्य जोड़े जाने चाहिए। परन्तु धारा 8 के अन्तर्गत संस्था जिसका उद्देश्य लाभ नहीं है वाली कंपनी, यदि केंद्रीय सरकार अनुमति दे तो उन्हें 'सीमित' या 'निजी सीमित' शब्द प्रयोग न करने पर छूट है।

2) सीमानियम में दिया हुआ नाम

अ) कंपनी अधिनियम 2013 या किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन पंजीकृत किसी मौजूदा कंपनी के नाम के समान या उसके मिलता जुलता नहीं होना चाहिए; या

ब) ऐसा न हो कि कंपनी द्वारा उसका प्रयोग :

i) उस समय लागू किसी विधि के अधीन कोई अपराध बन जाएगा; या

ii) केन्द्रीय सरकार की राय में अवांछनीय है।

और कोई कंपनी किसी ऐसे नाम से पंजीकृत नहीं होगी जिसमें –

क) ऐसा कोई शब्द या अभिव्यक्ति है जिससे यह प्रभाव पड़ने की संभावना है कि कंपनी किसी रूप में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उस समय लागू किसी

विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किसी स्थानीय प्रधिकरण, निगम या निकाय से संबंधित है या उसके संरक्षण में है। इसलिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्र निगम या पंचायत जैसे शब्दों की अनुमति नहीं दी जाएगी; या

ख) ऐसे शब्द या अभिव्यक्ति है जो विहित किए जाएं; जब तक कि केन्द्रीय सरकार से उन शब्दों के उपयोग की पूर्व अनुमति न प्राप्त कर ली गई हो।

- अवांछनीय नाम

इस संबन्ध में केन्द्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नियम न. 2.4 इस प्रकार बनाए हैं :

यह निर्धारित करने के लिए कि प्रस्तावित नाम किसी और नाम के समान है, निम्नलिखित कारणों से हुए अन्तरों को नहीं माना जायेगा अर्थात् प्रस्तावित नाम केवल अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों से भिन्न नहीं माना जाएगा।

- अक्षरों के प्रकार और दशा, अक्षरों के बीच रिक्त स्थान और विराम चिन्ह;
- शब्दों को आपस में जोड़ना या अलग करना;
- भिन्नता वाली ध्वनि वर्तनी (Phonetic spellinges) या घटी बढ़ी वर्तनी (spelling variations) का प्रयोग, उदाहरण जैसे, वर्तमन में मौजूद P.Q.Industires और फिर Pee Que industries या P n Q industries को अनुमति नहीं मिलेगी।

  इसी ही प्रकार यदि नाम में संख्यात्मक अक्षर है जैसे ''3'' तो समान शब्द ''तीन'' मान्य नहीं होगा।
- इंटरनेट सम्बन्धित शब्द जैसे com, net,. edu,. gov,. org,. in मान्य नहीं है।
- शब्द जैसे New, Modern, Nav, Shri, Sri, Shree, Om, jai, Sai,The इत्यादि।
- समान शब्दों के विभिन्न संयोग उदाहरणार्थ, यदि किसी वर्तमान कंपनी का नाम "Builders and Contractors" है तो "Contractors and Builders" नाम की अनुमति नहीं है जब तक वर्तमान कंपनी अपना नाम बदल नहीं देती।
- यदि प्रस्तावित नाम हिन्दी या इंगलिश का अनुवाद है या वर्तमान कंपनी का नाम लिप्यंतरण (transliteration) है या सीमित दायित्व साझेदारी इंग्लिश या हिन्दी में है जैसी भी यथास्थिति हो।

  पुनः कोई भी नाम अवांछनीय माना जाएगा यदि :

  यह संप्रतीक और नाम (निवारण और अनुचित प्रयोग) अधिनियम 1950 की धारा 3 के प्रावधान का उल्लंघन करता हो। [Emblems and Names (Prevention and Improper Use) Act)1950)]
- इसमें किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिन्ह का नाम या ऐसा व्यापार चिन्ह जिसकी रजिस्ट्री के लिए आवेदन दिया हुआ है सम्मिलित है, जब तक कि व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री कराने वाले स्वामी या आवेदक, जैसा भी हो; उसकी स्वीकृति प्रवर्तक ने ना ली हो या प्रस्तुत कर दी हो;
- जब ऐसे शब्द, जो किसी वर्ग के लोगों के प्रति आक्रामक हों, सम्मिलित किए गए हों; कोई नाम सामान्यतः अवांछनीय माना जाएगा यदि :

- प्रस्तावित नाम किसी सीमित दायित्व साझेदारी के नाम के समान या उससे मिलता जुलता (अतिसदृश है;)
- नाम कंपनी के उद्देश्यों को दर्शाता हो और कंपनी के मुख्य उद्देश्य, जो सीमानियम में दिए है उनके अनुरूप नहीं है;
- कंपनी का मुख्य कारोबार यदि वित्तीय, लीज, चिट फंड, निवेश प्रतिभूतियों या इनके संयोजन से सम्बन्धित है तो नाम की मंजूरी नहीं होगी जब तक उनका नाम इन वित्तीय कार्यों का संकेत नहीं करता जैसे चिट फंड/निवेश/ऋण, आदि;
- जब नाम किसी वर्तमान कंपनी या सीमित दायित्व साझेदारी के लोकप्रिय या संक्षिप्त विवरण से बहुत अधिक मिलता जुलता है;
- जब प्रस्तावित नाम किसी कंपनी या सीमित दायित्व साझेदारी जिनका भारत के बाहर निगमन हुआ है के समान या बहुत अधिक मिलता-जुलता है और ऐसी कंपनी या सीमित दायित्व साझेदारी ने रजिस्ट्रार के पास आरक्षित कर लिया हो;

  परन्तु यदि विदेशी कंपनी भारत में अपनी नियंत्रित कंपनी का निगमन करती है तो नियंत्रक कंपनी के मौलिक नाम के साथ शब्द 'भारत' या किसी भारतीय राज्य या शहर का नाम, यदि अन्यथा उपलब्ध है, जोड़ा जा सकेगा;
- प्रस्तावित नाम से किसी राजदूतावास का कौंसल या विदेशी सरकार से किसी संबंध का आभास हो;
- प्रस्तावित नाम किसी राष्ट्रीय पराक्रमी पुरुष के नाम या उसे से सम्बन्धित हो या ऐसे व्यक्ति का नाम जिसको अधिक मान दिया हो या महत्वपूर्ण व्यक्ति जो सरकार में ऊंचे पद पर रहा हो या है;
- प्रस्तावित नाम अस्पष्ट हो या संक्षिप्त हो जैसे ABC Limited or 23 K Limited or 'DJMO' Limited, प्रवर्तक के संक्षिप्त नाम की अनुमति नहीं है। उदाहरण के लिए, BMCD LTd में पहला अक्षर प्रवर्तकों के नाम का हो जैसे भारत, महेश, चन्दन और डेविड (Bharat Mahesh Chandan and David);

  कोई वर्तमान कंपनी के नाम अपनी नई कंपनी जो उस की नियंत्रित कंपनी है या सहयोजित कंपनी या सहउद्यम कंपनी (Joint Venture) है उसके नाम से भाग के रूप में प्रयोग कर सकती है।
- प्रस्तावित नाम ऐसी कंपनी के नाम के समान है जिसके समापन के परिणामस्वरूप विघटन हो गया है और ऐसे विघटन को दो वर्ष नहीं बीते हैं। अधिनियम की धारा 356 के अनुसार अधिकरण दो वर्ष के भीतर कंपनी के विघटन को शून्य घोषित कर सकती है;
- नाम किसी सीमित दायित्व साझेदारी जो समापन की प्रक्रिया में है उसके नाम के समान या मिलता जुलता हो या उस सीमित दायित्व साझेदारी से जिसका नाम पांच वर्ष के लिए रद्द कर दिया हो;
- प्रस्तावित नाम में ऐसे शब्द हों जैसे ''बीमा'', ''बैंक'' ''स्टॉक एक्सचेंज''Venture Capital, Asset Management, निधि Mutual fund इत्यादि। जब तक कि आवेदक यह घोषणा नहीं कर देता कि IRDA, RBI, SEBI, MCA इत्यादि द्वारा बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है;

- यदि प्रस्तावित नाम में शब्द 'राज्य' शामिल है, तो केवल सरकारी कंपनी ही यह शब्द प्रयोग कर सकती है;
- प्रस्तावित नाम में केवल किसी महाद्वीप, देश, राज्य, शहर का नाम हो जैसे एशिया लिमिटेड, हरियाणा लिमिटेड मैसूर लिमिटेड;
- नाम केवल सामान्य नाम है जैसे कि कॉटन टैक्स्टाइल मिल्स लिमिटेड, सिल्क मैनुफैक्चरिंग लि., ना कि लक्ष्मी सिल्क मैनुफैक्चरिंग कंपनी लि.;
- यह उसकी गतिविधियों के बारे में एक भ्रामक प्रभाव दे या इस आशय से हो जो वास्तव में उसके उपलब्ध साधनों से अधिक है;
- प्रवर्तक के या उनके निकट रक्त संबंधी रिश्तेदार के नाम के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति का प्रस्तावित नाम जो नाम में एक मूल शब्द जैसे प्रयोग हो। ऐसे दूसरे व्यक्ति से नाम के आवेदन पत्र के साथ 'कोई आपत्ति नही' पत्र संलग्न करना होगा।
- बहुत मिलते जुलते नाम

  बहुत मिलते जुलते नाम जब होते हैं जब वे एक दूसरे के समरूप हों जो धोखे में डाल सके। कोई नाम धोखे में डालने वाला जब होता है जब किसी वर्तमान कंपनी के नाम से उसका कोई सम्बन्ध प्रतीत होता है।

उदाहरण : **Ewing v. Butter Cup Margarine Co. Ltd (1917)** के वाद में वादी को, जो Butter Cup Dairy Co के नाम से व्यापार करता था, प्रतिवादी के विरुद्ध निषेधाज्ञा (injunction) इस आधार पर दिया गया कि जनता यह सोच सकती है कि दोनों व्यापारों का सम्बन्ध है क्योंकि शब्द "Butter Cup" अनावश्यक और भ्रामक है।

फिर भी, केवल कुछ शब्दों के समान होने से नाम समरूप नहीं हो जाता और न ही अवांछनीय। अतः **Society of Motor Manufactures and Traders Limited v. Motor Manufactures and Trader' Mutual Assurance Ltd** के वाद में वादी कंपनी ने प्रतिवादी के विरुद्ध इस नाम का प्रयोग न करने की मांग की परन्तु लॉरेंस ज; ने निर्णय दिया कि ''किसी ने भी इस विषय के बारे में सोचने का कष्ट किया होता तो पता चलता कि प्रतिवादी एक बीमा कंपनी थी और वादी की संस्था एक व्यापार की रक्षा करने वाली संस्था थी और मैं यह नहीं सोचता कि प्रतिवादी एक बीमा कंपनी थी और वादी की संस्था एक व्यापार की रक्षा करने वाली संस्था थी और मैं यह नहीं सोचता कि प्रतिवादी कंपनी अपना व्यापार बन्द कर दे जब तक यह अपना नाम नहीं बदलती क्योंकि एक विचारहीन व्यक्ति एक दम अन्याय संगत निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि इसका वादी की संस्था से संबंध है'' ।

इसी प्रकार **Asiatic Government Society Life Insurance Company Ltd v. New Asiatic Insurance Company Ltd (1939)** के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि दोनों नाम समान नहीं हैं और प्रतिवादी पर रोक नहीं लगाई।

अतः कोई नाम बहुत समान है या नहीं और इसकी आज्ञा दी जाए या नहीं यह प्रत्येक स्थिति पर निर्भर है और वास्तविकता का प्रश्न है।

नाम का प्रकाशन करना (धारा 12)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 की उपधारा (3) के अनुसार प्रत्येक कंपनी :

क) अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम और पते को कार्यालय के बाहर या ऐसे स्थान पर जहां से कारोबार चलाया जाता है किसी सहजदृश्य स्थिति में, पढ़ने योग्य अक्षरों में, पेंट कराएगी या लगाएगी, और उस स्थानीय भाषा में जो उस जगह उपयोग होती है, में भी पेंट कराएगी या लगाएगी। शब्द 'प्रत्येक कार्यालय के बाहर' से अर्थ जहां कार्यालय स्थित है उस परिसर से बाहर नहीं है। जिस प्रांगण के भीतर कार्यालय स्थित है उसके कार्यालय के कमरे के बाहर भवन के अंदर होना पर्याप्त है **(Dr. J.L. Batiliwalla Sons & Company Ltd. v. Emperor(1941))**

ख) उसका नाम उसकी मुद्रा पर पठनीय अक्षरों में अंकित होगा;

ग) अपने सभी कारोबार पत्रों, बीजक, पत्र पर्णों और अपनी सभी सूचनाओं और अन्य शासकीय प्रकाशनों में अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के नाम, पते और निगमन पहचान संख्यांक के साथ टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर यदि कोई है, ई-मेल वेबसाइट, यदि कोई है, का पता मुद्रित कराएगी; और

घ) हुंडियों, वचनपत्रों, विनिमय पत्रों, और ऐसे अन्य दस्तावेजों पर जो निर्धारित किए जाएं, अपना नाम छपवाएगी।

परन्तु जहां कंपनी ने पिछले दो वर्षों के दौरान अपने नाम या नामों में परिवर्तन किया है वह खंड (क) और खंड (ग) के अधीन अपेक्षानुसार, अपने नाम के साथ, पिछले दो वर्षों के दौरान इस प्रकार परिवर्तित किए गए नाम या नामों को यथास्थिति पेंट करायेगी, चिपकाएगी या मुद्रित करेगी।

एक व्यक्ति कंपनी की दशा में जहां कहीं उसका नाम मुद्रित है, लगाया गया है, या उत्कीर्णित है वहां ऐसी कंपनी के नाम के नीचे 'एक व्यक्ति कंपनी' शब्द, कोष्ठकों में उल्लेखित किया जाएगा।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

दंड (Penalty)

यदि कंपनी अपना नाम और पंजीकृत कार्यालय का पता निर्धारित विधि के अनुसार पेंट करती या लगाती नहीं है तो धारा 12(8) के अनुसार यदि अपेक्षाओं के अनुपालन में कोई चूक की है तो कंपनी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी जिसने चूक की है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान चूक जारी रहती हैं एक हजार रुपए दंड प्रतिदिन किंतु जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा तक जुर्माने के लिए दायी होंगे।

7.5.2 पंजीकृत कार्यालय खंड (धारा 4(1)(b))

इस खंड में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है। प्रत्येक कंपनी का एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए, इससे उसका अधिवास (domicile) निर्धारित होता है। वास्तव में यह कंपनी का वह पता होता है जहां सामान्यतः कंपनी की सांविधिक पुस्तकें रखी जाती हैं तथा इस पते पर ही कंपनी की सूचनाएं तथा अन्य संदेश भेजे जा सकते हैं।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते की सूचना निगमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर अवश्य भेजी जानी चाहिए धारा 12 (1)। जैसा निर्धारित हो निगमन के तीस दिन के भीतर कंपनी को अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते के सत्यापन को रजिस्ट्रार को अवश्य भेजना होगा (धारा 12(2))।

7.5.3 उद्देश्य खंड (धारा 4(1)(c))

यह खंड कंपनी के उद्देश्य की व्याख्या करता है और इस प्रकार यह कंपनी कार्य-क्षेत्र को परिभाषित करता है। धारा 4(1)(c) के अनुसार वे उद्देश्य, जिनके लिए कंपनी को निगमित किए जाने का प्रस्ताव है और ऐसा कोई विषय जो उनको अग्रसर करने में आवश्यक समझा जाए इस खंड में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

कंपनी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो उसके उद्देश्य वाक्य से परे या बाहर है तथा इससे बाहर किया गया प्रत्येक कार्य 'शक्तिबाह्य' (ultra vires) तथा व्यर्थ होगा। ऐसे कार्यों की सारे शेयरधारी मिलकर भी पुष्टि नहीं कर सकते। परन्तु कंपनी ऐसे कार्य कर सकती है जो मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक या प्रासंगिक है या सहायक कार्य हैं तथा ऐसे कार्यों को शक्तिबाह्य नहीं माना जाता। इस प्रकार एक व्यापारिक कंपनी को धन उधार लेने, विनिमय बिल लिखने व स्वीकार करने का निहित अधिकार होता है।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखें कि उद्देश्य खंड में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी जानी चाहिए जो अवैधानिक, अनैतिक या लोक-नीति के विपरीत हो अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली हो। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक कंपनी अपने शेयर का क्रय करने के लिए अपना ही धन प्रयोग नहीं कर सकती। (धारा 67(2))

7.5.4 दायित्व खंड (Liability Clause) (धारा) 4 (1)(d)

यह खंड कंपनी के सदस्यों के दायित्व की प्रकृति को दर्शाता है। **सीमित दायित्व वाली कंपनी को, जिसकी शेयर पूँजी है,** यह लिखना आवश्यक है कि सदस्यों का दायित्व शेयरों पर जो बकाया राशि है, उस तक ही सीमित है। अतः यदि शेयरधारी ने 10 रुपये अंकित मूल्य का शेयर क्रय किया है और अब तक 5 रुपये दिये हैं, उससे केवल 5 रुएये की मांग की जा सकती है। यदि उसने पूरे 10 रुपये दे दिये हैं तो उसका दायित्व शून्य होगा चाहे कंपनी को देनदारों को कितना ही कर्ज देना हो।

गांरटी द्वारा सीमित कंपनी के खंड में लिखा होता है कि इस का हर सदस्य समापन के समय, कितनी राशि लागतों, प्रभारों, खर्च और सम्पत्ति के लिए देगा।

असीमित दायित्व वाली कंपनी के, चाहे उस के पास शेयर पूँजी है या नहीं, इस खंड में लिखा जाता है कि सदस्यों का दायित्व असीमित होगा।

7.5.5 पूँजी खंड (धारा 4(1)(e))

इस खंड की पूँजी की कुल राशि दी जानी चाहिए जिससे कंपनी पंजीकृत की गई है। इसे पंजीकृत (registered) या अधिकृत (authorised) या अंकित पूँजी (nominal capital) भी कहते हैं।

धारा 4(1)(e) के अनुसार शेयर पूँजी वाली कंपनी की स्थिति में सीमानियम में शेयर पूँजी की वह रकम, जिसके साथ कंपनी को पंजीकृत किया जायेगा और उसका निश्चित रकम के शेयरों में विभाजन तथा शेयरों की संख्या जिनके लिए सीमानियम के अभिदाता, अभिदान की सहमति देते हैं, जो एक शेयर से कम नहीं होगा, दर्शाना होगा।

शेयर पूँजी वाली सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में शेयर इक्विटी (साधारण) या पूर्वाधिकार (अधिगामी) वाले हो सकते हैं। अतः कंपनी की पूँजी पूर्वाधिकार शेयर पूँजी तथा इक्विटी शेयर पूँजी हो सकती है। इस खंड में यह भी वर्णन किया जाना चाहिए कि शेयर पूँजी निश्चित राशि वाली कितने शेयरों में विभाजित है।

ये शेयर एक निश्चित मूल्य या राशि के होते हैं इस निश्चित मूल्य को सममूल्य (par value) या अंकित मूल्य (nominal value) भी कहते हैं। इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये तथा पूर्वाधिकार शेयर 100 रुपये हो सकता है। इस खंड का प्रभाव यह है कि कोई कंपनी सीमानियम में वर्णित पंजीकृत पूँजी से अधिक राशि के लिए शेयर जारी नहीं कर सकती जब तक सीमानियम में धारा 61 कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत परिवर्तन नहीं किया हो।

7.5.6 संघ खंड/अभिदान खंड (Association Clause) (धारा 4(1)(e))

हर कंपनी के सीमानियम के अंत में एक संघ या अभिदान खंड होता है उसमें सीमानियम के अभिदाताओं की निम्नलिखित घोषणा रहती है :

'हम, कई व्यक्ति जिनके नाम और पते निर्दिष्ट हैं, इस सीमानियम के अनुसार एक कंपनी के रूप में नियंत्रित होने के इच्छुक हैं और कंपनी की पूँजी में अपने-अपने नामों के आगे लिखे गये शेयर लेना स्वीकार करते हैं।

''एक व्यक्ति कंपनी'' की स्थिति में घोषणा इस प्रकार होगी 'मैं जिसका नाम व पता नीचे दिया गया है, इस सीमानियम के अनुसार एक कंपनी बनाने की इच्छा करता हूं और कंपनी की पूँजी में सभी शेयरों को लेने के लिए सहमत हूं।''

अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सीमानियम पर सार्वजनिक कंपनी में कम से कम सात अभिदाताओं, निजी कंपनी में कम से कम दो अभिदाताओं के हस्ताक्षर होंगे और 'एक व्यक्ति कंपनी' के गठन पर एक अभिदाता के हस्ताक्षर होंगे।

सीमानियम के अभिदान से संबंधित सांविधिक अपेक्षाएं :

क) सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता द्वारा एक गवाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर करने चाहिए और गवाह द्वारा प्रमाणित किए जाने चाहिए।

ख) प्रत्येक अभिदाता को कम से कम एक शेयर अवश्य लेना चाहिए।

ग) प्रत्येक अभिदाता को अपने नाम के आगे शेयरों की वह संख्या जो वह ले रहा है, लिखनी चाहिए।

7.6 शक्तिबाह्यता का सिद्धान्त (Doctrine of Ultra Vires)

'बाह्य' शब्द का अर्थ है बाहर या परे तथा 'शक्ति' का अर्थ है 'अधिकार'। इस प्रकार कंपनी के शक्तिबाह्य होने का अर्थ है 'कंपनी के अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्य'। आप पढ़ चुके हैं कि कंपनी के सीमानियम के उद्देश्य खंड में कंपनी के उद्देश्यों का उल्लेख होता है, अतः कोई भी ऐसा कार्य जो वर्णित उद्देश्यों के बाहर है तो वह 'शक्तिबाह्य' कहलाएगा तथा वह पूर्णतया शून्य एवं अप्रवर्तनीय होगा। कंपनी किसी भी ऐसे कार्य से बाध्य नहीं हो सकती है जो उसकी शक्ति या अधिकारों से परे है। 'शक्तिबाह्य' के सिद्धांत का उद्देश्य सदस्यों, बाहरी व्यक्तियों तथा ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करना है। ये इस प्रकार हैं :

i) कंपनी के सदस्यों को उन उद्देश्यों की जानकारी है जिनके लिए उसके धन का उपयोग किया जा सकता है।

ii) कंपनी के साथ लेन-देन वाले बाहरी व्यक्तियों को भी उन उद्देश्यों की जानकारी होती है जिनके लिए कंपनी की स्थापना की गई है, अतः बाहरी व्यक्तियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे कंपनी के साथ ऐसे लेन-देन करें जो उन उद्देश्यों के

अन्तर्गत हैं। इसी प्रकार ऋणदाताओं को भी इस बात का भरोसा रहता है कि कंपनी की परिसम्पत्ति को अधिकृत व्यापार के जोखिम में नहीं डाला जाएगा।

अतः शेयरधारियों तथा कंपनी के साथ अनुबन्ध करने वाले बाहरी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी के कार्य, सीमानियम में वर्णित उद्देश्य तक ही सीमित रहें। कंपनी उद्देश्य वाक्य से परे कोई भी कार्य नहीं कर सकती और यदि वह कोई ऐसा कार्य करती है जो उद्देश्य खंड से परे है तो उसे शक्तिबाह्य कहा जाएगा और वह पूर्णतया व्यर्थ होगा।

शक्तिबाह्य कार्यों को निम्नलिखित तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं :

1) कंपनी अधिनियम के लिए शक्तिबाह्य

2) सीमानियम के लिए शक्तिबाह्य, तथा

3) अन्तर्नियमों के लिए शक्तिबाह्य

1) **कंपनी अधिनियम के लिए शक्तिबाह्य** : ऐसा कोई भी कार्य जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत या परे है, शक्तिबाह्य कहलाता है। ऐसा कार्य पूर्णतया व्यर्थ होता है तथा सब शेयरधारियों द्वारा एकमत से उनकी पुष्टि भी नही की जा सकती है। ऐसे कार्यों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :

   अ) पूँजी में से लाभांश का भुगतान

   ब) लाभांश के बदले बोनस शेयरों का वितरण

   स) अनाधिकृत पूँजी का निर्गमन करना,

   द) कानूनी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना शेयर पूँजी का घटाना

2) **सीमानियम के लिए शक्तिबाह्य** : सीमानियम कंपनी के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित एवं सीमित करता है। सीमानियम में कंपनी के उद्देश्यों का वर्णन होता है। कंपनी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो उसके उद्देश्य खंड के अधिकार क्षेत्र से परे हो। उद्देश्य खंड के विपरीत किया गया प्रत्येक कार्य सीमानियम के लिए शक्तिबाह्य होगा तथा व्यर्थ होगा। सब शेयरधारी एकमत से ऐसे कार्यों की पुष्टि नहीं कर सकते।

   शक्तिबाह्यता का सिद्धांत सर्व प्रथम **ऐशबरी रेलवे कैरेज क. बनाम रिचे (Ashbury Railway Carriage Co. v Riche)** के केस में प्रतिपादित किया गया। इस केस में कंपनी का निगमन रेल सवारी डिब्बे व माल डिब्बे बनाने, बेचने व किराये पर पर देने तथा मैकेनिकल इंजीनियर एवं आम ठेकेदारी का व्यापार करने के लिए किया गया। कंपनी के निदेशकों ने रिचे के साथ एक अनुबन्ध किया जो रेलवे के ठेकेदार थे, इस अनुबन्ध के अनुसार उन्होंने बेल्जियम में एक रेल-मार्ग बनाने का अनुबन्ध किया। कंपनी के साधारण बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके इस अनुबन्ध की पुष्टि कर दी। बाद में, कंपनी ने यह कहकर कि यह कार्य कंपनी के लिए शक्तिबाह्य है, अनुबन्ध को रद्द कर दिया। कंपनी पर अनुबन्ध भंग करने के लिए दावा किया गया। हाउस ऑफ लार्ड्स (House of Lords) ने निर्णय दिया कि वह अनुबन्ध सीमानियम के लिए शक्तिबाह्य है अतः व्यर्थ है। सब शेयरधारी भी इस अनुबन्ध का पुष्टिकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अनुबन्ध उद्देश्य खंड के विपरीत था।

   शक्तिबाह्य के सिद्धान्त को भारत में भी मान्यता प्रदान की गई है। **ए.एल.मुदलियार बनाम एल.आई.सी ऑफ इन्डिया (A.L. Mudaliar v LIC)** के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धान्त को मान्यता दी है।

2) **अन्तर्नियमों के लिए शक्तिबाह्य :** ऐसे कार्य जो अन्तर्नियम के लिए शक्तिबाह्य हैं परन्तु कंपनी की शक्ति के अन्तर्गत हैं, वे अन्तर्नियम के लिए शक्तिबाह्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, अग्रिम राशि पर अन्तर्नियम के लिए शक्तिबाह्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, अग्रिम राशि पर अन्तर्नियम में वर्णित ब्याज दर से अधिक ब्याज पर ब्याज का भुगतान। ऐसे कार्य भी व्यर्थ होते हैं, परन्तु कंपनी अपनी साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके ऐसे अनाधिकृत कार्यों की पुष्टि कर सकती है।

शक्तिबाह्य कार्यों का प्रभाव :

1) **प्रारम्भ से व्यर्थ :** कंपनी की शक्ति के बाहर किया गया कार्य पूर्णतया व्यर्थ होता है तथा कंपनी के प्रति उन्हें प्रवर्तित नहीं किया जा सकता।

2) **पुष्टि नहीं :** कंपनी की शक्ति के बाहर किए गये कार्यों की सब शेयरधारी मिलकर भी पुष्टि नहीं कर सकते।

3) **अप्रवर्तनीय :** कंपनी की शक्ति के बाहर किए गए कार्यों को न केवल बाहरी व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध प्रवर्तित कर सकते हैं बल्कि कंपनी भी ऐसे कार्यों को बाहरी व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं कर सकती।

4) **निषेधाज्ञा :** जब कभी भी कंपनी शक्तिबाह्य कार्य करती है या करने जा रही होती है, तो उसका कोई भी सदस्य न्यायालय की सहायता के निषेधाज्ञा प्राप्त करके कंपनी को शक्तिबाह्य कार्य करने से रोक सकता है।

5) **निदेशकों का व्यक्तिगत दायित्व :** यदि शक्तिबाह्य कार्य से कोई हानि होती है तो उसके लिए निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

उपर्युक्त विवरण से अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि यदि कोई कार्य कंपनी की शक्ति से बाहर है, तो ऐसा कार्य पूर्णतया व्यर्थ होता है। अतः यदि कंपनी ऋण लेने की सीमा से अधिक उधार धन लेती है, तो यह शक्तिबाह्य कार्य होगा तथा ऋणदाता को कंपनी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा।

यहाँ यह ध्यान रहे कि यदि कोई कार्य निदेशकों के लिए शक्तिबाह्य है, परन्तु कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है, तो ऐसा कार्य एकदम व्यर्थ नहीं होता। कंपनी के शेयरधारी अपनी साधारण सभा में ऐसे कार्यों की पुष्टि कर सकते हैं, तथा जब ऐसे कार्यों की पुष्टि कर दी जाती है तो कंपनी उन कार्यों के लिए बाध्य होती है। जैसे कंपनी को ऋण लेने का तो अधिकार है, परन्तु निदेशकों को यह निश्चित राशि तक ही उधार लेने का अधिकार है। अब यदि निदेशक अपने अधिकारों से बाहर जाकर अधिक राशि ऋण के रूप में लेते हैं, तो ऐसी दशा में, कंपनी यदि उचित समझें, तो वह निदेशक के कार्य की पुष्टि कर सकती है। पुष्टि किए जाने के पश्चात् कंपनी एवं ऋणदाता इस अनुबन्ध से ठीक उसी प्रकार बाध्य होंगे जैसे कि यह कार्य कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत किया है।

बोध प्रश्न 1

1) तालिका क (Table A) ....

तालिका ख (Table B) ....

तालिका ग (Table C) ....

तालिका घ (Table D) ....

तालिका ड (Table E) ....

2) रिक्त स्थान भरिए :

i) सार्वजनिक कंपनी की दशा में सीमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले कम से कम .... व्यक्ति तथा निजी कंपनी की दशा में कम से कम .... व्यक्ति होने चाहिए।

ii) सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता को कम से कम .... शेयर लेना आवश्यक है।

iii) सीमानियम का उद्देश्य .... की हितों की रक्षा करने के साथ साथ अन्य पक्षकारों के हितों की रक्षा करना भी है।

3) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत** हैं।

i) सीमानियम कंपनी के कार्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करता है।

ii) अभिदाता के सीमानियम पर हस्ताक्षर के लिये गवाह के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

iii) प्रत्येक कंपनी को निगमन करते समय सीमानियम बनाना व फाइल करना आवश्यक नहीं है।

iv) कोई कार्य कंपनी के उद्देश्य खंड से बाहर शक्तिबाह्य होता है।

v) सीमित शेयर वाली कंपनियों की दशा में शेयरधारी का दायित्व केवल अदत्त रकम देने तक का है।

vi) गारंटी वाली सीमित कंपनियों की दशा में कंपनी के जीवन-काल में कभी भी सदस्य से गारंटी की गई राशि मांगी जा सकती है।

7.7 सीमानियम के विभिन्न खंडों में परिवर्तन

धारा 16 के अनुसार कंपनी सीमानियम में जो शर्ते दी हुई हैं उनका परिवर्तन नहीं कर सकती सिवाए उन केसों के और इस पद्धति के और उस सीमा तक जहां तक स्पष्ट प्रावधान अधिनियम में दिये गये हैं। ये प्रावधान नीचे दिये गए हैं :

7.7.1 नाम में परिवर्तन

कंपनी की इच्छा पर नाम परिवर्तन : धारा 13 के अनुसार साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके और केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति से नाम परिवर्तित किया जा सकता है। परन्तु कंपनी के नाम में ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल निजी (private) शब्द हटाना या जोड़ना है केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवयकता नहीं है (अर्थात् जब सार्वजनिक को निजी या निजी को सार्वजनिक में परिवर्तित करना हो)।

कंपनी को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा :

i) कंपनी द्वारा पारित विशेषज्ञ प्रस्ताव की प्रति (कापी)

ii) केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति

जब कंपनी अपना नाम बदलती है जैसे उपर्युक्त कहा गया है, तब रजिस्ट्रार कंपनियों के रजिस्टर में पुराने नाम के स्थान पर नया नाम की प्रविष्टि करेगा और नए नाम से निगमन का एक नया प्रमाण-पत्र फार्म 2.27 में जारी करेगा। इस प्रमाण-पत्र के जारी करने पर ही नाम में परिवर्तन पूर्ण व प्रभावी होगा।

केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर नाम में परिवर्तन (धारा 16) : यदि कोई कंपनी भूल से या अन्यथा, अपने पहले पंजीकरण पर या नए नाम में अपने पंजीकरण पर ऐसे नाम से पंजीकरण की जाती है, जो केन्द्रीय सरकार की राय में, ऐसे नाम से समान है या उससे बहुत मिलता जुलता है, जिससे किसी विद्यमान कंपनी को पहले से रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो कंपनी निर्देश जारी किए जाने के तीन माह की अवधि के भीतर उस प्रयोजन के लिए साधारण प्रस्ताव पारित करने के, तथा केन्द्रीय सरकार की लिखित अनुमति से अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है [धारा 16]।

पुनः कंपनी उपर्युक्त प्रक्रिया से अपने नाम में परिवर्तन कर सकती है यदि किसी ट्रेड मार्क के स्वामी का आवेदन केन्द्रीय सरकार को किसी ऐसी कंपनी के निगमन, पंजीकरण या नाम परिवर्तन के तीन वर्ष के भीतर किया जाता है जिसका नाम इसके ट्रेड मार्क से मिलता है, और जो केन्द्रीय सरकार के विचार में उसे ट्रेड मार्क से ट्रेड माक्र अधिनियम 1999 के अंतर्गत नाम एक जैसा है या उससे बहुत मिलता जुलता है। जब केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्देश दिया जाना है तब कंपनी अपने नाम या नये नाम में परिवर्तन इस प्रकार के निर्देश मिलने के 6 माह के अंदर करेगी, जैसी भी स्थिति हो।

cGMP Pharmaplan (P.) Ltd.v. Regional Director, Ministry of Corporate Affairs (2011) के वाद में, NNE Pharmaplan (P.) Ltd. ने धारा 22 के (अब धारा 14) अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक को निदेश के लिए अभिवेदन (representation) दिया कि प्रार्थी - कंपनी जो बाद की तिथि में निगमित हुई है cGMP Pharmplan (P.) Ltd के नाम से, अपने नाम में परिवर्तन करे। क्षेत्रीय निदेशक ने यह निर्णय दिया कि आम जनता के मन के Pharmaplan नाम एक भ्रामक प्रभाव डाल सकता है और यह इसलिए यह धारा 22(1) (b) [अब धारा 14] के अन्तर्गत निर्देश जारी करने का एक सही केस बनता है और 'प्रार्थी' को निर्देश दिया गया कि वह अपने वर्तमान नाम से Pharmaplan शब्द हटा दे और कोई और नाम रख ले। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दोनों कंपनियों के नाम संरचनात्मक दृष्टि से और ध्वनात्मक रूप से बहुत मिलते जुलते हैं इसलिए क्षेत्रीय निदेशक ने जो प्रार्थी को नाम परिवर्तित करने के लिए निर्देश दिया है वह सही है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गये नियम 2.25 के अनुसार जिस कंपनी ने अपनी वार्षिक विवरणी या वित्तीय विवरण फाइल करने में चूक की है या कोई दस्तावेज जो रजिस्ट्रार के फाइल करना अभी बाकी है, या जिसने परिपक्व जमा, डिबेन्चर या जमा और डिबेन्चर पर ब्याज देने में चूक की है, उसको नाम बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपने यह नोट किया होगा कि केन्द्रीय सरकार के निर्देश का उस तिथि के तीन या छह माह के भीतर ही जैसी भी स्थिति हो अनुपालन करना आवश्यक है। यदि कंपनी धारा 16 (1) के अंतर्गत किसी निर्देश का अनुपालन करने में चूक करती है तो ऐसी कंपनी को, जब तक चूक जारी रहती है, एक हजार रुपये प्रतिदिन और प्रत्येक अधिकारी जिसने चूक की है उसे पांच हजार रुपये तक का दंड दिया जाएगा जो एक लाख रु. तक हो सकता (धारा 16(3))।

जब कंपनी धारा 16 (1) के अंतर्गत अपना नाम बदलती है या नया नाम प्राप्त करती है तो उसे नाम परिवर्तन के 15 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार को इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार के आदेश के साथ भेजनी होगी जो निगमन प्रमाण पत्र और सीमानियम में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निगमन का नया प्रमाण पत्र जारी होने पर ही कंपनी का नया नाम प्रभावी होगा। धारा 15 के अनुसार कंपनी के सीमानियम या अंतर्नियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन को यथास्थिति इन दोनों प्रलेखों की प्रत्येक प्रति में लिखना होगा। इस संबंध में चूक की स्थिति में कंपनी और प्रत्येक अधिकारी जिसने चूक की है सीमानियम और अन्तर्नियम की प्रत्येक प्रति जो बिना परिवर्तन जारी की है, के लिए एक हजार रुपए के दंड के दायी होंगे।

नाम परिवर्तन का प्रभाव

i) नाम के परिवर्तन से कंपनी के किसी अधिकार या दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा या इसके द्वारा या इसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही पर कोई दोष होगा। इस के अतिरिक्त कंपनी के विरुद्ध या इस के द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही पुराने नाम से चल रही हो वह नए नाम से चालू रह सकती है।

ii) यद्यपि यदि कोई कानूनी कार्यवाही कंपनी के विरुद्ध इस के पुराने नाम से नाम परिवर्तन के बाद, आरम्भ हो, तो यह केवल एक गलत वर्णन का विषय माना जाएगा और ना कि कोई व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उस के विरुद्ध कार्यवाही। यह कोई न ठीक होने वाला दोष नहीं है और वादपत्र (Plaint) में नया नाम लिखने के लिए संशोधन हो सकता है। **(Pioneer Protective Glass Fibre (P) Ltd v Fibre Glass Pilkington Ltd (1986))**.

iii) नाम परिवर्तन से कंपनी का संविधान नहीं बदलता : Economic Investment Corporation Ltd v CIT (1970) के वाद में यह निर्णय दिया गया कि नाम परिवर्तन करने से कंपनी का संविधान नहीं बदलता। केवल एक बात यह होगी कि सारे अधिकार और दायित्व कानून की दृष्टि में पुरानी कंपनी से नई नाम वाली कंपनी पर हस्तांतरित हो जाएंगे। यह साझेदारी की तरह नहीं है जो कानून की दृष्टि में एक नई वैधानिक अस्तित्व बन जाती है।

7.7.2 पंजीकृत कार्यालय में परिवर्तन

इसमें सम्मिलित हैं :

क) **उसी नगर, गांव व शहर में एक परिसर से दूसरे परिसर में पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन (धारा 12)**

निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित करके कंपनी का कार्यालय एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस ही शहर, नगर या ग्राम की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ले जाया जा सकता है, कंपनी रजिस्ट्रार को 15 दिन में नया पता सूचित करेगी जो इस परिवर्तन को अभिलिखित (रिकार्ड) करेगा।

ख) **एक शहर, ग्राम व नगर से दूसरे शहर, ग्राम व नगर उस की राज्य में पंजीकृत कार्यालय परिवर्तन (धारा 12)**

ऐसी स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

i) विशेष प्रस्ताव : शेयरधारियों की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा।

ii) क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि : कंपनी एक रजिस्ट्रार की अधिकारिता से किसी दूसरे रजिस्ट्रार की अधिकारिता में तब तक नहीं जा सकती जब तक ऐसे परिवर्तन को निर्धारित रीति में किए गए आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय निदेशक द्वारा पुष्टि न कर दी गई हो। Form INC 23 में क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन करना होगा। क्षेत्रीय निदेशक को आवेदन पत्र मिलने के 30 दिन के भीतर पुष्टि करनी होगी।

नियम 28 के अनुसार पंजीकृत कार्यालय परिवर्तन की आज्ञा नहीं मिलेगी यदि कंपनी के विरुद्ध कोई निरीक्षण, जांच या तहकीकात चल रही हो या कंपनी के विरुद्ध किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुकदमा चल रहा हो।

iii) विशेष प्रस्ताव की प्रति और क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करना : विशेष प्रस्ताव की एक प्रति 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी (धारा 117) क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि की एक प्रति पुष्टि होने के 60 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। पुष्टि के फाइल करने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को उसे पंजीकृत करना होगा (धारा 12)।

रजिस्ट्रार का प्रमाण-पत्र इस बात का निश्चायक प्रमाण है कि पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन संबंधी अधिनियम की सब अपेक्षाओं का अनुपालन कर लिया गया है और परिवर्तन जिस दिन से प्रमाण-पत्र जारी हुआ है लागू माना जाएगा।

अपेक्षाओं का अनुपालन करने में यदि कोई चूक हुई है तो कंपनी और चूक करने वाला प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक दिन के एक हजार रुपए, जब तक चूक जारी रहती है, जुर्माने के लिए दायी होंगे जो एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

ग) एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन

धारा 13 में एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय ले जाये जाने के प्रावधान दिए हैं। आप नोट करें कि पंजीकृत कार्यालय को एक परिसर से दूसरे परिसर में, उसी नगर, ग्राम व शहर में या एक शहर से दूसरे शहर में उस ही राज्य में यदि हो तो सीमानियम परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

इसका कारण यह है कि सीमानियम में केवल उस राज्य का नाम होता है जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होता है। पंजीकृत कार्यालय का एक राज्य दूसरे राज्य में परिवर्तन करने पर सीमानियम को बदलना होता है इसलिए इस में बहुत विस्तृत विधि अपनाई जाती है। कंपनी का एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय ले जाने के लिए :

1) एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा;

2) लेनदारों जिसमें डिबेंचर धारी शामिल होंगे, की सूची तैयार करनी होगी;

3) लेनदारों की अनुमति लेनी होगी और यदि लेनदार या लेनदारों द्वारा कोई आपत्ति है तो उनके ऋण या दावों को केन्द्रीय सरकार की संतुष्टि के लिए उन्हें या तो प्रतिभूति दे दी गई है या सम्यक् निमोर्चन कर दिया है।

4) केन्द्रीय सरकार से पुष्टिकरण प्राप्त करना होगा।

केन्द्रीय सरकार से पुष्टिकरण प्राप्त करना

कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम न. 30 के अनुसार फार्म न. INC 23 में निर्धारित शुल्क व दस्तावेजों के साथ केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सूचना एक शपथ-पत्र द्वारा की जानी चहिए जिस पर कंपनी के सचिव यदि कोई है और कम से कम दो निदेशकों के, जिनमें एक प्रबंध निदेशक होना चाहिए, के हस्ताक्षर होंगे।

आवेदन पत्र के साथ एक और शपथ-पत्र संलग्न होगा जिसमें कंपनी के निदेशक यह आश्वासन देंगे कि पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानातंरण के परिणामस्वरूप किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी।

आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र प्राप्ति (service) की पावती एक प्रतिलिपि सभी संलग्नकों के साथ लगानी होगी जो आवेदन पत्र पूरे दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रार और राज्य के सर्वोच्च सचिव, जहां पंजीकृत कार्यालय स्थित है, को दिए थे।

कंपनी को पंजीकृत कार्यालय में लेनदारों की सूची की एक प्रमाणित प्रतिलिपि रखनी होगी।

जब आवेदनकर्त्ता के प्रस्तावित आवेदन पत्र पर कोई व्यक्ति जिसका हित उससे प्रभावित होता है आपत्ति करता है, उस आपत्ति की प्रति केन्द्रीय सरकार को आवेदन की सुनवाई की तिथि पर या पहले देनी होगी।

जब किसी पक्ष से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, जिनको उचित सूचना दे दी गई थी, आवेदन पत्र बिना किसी सुनवाई के, आदेश के लिए पेश कर दिया जाएगा।

पुष्टि का आदेश

नियम 30 की, धारा 13 (5) के साथ पढ़ने पर, यह प्रावधान है कि परिवर्तन की पुष्टि करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक लेनदार और डिबेंचर धारक जिसे केन्द्रीय सरकार की राय में आपत्ति करने का अधिकार है और जो ऐसे रीति में जो केन्द्रीय सरकार में विहित की है अपनी आपत्ति प्रकट करता है, केन्द्रीय सरकार को इस बात की संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि परिवर्तन के लिए उस व्यक्ति की स्वीकृति ले ली गयी थी या उसके ऋण या दावों का भुतान कर दिया है निर्धारित कर दिया है या उन्हें प्रतिभूति बना दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार जो उपयुक्त समझे परिवर्तन की पुष्टि उन शर्तों पर, आदेश कर सकती है और लागत के बारे में भी अपना आदेश जो उचित समझे दे सकती है।

आप नोट करें कि पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी यदि कंपनी के विरुद्ध कोई निरीक्षण, जांच या छानबीन चल रही हो या इस अधिनियम के अन्तर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है।

धारा (13) की उपधारा 5 के अनुसार केन्द्रीय सरकार, उपधारा 4 के अधिन आवेदन का निपटारा साठ दिन अवधि के भीतर करेगी।

केन्द्रीय सरकार के आदेश को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना

धारा 13 (7) कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 को साथ पढ़ने पर यह प्रावधान है कि परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी भी कंपनी रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानातंरण होता है, तब परिवर्तन की अनुमति की केन्द्रीय सरकार से प्राप्त आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि कंपनी द्वारा 30 दिन के भीतर प्रत्येक राज्य रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी जो उसे रजिस्टर करेगा और उस राज्य का रजिस्ट्रार जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थानांतरित किया जा रहा है परिवर्तन को दर्शाते हुए, निगमन का नया प्रमाण पत्र जारी करेगा।

7.7.3 उद्देश्य खंड में परिवर्तन

उद्देश्य खंड के परिवर्तन को दो भागों में चर्चा करेंगे :

1) उद्देश्य खंड का परिवर्तन उस कंपनी द्वारा जिसने प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) जारी नहीं किया।

2) उद्देश्य खंड का परिवर्तन उस कंपनी द्वारा जिसने प्रविवरण जारी किया है।

1) **उद्देश्य खंड का परिवर्तन उस कंपनी द्वारा जिसने प्रविवरण जारी नहीं किया :** जिस कंपनी ने प्रविवरण जारी नहीं किया है वह अपने उद्देश्य खंड में विशेष प्रस्ताव पारित कर परिवर्तन कर सकती है। [धारा 13(1)]

2) **उद्देश्य खंड में परिवर्तन जहां कंपनी के प्रविवरण जारी किया है :** धारा 13 (8), कंपनी निगमन नियम 2014 के नियम 32 के साथ पढ़ने पर कहती है कि कोई भी कंपनी जिसने प्रविवरण के माध्यम से जनता से धन जुटाया है और अभी तक उस के पास इस प्रकार एकत्रित धन में से कोई अनुपयोजित राशि है वह अपना उद्देश्य खंड में डाक मतदान द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित किये बिना परिवर्तन नहीं कर सकती।

इसके अतिरिक्त

i) उद्देश्य खंड का परिवर्तन करने वाले प्रस्ताव के नोटिस में निर्धारित विवरण जिसमें शामिल होंगे जो रकम प्रविवरण द्वारा जुटायी गयी थी उसमें से कितना उपयोग नहीं हुआ, उद्देश्य खंड का परिवर्तन करने का औचित्य व नए उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित रकम जो उपयोग करनी है।

ii) उद्देश्यों खंड में परिवर्तन के लिए पारित किए जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को उन समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी में और एक स्थानीय भाषा में) प्रकाशित किया जाएगा जो उस स्थान पर प्रचलन में है जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड आफिस स्थित है।

iii) डाक मत पत्र सूचनाओं को अंशधारियों को भेजे जाने के साथ-साथ विज्ञापन भी प्रकाशित किया जायेगा।

iv) कंपनी की वेबसाइट यदि कोई है, पर भी सूचना प्रदर्शित होगी, जिसमें इस परिवर्तन का औचित्य बताना होगा।

v) असहमति प्रकट करने वाले शेयर धारकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विनिमयों के अनुसार नियंत्रण रखने वाले प्रवर्तकों और शेयर धारकों द्वारा कंपनी छोड़ने का अवसर दिया जाएगा।

vi) रजिस्ट्रार कंपनी के उद्देश्य की बाबत सीमानियम के परिवर्तन को रजिस्टर करेगा और विशेष प्रस्ताव के फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर पंजीकरण को प्रमाणित करेगा।

7.7.4 दायित्व खंड में परिवर्तन

कंपनी अधिनियम 2013 में या उसके अन्तर्गत बताए गये नियमों में दायित्व परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, कंपनी अपने सदस्य का दायित्व बढ़ा नहीं सकती जब तक सदस्य लिखित में सहमति न दे दे क्योंकि कंपनी और सदस्यों के बीच अनुबंधिक संबंध होता है। सदस्य की स्वीकृति परिवर्तन के पहले या बाद में भी ली जा सकती है। दायित्व में बढ़ोतरी सदस्य के पास जो शेयर हैं उसे और अधिक शेयर देकर बढ़ाई जा सकती है उस तिथि पर जिस पर परिवर्तन किया गया है किसी और रीति से।

एक असीमित कंपनी में कंपनी का दोबारा पंजीकरण कर दायित्व सीमित या कम किया जा सकता (धारा 18)।

यह परिवर्तन किसी ऋण, देयताओं, दायित्वों या अनुबन्धों जो कंपनी के द्वारा या कंपनी के साथ असीमित कंपनी के सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत होने से पहले किए गए हैं उन पर प्रभाव नहीं डालेगा [(धारा 18 (3)]।

7.7.5 पूँजी खंड में परिवर्तन

धारा 61 के अनुसार किसी सीमित कंपनी को, जिसकी शेयर पूँजी है, यदि उसके अन्तर्नियम द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है तो वह अपनी साधारण सभा में अपने सीमानियम में पूँजी से सम्बन्धित शर्तों में निम्नलिखित परिवर्तन कर सकती है :

1) अपनी प्राधिकृत शेयर पूँजी में इतनी रकम तक वृद्धि कर जो वह आवश्यक समझे;
2) अपनी सभी या कुछ शेयर पूँजी को अपने विद्यमान शेयरों की अपेक्षा ज्यादा रकम के शेयरों में समेकित और विभाजित करने के लिए जैसे 10 शेयर 10 रुपए प्रति शेयर को एक शेयर 100 रुपए में समेकित करना;
3) अपने सभी या किन्ही पूर्णतः प्रदत्त शेयरों स्टॅक में परिवर्तित करना और उस स्टॉक को किसी अंकित मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त शेयरों में पुनः परिवर्तित करना;
4) अपने सभी शेयरों का या उन में से कुछ या सीमानियम द्वारा निश्चित किए गए मूल्य से कम राशि के शेयरों में उपविभाजन करना, परन्तु कम किए गए मूल्य के शेयर पर चुकायी गयी व बकाया राशि का वही अनुपात होना चाहिए;
5) शेयरों को रद्द करना जो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव के पारित होने की तारीख तक न तो क्रय किये गये हैं और न ही जिन्हें खरीदने का प्रस्ताव मिला है और इस प्रकार रद्द किए गए शेयरों की राशि से अपनी शेयर पूँजी को कम करना।

बोध प्रश्न 2

1) रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए :
   i) एक कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय का दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित कर सकती है और .... की अनुमति लेनी होगी।
   ii) पूँजी खंड सीमानियम में कंपनी की .... पूँजी को बताता है।
   iii) पूँजी खंड का परिवर्तन .... द्वारा किया जा सकता है।
   iv) उस कंपनी ने जिसने प्रविवरण जारी किया है और जो रकम जुटाई है उसका आंशिक हिस्सा उपयोग नहीं किया है वह उद्देश्य खंड में परिवर्तन .... कर सकती है।
2) निम्नलिखित कथन **सही** हैं :
   क) i) सीमानियम एक अपरिवर्तनीय चार्टर है।
      ii) सीमानियम एक ऐसा चार्टर जिसका परिवर्तन हो सकता हैं।
      iii) सीमानियम चार्टर नहीं होता।
   ख) i) कंपनी का प्राधिकृत पूँजी का परिवर्तन नहीं हो सकता।
      ii) कंपनी की प्राधिकृत पूँजी को एक साधारण प्रस्ताव पारित कर के बढ़ाया जा सकता है।
      iii) कंपनी की प्राधिकृत पूँजी को एक विशेष प्रस्ताव पारित करके बढ़ाया जा सकता है।
      iv) कंपनी का प्राधिकृत पूँजी को एक विशेष प्रस्ताव पारित कर और केन्द्रीय सरकार की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

7.8 सारांश

कंपनी का सीमानियम एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। यह कंपनी की शक्तियों को और सीमाओं को परिभाषित करता है। कोई भी कार्य कंपनी सीमानियम के क्षेत्र से बाहर शक्तिबाह्य कहलाता है और इसलिए अपरिवर्तनीय है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार सीमानियम को अनुसूची 1 में तालिका A,B,C,D और E जो भी कंपनी पर लागू होती है उस ही प्रकार का होना चाहिए। धारा 4 पुनः कहती हैं कि सीमानियम में सीमित कंपनी की कुछ सूचनाएं होनी चाहिए जिसमें कि इसका नाम (नाम के अन्तिम शब्द 'लिमिटेड' या 'प्राइवेट लिमिटेड') राज्य का नाम जहां उसका पंजीकृत कार्यालय हो, उसके उद्देश्य, दायित्व सीमित या असीमित, उसकी प्राधिकृत पूँजी और पूँजी का निर्धारित राशि में शेयरों का विभाजन। सीमानियम में निम्नलिखित खंड होते हैं।

नाम खंडः प्रवर्तक कंपनी का कोई भी उचित नाम चुन सकते हैं। शर्त है कि (i) अन्तिम शब्द 'लिमिटेड' या 'प्राइवेट लिमिटेड (जैसा हो) होना चाहिए (पूर्व उद्देश्यों वाली कंपनी के सिवाए यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस हो); (ii) नाम अवांछनीय न हो। केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कुछ नियम बनाए हैं। प्रत्येक कंपनी अपने नाम और पते को कार्यालय के बाहर या ऐसे स्थान पर, जहां से कारोबार चलाया जाता है किसी सहजदृश्य स्थिति में, पठनीय हो, पेंट कराना होगा या चिपकाना होगा और उस भाषा में जो उस स्थान पर प्रयोग होती हैं, में भी पेंट कराना होगा।

कार्यालय खंड : इस खंड में उस राज्य का नाम होगा जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है। पंजीकृत कार्यालय से कंपनी के अधिवास (Domicile) का पता चलता हैं।

उद्देश्य खंड : इस खंड में कंपनी के उद्देश्यों का उल्लेख होता है जिनके लिए प्रस्तावित कंपनी का पंजीकरण किया जाता है और ऐसे कार्य जो उन उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक हो। कोई भी कार्य जो सीमानियम में दिए उद्देश्यों से बाहर हो 'शक्तिबाह्य' कहलाता है। इसलिए वह कार्य व्यर्थ है।

दायित्व खंड : यह खंड सदस्यों के दायित्व की प्रकृति को दर्शाता है। सीमित दायित्व वाली कंपनी में इस खंड में सदस्यों के शेयरों पर जो बकाया राशि है उस तक दायित्व सीमित होता है। गारंटी वाली कंपनी में उस रकम तक दायित्व होता है जो शेयरधारी ने गारंटी की है।

संघ या अभिदान खंड : कंपनी के सीमानियम के अंत में संघ खंड होता है। प्रत्येक अभिदाता कितने शेयर ले रहा है अपने नाम के आगे लिखता है।

सीमानियम में परिवर्तन : सीमानियम में परिवर्तन अधिनियम में दी हुई प्रक्रिया के और सीमा के अनुसार हो सकता है। कंपनी का नाम विशेष प्रस्ताव पारित कर और केन्द्रीय सरकार की अनुमति से परिवर्तित हो सकता है। केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती यदि नाम में परिवर्तन केवल 'प्राइवेट' शब्द हटाने या उसे में जोड़ने का हो या प्राइवेट को 'पब्लिक' और पब्लिक को 'प्राइवेट' में बदलना हो।

जहां पर कंपनी का पंजीकरण किसी अवांछनीय नाम से हुआ है केन्द्रीय सरकार उस कंपनी को नाम बदलने का निर्देश दे सकती है। ऐसी स्थिति में कंपनी साधारण प्रस्ताव पारित करके और केन्द्रीय सरकार को नया नाम के लिए पुष्टि से नाम बदल सकती है।

पंजीकृत कार्यालय एक भवन से दूसरे भवन में बदलने के लिए निदेशक बोर्ड द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित होगा और रजिस्ट्रार को 15 दिन के भीतर सूचित करना होगा।

परन्तु जब एक शहर से दूसरे शहर में कार्यालय का उस ही राज्य में परितर्वन करना हो तो साधारण सभा में शेयरधारी एक विशेष प्रस्ताव पारित करेंगे। यदि एक शहर से दूसरे शहर में उस ही राज्य में परिवर्तन करने से एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार की अधिकारिता है तो क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि लेनी भी होगी। क्षेत्रीय निदेशक की पुष्टि की तिथि से 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास पुष्टि पत्र फाइल करना होगा। रजिस्ट्रार उसे पंजीकृत करेगा और पुष्टि के फाइल करने के 30 दिन के भीतर उसे प्रमाणित करेगा।

यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन हो तो शेयरधारियों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की पुष्टि लेनी होगी।

उद्देश्य खंड का परिवर्तन उस कंपनी का जिसने प्रविवरण जारी नहीं किया है यदि अन्तर्नियम इस पर मौन है तो कंपनी किसी भी समय, कंपनी निदेशक बोर्ड का प्रस्ताव पारित कर उद्देश्य परिवर्तित कर सकती है। जिस कंपनी ने प्रविवरण जारी करके धन प्राप्त किया है और अब भी कुछ भाग उस राशि का शेष है तो उद्देश्य खंड का परिवर्तन जब नहीं होगा जब तक एक विशेष प्रस्ताव डाक मतदान द्वारा कंपनी द्वारा पारित नहीं किया जाता। कंपनी के दायित्व खंड में तब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक सदस्य लिखित में सहमति नहीं देंगे।

पूँजी खंड में परिवर्तन में कंपनी की प्राधिकृत पूँजी में बढ़ोतरी, शेयरों का समेकन या विभाजन या शेयरों को रद्द करना जो किसी व्यक्ति ने नहीं लिए या लेने की सहमति नहीं दी है शामिल हैं। यह परिवर्तन धारा 61 के अनुसार शेयरधारियों की साधारण सभा में साधारण प्रस्ताव पारित कर हो सकते हैं।

7.9 शब्दावली

सीमानियम (Memorandum of Association) : यह कंपनी का प्रमुख प्रलेख है जिसके अधीन कंपनी की स्थापना की जाती है।

सीमित दायित्व (Limited Company) : सदस्यों द्वारा लिये गये शहरों पर अदत्त राशि तक ही उनका दायित्व सीमित होता है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में सदस्यों का दायित्व उस राशि तक होता है जो कंपनी के समापन के समय उनसे मांगी जा सकती है।

सम-मूल्य (Par-Value) : शेयरों द्वारा सीमित कंपनी की शेयर पूँजी होती है जो अंकित मूल्य के निश्चित शेयरों में बंटी होती है। शेयरों के निश्चित अंकित मूल्य को 'सम-मूल्य' कहते हैं।

पंजीकृत कार्यालय (Registered Office) : कंपनी का पंजीकृत कार्यालय उसके निवास-स्थान का निर्णय करता है और इस कार्यालय पर नोटिस भेजे जाते हैं और कोई भी संदेश भेजा जाता है।

शक्तिबाह्य (Ultra Vires) : ऐसे कार्य जो कंपनी की शक्ति या अधिकार से बाहर हैं।

असीमित दायित्व (Unlimited Liability) : जब कंपनी की देयताओं का भुगतान करने के लिए उसके सदस्यों की व्यक्तिगत या निजी सम्पत्ति का उपयोग किया जाए सदस्यों का असीमित दायित्व कहा जाता है।

7.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) तालिका A- शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के लिए

   तालिका B- गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए जिसकी शेयर पूँजी नहीं है

   तालिका C- गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के लिए जिसकी शेयर पूँजी है

   तालिका D- असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसकी शेयर पूँजी नहीं है

   तालिका E- असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसकी शेयर पूँजी है

2) i) 7; 2; ii) एक iii) सदस्य

3) i) सही ii) गलत iii) गलत iv) सही v) सही vi) गलत

बोध प्रश्न 2

1) i) केन्द्रीय सरकार

   ii) प्राधिकृत/पंजीकृत पूँजी

   iii) साधारण सभा में सामान्य प्रस्ताव पारित करके

   iv) विशेष प्रस्ताव डाक मतदान द्वारा पारित करके

2) क (i) ख (ii)

7.11 अभ्यास के लिए प्रश्न

1) सीमानियम से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए।
2) सीमानियम का उद्देश्य क्या है ?
3) सीमानियम में शामिल विभिन्न खंडों की सूची बनाइए।
4) शक्तिबाह्य सिद्धान्त को उपयुक्त उदाहरण दे कर समझाइए।
5) कंपनी के उद्देश्य को परिवर्तित करने की पद्धति का वर्णन कीजिए।

टिप्पणी : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए हैं।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

इकाई 8 अन्तर्नियम (Articles of Association)

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 अन्तर्नियम का अर्थ तथा प्रयोजन

8.3 अन्तर्नियमों का पंजीकरण

8.4 अन्तर्नियमों की विषय-वस्तु

8.5 अन्तर्नियम में परिवर्तन

8.5.1 अन्तर्नियमों में परिवर्तन की सीमाएं

8.5.2 परिवर्तित अन्तर्नियमों का प्रभाव

8.6 अन्तर्नियम एवं सीमानियम के बीच सम्बन्ध

8.7 अन्तर्नियम एवं सीमानियम में अन्तर

8.8 अन्तर्नियम एवं सीीमानियम का बाध्यकारी प्रभाव

8.9 सीमानियम एवं अन्तर्नियम की प्रलक्षित सूचना

8.10 आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त

8.11 सारांश

8.12 शब्दावली

8.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.14 अभ्यास के लिए प्रश्न

8.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- अन्तर्नियम का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कर सकें;
- अन्तर्नियम का उद्देश्य समझ सकें;
- अन्तर्नियम की विषयवस्तु का वर्णन कर सकें;
- अन्तर्नियम में परिवर्तन करने की पद्धति की व्याख्या कर सकें;
- अन्तर्नियम में परिवर्तन करने के अधिकार की कंपनी की सीमा जान सकें;
- अन्तर्नियम तथा सीमानियम के बीच परस्पर सम्बन्ध एवं अन्तर बता सकें;
- सीमानियम तथा अन्तर्नियम के कानूनी प्रभावों की व्याख्या कर सकें; और
- प्रलक्षित सूचना एवं आन्तरिक प्रबन्धन के सिद्धान्त वर्णन कर सकें।

8.1 प्रस्तावना

पिछली इकाइयों में आप पढ़ चुके हैं कि कंपनी एक निगमित निकाय होती है। अतः इसके व्यापार का संचालन करने तथा आन्तरिक मामलों का प्रबन्ध करने के लिए नियमों को

बनाना आवश्यक है। कंपनी तथा उसके सदस्यों के परस्पर संबंधों को भी परिभाषित करना आवश्यक है। सदस्यों एवं कंपनी के एक दूसरे के प्रति अधिकार एवं कर्त्तव्यों का भी वर्णन किया जाना चाहिए। इनसे सम्बन्धित समस्त नियम एवं विनियम अन्तर्नियमों में दिए जाते हैं। कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराया जाने वाला दूसरा प्रमुख प्रलेख अन्तर्नियम है।

कंपनी अधिनियम 2013 में अनुसूची 1 में तालिका च, छ, ज, ञ (F,G,H,I,J) में कंपनी अधिनियम में विभिन्न प्रकार की कंपनियों से संबंधित प्रबन्धन करने के मॉडल (नमूने) नियम दिए गए हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने अन्तर्नियम बनाने चाहिएं। कंपनी अन्तर्नियम के मॉडल (नमूने) पूर्ण या आंशिक रूपसे अपना सकती है। इस इकाई में अन्तर्नियम का महत्व एवं विषयवस्तु का अध्ययन करेंगे। आप सीमानियम एवं अन्तर्नियम के बीच अन्तर को भी पढ़ेंगे। अन्तर्नियमों में परिवर्तन करने की पद्धति का भी वर्णन किया गया। आप इन प्रलेखों के कानूनी प्रभावों का भी अध्ययन करेंगे। प्रलक्षित सूचना एवं आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त का विस्तार से वर्णन किया गया है।

8.2 अन्तर्नियम का अर्थ तथा प्रयोजन

अन्तर्नियम कंपनी के उपनियम, या नियम और विनियम होते हैं जो कंपनी के आंतरिक मामलों के प्रबन्ध और व्यापार को संचालित करते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा (5) के अनुसार अन्तर्नियमों की परिभाषा इस प्रकार है– अन्तर्नियम से तात्पर्य पिछले कंपनी अधिनियमों या वर्तमान कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत मूल रूप से बनाए गए अथवा समय-समय पर परिवर्तित किए गए अन्तर्नियम से है।''

अन्तर्नियम कंपनी के आन्तरिक प्रबंध को नियमित करते हैं। ये अधिकारियों की शक्ति बतलाते हैं। ये कंपनी और सदस्यों के आपस में और परस्पर सदस्यों में एक अनुबन्ध का आधार होते हैं। यह अनुबंध कंपनी में सदस्यता से जुड़े साधारण अधिकार एवं दायित्वों को नियंत्रण करते हैं। **[(Naresh Chandra Sanyal v. Calcuatta Stock Exchange Association Ltd. (1971)].**

अन्तर्नियम साझेदारी में साझेदारी विलेख के समान होते हैं। ये कंपनी के संचालन सम्बन्धी प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हैं। विशेष रूप से ऐसे मामले जैसे मांग राशि, शेयरों को जब्त करना, निदेशकों को योग्यता व शेयर ऋण पत्रों के हस्तांतरण और पारेषण की पद्धति बताते हैं।

8.3 अन्तर्नियमों का पंजीकरण

पंजीकरण करने के लिए कंपनी को जो दस्तावेज फाइल करने होते हैं उनमें एक अन्तर्नियम भी हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 5 के अनुसार कंपनी अपने अन्तर्नियम अनुसूची 1 में दी गयी तालिका F,G,H,I और J के अनुसार बना सकती है जो प्रारूप उस पर लागू होता है।

1) तालिका F में शेयर द्वारा सीमित कंपनी के लिए अन्तर्नियमों का प्रारूप दिया गया है। तालिका G,H,I और J में गांरटी द्वारा कंपनी जिसकी शेयर पूँजी हैं, गांरटी द्वारा सीमित कंपनी जिसकी शेयर पूँजी नहीं है, असीमित कंपनी जिसके मॉडल (प्रारूप) अन्तर्नियम क्रमशः दिए गए है। कंपनी उन मॉडल अन्तर्नियमों के नियमों को जो उन पर लागू होते हैं पूर्णतः या अंशतः अपना सकती है।

2) ऐसी कंपनी की दशा में, जो कंपनी अधिनियम 2013 में पंजीकृत हुई है, जहां तक ऐसी कंपनी में रजिस्ट्रीकृत अन्तर्नियम उस कंपनी को लागू आदर्श (प्रारूप) अन्तर्नियमों में अन्तर्विष्ट विनियमों को संशोधित या अलग नहीं करते हैं, वे विनियम, जहां तक लागू हों उसी रीति में और उसी सीमा तक उस कंपनी के विनिमय होंगे, मानो वे कंपनी के सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत अन्तर्नियमों में निहित रहे हों।

कंपनियों जिनका पंजीकरण किसी पूर्व कानून के अन्तर्गत हुआ है उसके वर्तमान अन्तर्नियम ही चालू रहेंगे जब तक कंपनी अपने अन्तर्नियम तालिका में दिए गये मॉडल अन्तर्नियमों के अनुसार जो उस पर लागू होंगे, बदल नहीं देती।

अन्तर्नियम पर हस्ताक्षर

कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 13 के अनुसार सीमानियम व अन्तर्नियमों पर निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार हस्ताक्षर किये जायेंगे;

- सीमानियम व अन्तर्नियमों पर सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता के हस्ताक्षर होने चाहिए जिन्हें अपना, नाम, पता, विवरण व व्यवसाय, यदि कोई है, लिखना होगा एक गवाह की उपस्थिति में जो उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उसे अपने नाम, पता विवरण व व्यवसाय यदि कोई है लिखना होगा।
- जहां सीमानियम का अभिदाता अनपढ़ है, ऐसी स्थिति में वह अंगूठे का निशान या चिन्ह लगायेगा जिसका विवरण उस व्यक्ति द्वारा दिया जायेगा जो उसके लिए लिख रहा है। वह अभिदाता का नाम निशान के सामने या नीचे लिखेगा और उसे अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित करेगा। वह अभिदाता द्वारा लिये गये शेयरों की संख्या उसके नाम के आगे लिखेगा। वह अभिदाता को सीमानियम व अन्तर्नियम की विषयवस्तु का पढ़ कर वर्णन करेगा और इसकी सीमानियम व अन्तर्नियम पर पुष्टि करेगा।
- जहां पर अभिदाता एक निगमित निकाय है, निगमित निकाय के सीमानियम व अन्तर्नियमों पर निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे जिन्हें निगमित निकाय के निदेशक बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पारित कर प्राधिकृत किया गया हो।
- जहां अभिदाता एक सीमित दायित्व साझेदारी है, इस पर सीमित दायित्व साझेदारी के एक साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे जिसे सीमित दायित्व साझेदारी के सभी साझेदार के एक प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा।
- जहाँ सीमानियम का अभिदाता एक विदेशी नागरिक है जो भारत से बाहर रह रहा हो, सीमानियम व अन्तर्नियम पर उस रीति में हस्ताक्षर किए जायेंगे जैसाकि नियमों में निर्धारित हो।

8.4 अन्तर्नियमों की विषय-वस्तु

आप पढ़ चुके हैं कि अन्तर्नियमों में कंपनी के आंतरिक प्रबन्ध सम्बन्धी नियम और विनियम होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 के अनुसार अन्तर्नियम में ऐसे विषय भी हो सकते हैं जो निर्धारित किए जाएं। फिर भी कंपनी ऐसे अतिरिक्त विषय जो इसके प्रबंध के लिए आवश्यक हैं वे भी अन्तर्नियम में सम्मिलित कर सकती है।

दृढ़ स्थिति के लिए प्रावधान (Provisions for Entrenchment)

कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार कुछ सम्मिलित किए प्रावधान हैं जो अन्तर्नियम की दृढ़ स्थिति से संबंधित हैं। धारा 5 की उपधारा 3 के अनुसार अन्तर्नियम में दृढ़ स्थिति से

संबंधित प्रावधान हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि अन्तर्नियमों के कुछ प्रावधान ऐसे हो सकते हैं जिनके अनुसार केवल विशेष प्रस्ताव पारित करके अन्तर्नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसके लिए एक विस्तृत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

पूर्वकथित दृढ़स्थिति में प्रावधानों को केवल कंपनी के निगमन के समय बनाया जा सकता है या अन्तर्नियमों में परिवर्तन के द्वारा, सार्वजनिक कंपनी में विशेष प्रस्ताव द्वारा और निजी कंपनी में सब सदस्यों की अनुमति से।

दृढ़स्थिति के प्रावधान कंपनी के निगमन के समय बने हों या अन्तर्नियम में संशोधन करके कंपनी को इसकी सूचना उस विधि और पद्धति के अनुसार रजिस्ट्रार को देनी होगी जैसा निर्धारित हो।

कंपनी के अन्तर्नियम में सामान्यतः निम्नलिखित से सम्बन्धित नियम और विनियम होते हैं:

i) संबंधित तालिकाओं में मॉडल (प्रारूप) अन्तर्नियमों को किस सीमा तक, पूर्ण या आंशिक रूप से अलग किया गया है।

ii) शेयर पूँजी-शेयर और उनका मूल्य तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के शेयरों में विभाजन अर्थात् शेयर पूँजी कितने मूल्य इक्विटी शेयरों और पूर्वाधिकार शेयरों में विभाजित है, यदि कोई है।

iii) प्रत्येक वर्ग के शेयरधारियों के अधिकार तथा उनके अधिकारों में परिवर्तन करने की पद्धति।

iv) शेयरों के आबंटन, उनके लिए राशि की मांग करने तथा शेयरों को जब्त करने की विधि।

v) शेयर पूँजी में वृद्धि, परिवर्तन या उसे घटाने सम्बन्धी नियम।

vi) शेयरों के हस्तांतरण और पोषण संबंधी नियम तथा उनके लिए अपनायी जाने वाली विधि।

vii) सदस्यों को आबंटित शेयरों पर अदत्त राशि के लिए कंपनी का ऐसे शेयरों पर पूर्वाधिकार और इस संबंध में अपनायी जाने वाली विधि।

viii) कंपनी निदेशकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति, उन के पारिश्रमिक, अधिकार व कर्त्तव्य।

ix) लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति और सामाजिक दायित्व समिति गठन और संयोजन।

x) शेयरों को स्टॉक में परिवर्तन करने की विधि तथा विपरीतयता (vice-versa)।

xi) सभा की सूचना, सदस्यों का मताधिकार, प्रॉक्सी, कोरम और मतदान आदि।

xii) लेखों का अंकेक्षण, कोश में राशि अन्तरित करना, लाभांश घोषित करना इत्यादि।

xiii) कंपनी के ऋण लेने संबंधी अधिकार तथा उन अधिकारों के प्रयोग की विधि।

xiv) शेयर प्रमाण पत्र जारी करना और प्रतिलिपि (Duplicate Share) जारी करने की विधि।

xv) कंपनी का समापन।

अन्तर्नियमों को बड़ी सावधानी से तैयार करना चाहिए और इसमें उन समस्त विषयों से सम्बन्धित नियमों से सम्मिलित किया जाना चाहिए जिन्हें इस तरह सम्मिलित करना आवश्यक है तथा जो कंपनी के सुचारू संचालन लिए आवश्यक हों।

परन्तु आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम तथा सीमानियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई नियम इसमें नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, अन्तर्नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो पूँजी में से लाभांश वितरण की अनुमति दे क्योंकि धारा 123 के अनुसार केवल लाभ में से ही लाभांश वितरित किया जा सकता है।

असीमित कंपनी, गांरटी वाली सीमित कंपनी और शेयर द्वारा सीमित निजी कंपनी के लिए आवश्यक विनियम

अनुसूची 1 में तालिका छ,ज,झ,त्र के अनुसार गारंटी वाली कंपनी जिसकी शेयर पूँजी है और असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसकी शेयर पूँजी है उनको सदस्यों की संख्या बतानी होगी जिनके साथ वह पंजीकरण करने का विचार कर रही है। गांरटी वाली कंपनी जिसकी शेयर पूँजी नहीं है और असीमित दायित्व वाली कंपनी जिसकी शेयर पूँजी नहीं है उनको अन्तर्नियमों में यह देना होगा कि सीमानियम के अभिदाता और वह दूसरे व्यक्ति जिन्हें बोर्ड सदस्यता के लिए स्वीकार करेगा वे भी कंपनी के सदस्य होंगे।

एक निजी कंपनी जिसकी शेयर पूँजी है अपने अन्तर्नियमों में 2(68) की उपधारा (i), (ii) और (iii) के अनुसार तीन प्रतिबंधों का उल्लेख करेगी जो हैं i) अपने शेयरों के हस्तांतरण का अधिकार ii) अपने सदस्यों की सीमित संख्या (iii) अपनी किसी भी प्रतिभूतियों के अभिदान करने के लिए जनता को आमंत्रण और दूसरी कोई निजी कंपनी (जिसका शेयर पूँजी नहीं है) अपने अन्तर्नियमों में ऊपर दिये गये केवल पहले और दूसरे प्रतिबंधों का वर्णन करेगी।

8.5 अन्तर्नियमों में परिवर्तन

धारा 14 में प्रावधान है कि कंपनी, इस अधिनियम के प्रावधानों को अपने सीमानियम में अंतर्विष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए अपने अन्तर्नियमों में परिवर्तन कर सकेगी। जहां परिवर्तन का प्रभाव (क) किसी निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में; या

(ख) किसी सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में है वहां कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अंतर्नियमों में परिवर्तन कर सकती है।

परन्तु जहां, कोई कंपनी निजी कंपनी है, वह अपने अन्तर्नियमों में इस प्रकार परिवर्तन करती है कि उसमें अब ऐसे प्रतिबन्ध और परिसीमाएं सम्मिलित नहीं हैं जो निजी कंपनी के अन्तर्नियमों में होनी चाहिए यानी जो प्रतिबन्ध धारा 2(68) में हैं, कंपनी ऐसे परिवर्तन की तारीख से निजी कंपनी नहीं रहेगीं।

दूसरे शब्दों में, एक निजी कंपनी अपने को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है यदि वह तीनों प्रतिबंधित उपधाराओं को, जो 2(68) में दी हैं, उन्हें हटा दे (यह निजी कंपनी की परिभाषा में बताया जा चुका है)।

परन्तु अन्तर्नियमों में किया गया ऐसा परिवर्तन जिसके परिणामस्वरूप एक सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में परिवर्तन हो जाए तब तक प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि अधिकरण से अनुमति प्राप्त न हो जाए। दूसरे शब्दों में यदि कोई सार्वजनिक कंपनी एक निजी कंपनी में परिवर्तित होना चाहती है धारा 2(68) के तीनों प्रतिबंधित उपधारकों को लागू करना और केवल विशेष प्रस्ताव पास करना यह पर्याप्त नहीं होगा; उसे अधिकरण की अनुमति भी लेनी होगी।

117 के अंतर्गत आवश्यक विशेष प्रस्ताव पारित करने के 30 दिन के अन्दर विशेष प्रस्ताव की प्रति धारा रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी होगी। विशेष प्रस्ताव द्वारा अन्तर्नियम परिवर्तन करने का अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि इस अधिकार से कंपनी अपने आपको वंचित नहीं कर सकती। **(Walker v London Training Company (1879))** ।

धारा 14 (2) के अनुसार अन्तर्नियम का प्रत्येक परिवर्तन और अधिकरण द्वारा परिवर्तन की अनुमति के आदेश की एक प्रति परिवर्तित अन्तर्नियम की मुद्रित प्रति के साथ, पंद्रह दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी, जिसे रजिस्ट्रार पंजीकृत करेगा। उपधारा (2) के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्नियम का कोई भी परिवर्तन, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है, वैध होगा मानो जैसे ये आरम्भ से ही अन्तर्नियमों में थे।

8.5.1 अन्तर्नियमों में परिवर्तन की सीमाएं

आपने नोट किया होगा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 में प्रावधान है कि विशेष प्रस्ताव पारित कर कंपनी अपने अन्तर्नियमों को बदल सकती है और जहां सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलना हो, कंपनी को विशेष प्रस्ताव के अतिरिक्त अधिकरण की अनुमति प्राप्त करनी होगी। यद्यपि अन्तर्नियम में परिवर्तन कंपनी का अधिकार है परन्तु इस अधिकार पर कुछ सीमाएं है। ये सीमाएं इस प्रकार हैं :

1) **सीमानियम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए** : अन्तर्नियम में प्रस्तावित परितर्वन सीमानियम में दिए हुए अधिकारों से अधिक नहीं होना चाहिए और सीमानियम में दिए हुए प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सीमानियम और अन्तर्नियम में विरोध होने पर सीमानियम के प्रावधान लागू होंगे।

2) **कंपनी अधिनियम 2013 के या किसी और कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए** : परिवर्तन कंपनी अधिनियम या और किसी कानून के विरुद्ध या असंगत नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, धारा 67 के अनुसार कोई सार्वजनिक कंपनी अपने शेयर क्रय करने के लिए अपनी ही रकम का उपयोग नहीं कर सकती और यदि अन्तर्नियम में ऐसा अधिकार दिया है तो वह व्यर्थ (void) होगा।

   इस प्रकार किसी सदस्य को निकालने और निदेशक को बिना किसी हस्तांतरण प्रपत्र (instrument of transfer) के उसके शेयर हस्तांतरण करने का अधिकार देने का कोई प्रस्ताव पास हुआ तो यह निर्णय हुआ कि प्रस्ताव अवैध है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम में प्रावधानों के विरुद्ध है **(Madhava Ram Chandra Kamath v Canara Banking Corporation (1941))**।

3) **अधिकरण द्वारा किए गए परिवर्तन के विरुद्ध नहीं होना चाहिए** : धारा 242 के अन्तर्गत जब अधिकरण कंपनी को सीमानियम या अन्तर्नियम में परिवर्तन का आदेश देता है, तब कंपनी को कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो उन आदेशाों को विरुद्ध अधिकरण की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन करे।

4) **परिवर्तित अन्तर्नियम में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो अवैधानिक या लोकनीति के विरुद्ध हो।**

5) **परिवर्तन पूर्ण सद्विश्वास में कंपनी के सर्वांगीण हित में होना चहिए** : परिवर्तन अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न व कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। परन्तु किसी एक अकेले शेयरधारी को कठिनाई हो तो वह परिवर्तन गलत नहीं होता। **(Allien v Gokd**

Reefs of West Africa Limited (1900) के वाद में कंपनी को ऐसे सभी शेयरों पर जो ''पूर्णतः प्रदत्त नहीं थे मांग राशि के लिए पूर्वाधिकार (lien) था। केवल एक शेयरधारी ''क'' था जिसके पास पूर्णतः प्रदत्त शेयर थे। उस के पास कुछ ऐसे शेयर थे जिन पर मांग राशि देनी शेष थी। शेयरधारी ''क'' की मृत्यु हो गई। कंपनी के अन्तर्नियमों में परिवर्तन द्वारा शब्द ''पूर्णतः'' प्रदत्त काट दिए और अपने लिए पूर्वाधिकार प्राप्त कर लिया चाहे शेयर पूर्णतः प्रदत्त हैं या नहीं। ''क'' के उत्तराधिकारियों ने इस बात पर चुनौती दी कि परिवर्तन का प्रभाव पुरानी तिथि से हो गया। निर्णय हुआ कि परिवर्तन ठीक था क्योंकि यह कंपनी सर्वांगीण हित के लिए चाहे परिवर्तन का प्रभाव पुरानी तिथि से लागू हो।

पुनः **(Side Bottom v Kershaw Leese & Co.)(1920)** के मुकदमें में एक कंपनी को अन्तर्नियमों में परिवर्तन के बाद किसी भी सदस्य के शेयरों का स्वामित्व हरण (expropriate) जो कंपनी को प्रतिस्पर्धा में अपना व्यापार चला रहा था, का अधिकार दे दिया। परिवर्तन के समय केवल एक ही सदस्य कंपनी की प्रतिस्पर्धा व्यापार में था। उसने परिवर्तन की चुनौती दी। निर्णय हुआ परिवर्तन वैध है क्योंकि कंपनी के हित में लिए सद्भावना से किया है।

6) किसी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए अन्तर्नियमों का परिवर्तन अधिकरण की अनुमति के बिना नहीं हो सकता (धारा 14)।

7) अन्तर्नियमों में ऐसा परितर्वन नहीं किया जा सकता जिससे कंपनी द्वारा किसी तीसरे पक्षकार के साथ अनुबंध भंग होता हो या संविदात्मक दायित्व से बचना हो। **(British murac Sydnicate Ltd v Alperton Rubber Co. (1915))** के मुकदमें में एक करार हुआ कि जब तक वादी सिंडीकेट के पास प्रतिवादी कंपनी के 5000 शेयर हैं इसे दो निदेशकों को प्रतिवादी कंपनी के बोर्ड में मनोनीत का अधिकार होगा। इसी भांति एक प्रावधान अन्तर्नियम 88 में प्रतिवादी कंपनी के अन्तर्नियमों में भी था। वादी सिंडीकेट ने दो निदेशकों को मनोनीत किया परन्तु प्रतिवादी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अन्तर्नियम 88 को रद्द करने का प्रयास किया। परन्तु निषेधाज्ञा के कारण रोक लग गई। न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि अनुबंध में साफ शर्त थी कि अन्तर्नियम 88 का परिवर्तन नहीं होगा। जहां हानि को मुद्रा में आंका जा सकता है, कंपनी अपने अन्तर्नियमों का परिवर्तन कर सकती है केवल उसे अनुबन्ध समाप्त करने पर हर्जाना देना होगा।

8) अन्तर्नियम का पूर्व व्यापी प्रभाव **(retrospective)** होना : अन्तर्नियम के परिवर्तित विनिमय को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, केवल परिवर्तन की तिथि से ही वे लागू होंगे। **(Pyare Lal Sharma v Managing Director, J&K Industries Ltd)(1989).**

8.5.2 परिवर्तित अन्तर्नियमों का प्रभाव

परिवर्तित अन्तर्नियम सदस्यों को मूल अन्तर्नियमों की भांति ही बाध्य करते हैं। धारा 10 के प्रावधान के अनुसार अन्तर्नियम कंपनी और उसके सदस्यों को उस सीमा तक बाध्य करेंगे। मानो कंपनी द्वारा और प्रत्येक सदस्य द्वारा उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए गए हों; इसका अर्थ यह है कि मूल रूप से बनाए गये या समय-समय पर यथा परिवर्तित किए गये अन्तर्नियम अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत वैध हैं। कंपनी को अन्तर्नियमों का परिवर्तन करने का स्पष्ट अधिकार है और परिवर्तित अन्तर्नियम सदस्यों को मूल रूप वाले अन्तर्नियमों की भांति बाध्य करते हैं **(Malleson v National Insurance & Gurantee Corpn.)(1894)**।

सदस्यों के शेयर हस्तांतरण का अधिकार अन्तर्नियमों के और धारा 14 के प्रावधानों के अधीन होता है। इसलिए हस्तांतरिती के अधिकार हस्तांतरक के अधिकार से बेहतर नहीं होते। कंपनी के विरुद्ध हस्तांतरिती के अधिकार जब तक हस्तांतरण प्रभावी ना हुआ हो अन्तर्नियम व अधिनियम दोनों के प्रावधान के अधीन होंगे। हस्तांतरिती परिवर्तन को दुर्भावपूर्ण के आधार पर चुनौती नहीं दे सकता जब तक अन्तर्नियम में परिवर्तन कंपनी के इस अधिकार क्षेत्र में हैं। **(Mathrubumi Printing & Co. v Vardhaman Publishers Ltd [1992])**।

8.6 अन्तर्नियम एवं सीमानियम के बीच सम्बन्ध

सीमानियम कंपनी के उद्देश्यों और अधिकारों को जो उसके पास हैं परिभाषित करता है। अन्तर्नियम निर्धारित करते हैं कि उन उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए और अपने अधिकारों का कैसे प्रयोग किया जाए। अन्तर्नियम सहायक प्रलेख हैं और सीमानियम द्वारा नियंत्रित होते हैं जो कंपनी का संविधान होता हैं सीमानियम के आधारभूत प्रलेख होने के कारण अधिनियम के अनुसार उसका केवल विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है। परन्तु अन्तर्नियम केवल आन्तरिक प्रावधान होते हैं जिन पर सदस्यों का पूर्ण नियंत्रण होता हैं वह जब उपयुक्त समझें उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ध्यान देना होगा कि अन्तर्नियम में दिए हुए नियम सीमानियम में दिए हुए अधिकारों से अधिक न हों **(Ashbury v Watson)(1885)**। अन्तर्नियम जो सीमानियम के बाहर हैं वह शक्तिबाह्य (ultra vires) होते हैं **(Shyam Chand v Calcutta Stock Exhange 1947)**।

इस नियम के अधीन प्रतिकूलता की दशा में सीमानियम के प्रावधान लागू होंगे, सीमानियम और अन्तर्नियम दोनों समसामयिक (contemporaneous) दस्तावेज हैं व दोनों को साथ पढ़ना चाहिए। किसी एक में कोई अनिश्चितता या अस्पष्टता दूसरे के उल्लेख (हवाले) से दूर की जा सकती है।

एक वाद में एक कंपनी के सीमानियम में यह प्रावधान नहीं था कि शेयर एक प्रकार के होंगे या कई प्रकार के होंगे, अन्तर्नियम में कई प्रकार के शेयर जारी करने का प्रावधान था। निर्णय हुआ कि अन्तर्नियम में दिया हुआ प्रावधान अनिश्चितता दूर करता है और कंपनी को कई प्रकार के शेयर जारी करने का अधिकार देता है **(Re, South Durham Brewery Company)(1885)**। जहां सीमानियम ने एक व्यापार करने वाली कंपनी को उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रासंगिक (incidental) कार्य करने की शक्ति प्रदान की थी, यह निर्णय हुआ कि अन्तर्नियमों में प्रावधान कंपनी के किसी को रकम उधार देने की शक्ति देते हैं और वह केवल सीमानियम को साधारण शब्दों में उदाहरण देकर समझाने जैसा है और कंपनी अपने कर्मचारियों को रकम उधार दे सकती है **(Rainford v James Keith and Blackman Company Ltd)(1905)**। इस प्रकार ही एक कंपनी के सीमानियम में इसे अपनी सम्पत्तियों की जमानत पर या उधार ऋण लेने का अधिकार दिया था और अन्तर्नियमों के अन्तर्गत वह अनमांगी (uncalled) पूँजी को भी गिरवी रख सकती थी। निर्णय हुआ कि अन्तर्नियम ने साधारण शब्दों को विशेष बना दिया ताकि कंपनी को अनमांगी पूँजी को गिरवी रखने का अधिकार मिल जाए **(Re Pyle Wroks (No.2)(1891)**।

Ashbury Railway Carriage & Iron Co Ltd v Riche (1875) के केस में लार्ड केर्न्स ने सीमानियम और अन्तर्नियम में सम्बन्धों को बड़े उचित शब्दों में संक्षित रूप से कहा है : ''अन्तर्नियम सीमानियम के आंशिक सहायक (subsidiary) की भूमिका निभाते हैं। वे सीमानियम को कंपनी के निगमन का चार्टर मानते हैं और इनकी स्वीकृति के कारण

अन्तर्नियम प्रबंध निकाय एवं उनके पारस्परिक अधिकारों, कर्त्तव्यों और शक्तियों को अपने और कंपनी के बीच, परिभाषित करते हैं तथा कंपनी का व्यापार किस प्रकार और किस रीति से किया जायेगा व कंपनी के आंतरिक विनियमों की समय-समय पर परिवर्तन की रीति क्या होगी। सीमानियम जैसा पहले था या .... एक क्षेत्र जिसके बाहर कंपनी के कार्य नहीं जा सकते, उस क्षेत्र के अन्दर शेयरधारी जैसा चाहें अपनी सरकार के लिए विनियम बना सकते हैं''।

8.7 अन्तर्नियम एवं सीमानियम में अन्तर

सीमानियम तथा अन्तर्नियम में निम्नलिखित मुख्य अन्तर हैं :

1) सीमानियम में आधारभूत शर्तें होती हैं जिनके अनुसार कंपनी निगमित की जाती है। ये शर्तें लेनदारों और बाहरी जनता तथा शेयरधारियों के हित के लिए होती हैं। अन्तर्नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं जो केवल कंपनी और सदस्यों/शेयरधारियों के बीच और सदस्यों के आपस में सम्बन्धों को संनियमित करते हैं।

2) सीमानियम वह क्षेत्र बताता हैं जिसके बाहर कंपनी कोई कार्य नहीं कर सकती। अन्तर्नियम उस क्षेत्र के भीतर के नियम होते हैं। अतः सीमानियम अन्तर्नियम के मानदंड को निर्धारित करता है।

3) सीमानियम को केवल कुछ अवस्थाओं और अधिनियम में दी हुई पद्धति के अनुसार ही परिवर्तित किया जा सकता है। शेयरधारियों की अनुमति साधारण सभा में विशेष या साधारण प्रस्ताव पारित करने के अलावा अधिकतर केसों में केन्द्रीय सरकार या अधिकरण की अनुमति की आवश्यकता होती है। आमतौर पर अन्तर्नियम में परिवर्तन केवल विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जाता है।

4) सीमानियम में कोई खंड कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अन्तर्नियम कंपनी अधिनियम तथा सीमानियम दोनों के सहायक होते हैं।

5) ऐसे कोई कार्य जो सीमानियम के अधिकारों से बाहर हैं, शक्तिबाह्य कहलाते हैं तथा व्यर्थ होते हैं। सब शेयरधारी मिलकर भी ऐसे कार्यों की पुष्टि नहीं कर सकते। परन्तु अन्तर्नियम के शक्तिबाह्य कार्यों की पुष्टि एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की जा सकती है बशर्ते उपयुक्त प्रावधान सीमानियम से बाहर न हों।

बोध प्रश्न 1

1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

   i) अन्तर्नियम.. के सहायक होते हैं।

   ii) कंपनी के .... प्रबन्धन के लिए अन्तर्नियमों में नियम एवं विनियम दिए जाते हैं।

2) बताइए कि निम्नलिखित कथन **सही हैं** अथवा **गलत**।

   i) अन्तर्नियम कंपनी तथा उनके सदस्यों के बीच सम्बन्धों को नियमित करते हैं।

   ii) अन्तर्नियम कंपनी का चार्टर होते हैं।

   iii) प्रत्येक कंपनी को अपने अन्तर्नियम बनाने आवश्यक हैं।

   iv) अन्तर्नियम पर सीमानियम के अभिदाताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए।

v) अन्तर्नियमों में ऐसे प्रावधान हो सकते हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरीत या असंगत हो।

vi) निजी कंपनी जो शेयर द्वारा सीमित है उसे अपने अन्तर्नियम पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होती।

8.8 अन्तर्नियम एवं सीमानियम का बाध्यकारी प्रभाव

कंपनी अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान किया गया है कि पंजीकृत होने के बाद सीमानियम और अन्तर्नियम कंपनी एवं उसके सदस्यों को उसी सीमा तक बाध्य करते हैं जैसेकि उन पर कंपनी तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों तथा ये कंपनी और सदस्यों द्वारा किए गए ऐसे अनुबन्ध का रूप ले लेते हैं जिसके अनुसार वे सीमानियम एवं अन्तर्नियम के समस्त नियमों का पालन करने के लिए अपनी सहमति देते हैं। कंपनी सदस्यों के प्रति, सदस्य कंपनी के प्रति और सदस्य आपस में एक दूसरे के लिए बाध्य हैं जैसा भी इन दस्तावेजों में दिया हो। लेकिन अन्तर्नियमों के संबंध में कंपनी तथा इसके सदस्य बाहरी व्यक्तियों के प्रति बाध्य नहीं होते। सीमानियम व अन्तर्नियम का वैधानिक प्रभाव का निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत अध्ययन किया जा सकता है :

क) सदस्यों की कंपनी के प्रति बाध्यता

ख) कंपनी की सदस्यों के प्रति बाध्यता

ग) सदस्यों की सदस्यों के प्रति बाध्यता

क) **सदस्यों की कंपनी के प्रति बाध्यता** : सीमानियम एवं अन्तर्नियम के प्रावधानों का हर सदस्य को पालन करना होगा। सीमानियम तथा अन्तर्नियम जो भी लिखा है प्रत्येक सदस्य उस से बाध्य होगा।

बौरलैडंस् ट्रस्टी बनाम स्टीन ब्रदर्स एंड कं लिमिटेड (Borlands Trustee v Steel Brothers and Co. Ltd.) के केस में कंपनी के अन्तर्नियम में यह प्रावधान था कि किसी सदस्य के दिवालिया हो जाने पर उसके शेयरों को निदेशकों द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बेच दिया जायेगा। शेयरधारी ‘B’ दिवालिया हो गया और उसके न्यासी (trustee) ने यह दावा किया कि वह अन्तर्नियम के नियम से बाध्य नहीं है और वह उन शेयरों को उनके वास्तविक मूल्य पर बेच सकता है परन्तु इस केस में निर्णय दिया कि न्यासी अन्तर्नियमों से बाध्य है, क्योंकि ‘B’ द्वारा शेयर अन्तर्नियमों की शर्तों के अनुसार खरीदे गये थे। प्रत्येक सदस्य सीमानियम और अन्तर्नियम की विषय वस्तु से बाध्य है चाहे मूल रूप से बनाए गए हों अथवा समय समय पर कंपनी अधिनियम के अनुसार परिवर्तित किए गए हों।

ख) **कंपनी की सदस्यों के प्रति बाध्यता** : कंपनी अपने सदस्यों के प्रति, जो भी अन्तर्नियमों व सीमानियमों में दिया गया है का पालन करने के लिए बाध्य होती है। कंपनी केवल सदस्यों के प्रति या केवल ‘सदस्यों के एक समूह’ के प्रति की नहीं बल्कि व्यक्तिगत सदस्य के प्रति उसके व्यक्तिगत अधिकारों के लिए बाध्य है। कंपनी का कोई भी सदस्य कंपनी को वह कार्य करने से रोक सकता है जो शक्तिबाह्य है। कोई भी सदस्य कंपनी को उसके प्रति इसका दायित्व पूरा करने पर बाध्य कर सकता है जैसे सभा की सूचना भेजना, सभा में मतदान के लिए आज्ञा देना।

Wood v Odessa Waterworks (1899) के केस में निदेशकों ने लाभांश को डिबेन्चर के जारी करने रूप में देने का प्रस्ताव किया। अन्तर्नियम में ‘नकद’ लाभांश

देने का प्रावधान था। निर्णय हुआ कि भुगतान का अर्थ नकद से भुगतान करना है और इसलिए अन्तर्नियमों के अनुसार कंपनी नकद लाभांश देने के लिए बाध्य है।

ग) **सदस्य की सदस्यों के प्रति बाध्यता** : अन्तर्नियम सदस्यों को आपस में बाध्य करते हैं अर्थात् एक को दूसरे से जहां तक उन अधिकारों और कर्त्तव्यों का सम्बन्ध है जो अन्तर्नियमों से उत्पन्न होते हैं। यह निश्चित है कि अन्तर्नियमों का कंपनी और सदस्य के बीच और सदस्यों का आपस में जहां तक सदस्यों का उनके अधिकारों से संबंध है संविदात्मक प्रभाव होगा। **(Rama Krishna Industries)(P) v P.R Rama Krishnan (1988)।** अन्तर्नियमों का जब पंजीकरण हो जाता है, तब वे ना केवल कंपनी और सदस्यों के बीच अनुबन्ध का रूप ले लेते हैं बल्कि दूसरी ओर वे सदस्यों के आपस में अनुबंध का रूप भी लेते हैं। **(Shiv Omkar Maheshwari v Bansidhar Jagannath)(1957)।**

एक कंपनी के अन्तर्नियमों मे प्रावधान था कि जब कभी कोई सदस्य अपने शेयरों का हस्तांतरण करना चाहे तब उसका यह दायित्व होगा कि वह निदेशकों को अपना आशय बताए और निदेशकों का दायित्व था कि वे उन शेयरों को उचित मूल्य पर आपस में बांट लें। निदेशकों ने एक सदस्य के शेयर लेने से मना कर दिया कि अन्तर्नियम उन पर कोई प्रवर्तनीय दायित्व नहीं लगाते। निर्णय हुआ कि शेयरों को खरीदने से निदेशकों का एक सदस्य की हैसीयत से दायित्व है। अन्तर्नियम के प्रावधान के कारण सदस्यों का आपस में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है **(Rayfield v Hand)(1960)।**

फिर भी, अन्तर्नियम कंपनी के सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट अनुबन्ध का निर्माण नहीं करते हैं। एक सदस्य दूसरे सदस्य या सदस्यों के विरुद्ध अन्तर्नियम को लागू करने के लिए अपने नाम से कोई मुकदमा नहीं कर सकता। किसी पीड़ित की रक्षा करने हेतु केवल कंपनी ही दोषी के विरुद्ध दावा कर सकती है। इस प्रकार सदस्यों के परस्पर अधिकारों को विनियमित किया जाता है।

परन्तु एक शेयरधारी अपने नाम से किसी दूसरे को कपटपूर्ण या शक्तिबाह्य कार्य को रोकने के लिए दावा कर सकता है। **Jahangir R Modi v Shamji Ladha) (1986)** के केस में मुम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया ''एक शेयरधारी निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है कंपनी को पक्ष बनाए बिना यदि उन्होंने कंपनी के फंड को ऐसे लेन-देन में लगाया है जिसका उनको अधिकार नहीं था।

क्या कंपनी या सदस्य बाहरी व्यक्तियों के प्रति बाध्य है?

सीमानियम या अन्तर्नियम बाहरी व्यक्तियों को कंपनी या सदस्यों के विरुद्ध कोई संविदात्मक अधिकार प्रदान नहीं करते चाहे अन्तर्नियमों में बाहरी व्यक्तियों का नाम दिया गया हो। कोई बाहरी व्यक्ति (जैसे कि एक गैर सदस्य) कंपनी के विरुद्ध किसी वाद में अन्तर्नियमों पर निर्भर नहीं हो सकता।

एक केस में कंपनी के अन्तर्नियमों में उल्लेखित था कि 'E' जीवनपर्यन्त कानूनी सलाहकार बने रहेंगे तथा उन्हें दुराचरण के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से उस पद से हटाया नही जाएगा। बाद में वह कंपनी के सदस्य भी बन गए। परन्तु कुछ वर्ष तक कानूनी सलाहकार के रूप में नौकरी के बाद उन्हें उस पद से हटा दिया गया। उन्होंने सदस्य के रूप में दावा कर दिया और अन्तर्नियम में प्रावधान के कारण अनुबन्ध भंग के आधार पर हर्जाना मांगा। उनका केस इस आधार पर रद्द कर दिया कि कानूनी सलाहाकार के रूप में वे अन्तर्नियम

का पक्ष नहीं थे। 'E' को अन्तर्नियमों के अतिरिक्त स्वतंत्र अनुबंध सिद्ध करना था। एक सदस्य के रूप में उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ था। **(Eley v Positive Government Security Life Assurance Co. (1876)**।

अन्तर्नियम में जो भी दिया है क्या उस के लिए निदेशक बाध्य है?

कंपनी के निदेशकों को अन्तर्नियमों द्वारा अधिकार प्राप्त होते हैं और उनके अधिकारों पर सीमाएं, यदि हैं, वे भी अन्तर्नियमों द्वारा लागू होती हैं। यदि वे अन्तर्नियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो किसी सदस्य के आग्रह (instance) पर अपने ऐसे कार्य के लिए उत्तदायी हैं। परन्तु सदस्य यदि चाहें तो उनके कार्य की पुष्टि कर सकते हैं। यदि कर्त्तव्य के उल्लंघन के कारण कंपनी को कोई हानि होती है तो निदेशक को उस कंपनी की हानि की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

8.9 सीमानियम एवं अन्तर्नियम की प्रलक्षित सूचना (Constructive Notice of Memorandum and Articles)

धारा 399 के अनुसार रजिस्ट्रार के पास जब सीमानियम और अन्तर्नियमों का पंजीकरण हो जाता है तो ये ''सार्वजनिक दस्तावेजों का रूप ले लेते हैं। कोई भी व्यक्ति निर्धारित फीस दे कर इनकी जांच कर सकता है। धारा 17 (read alongwith Rule 34 of Companies Incorporation Rule 2014) के अनुसार किसी सदस्य के निवेदन व निर्धारित फीस देने पर कंपनी को उसे निम्नलिखित किसी भी दस्तावेज के सात दिन के भीतर एक प्रति भेजनी होगी :

1) सीमानियम;
2) अन्तर्नियम, यदि कोई है;
3) धारा 117 (1) में दिये हुए प्रत्येक करार व प्रत्येक प्रस्ताव की प्रति यदि वे सीमानियम और अन्तर्नियम में नहीं सम्मिलित किए गए।

उपर्युक्त प्रति (प्रतियां) न देने पर कंपनी और चूक (default) करने वाला हर अधिकारी, प्रतिदिन 1000 रुपये जुर्माना जब तक चूक जारी रहती है या 1, 00,000 रुपये, इनमें जो भी कम हो, का जिम्मेदार है।

इसलिए कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के साथ अनुबंध करने का विचार कर रहा है यह मान लिया जाता है कि उसे पता है कि कंपनी के क्या अधिकार हैं और किस सीमा तक निदेशकों को सौंपे गए हैं।

दूसरे शब्दों में कंपनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि उसने इन दस्तावेज़ों को पढ़ लिया है और उनमें लिखी बातों को ठीक से समझ लिया है। ऐसे दस्तावेजों की जानकारी के होने की मान्यता को सीमानियम और अन्तर्नियमों की ''प्रलक्षित सूचना'' कहते हैं। यदि कोई पक्ष कंपनी के साथ लेन-देन कर रहा है चाहे उसे वास्तविकता में इन दस्तावेजों में क्या लिखा है इसकी जानकारी नहीं है फिर भी यह मान लिया जाता है कि उसे गर्भित प्रलक्षित सूचना थी। यदि कंपनी की अपनी सम्पत्ति, या परिसम्पत्ति या भर या उसका कोई उपक्रम धारा 77 के अंतर्गत पंजीकृत है ऐसी सम्पत्ति उपक्रम या उसका अंश लेने वाले व्यक्ति को यह समझा जाएगा कि उसे इसकी रजिस्ट्रेशन की तारीख से ऐसे भार (Charge) की सूचना प्राप्त हो गई है (धारा 80)।

उदाहरण :

एक कंपनी के अन्तर्नियम में प्रावधान था कि विनिमयपत्र को प्रभावी बनाने के लिए दो निदेशकों को हस्ताक्षर आवश्यक हैं। एक विनिमय पत्र पर केवल एक ही निदेशक के हस्ताक्षर थे। आदाता (payee) को विनिमय पत्र पर रकम प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8.10 आन्तरिक प्रबन्धन का सिद्धान्त (Doctrine of Indoor Management)

प्रलक्षित सूचना के सिद्धान्त से व्यवसायिक लेन-देनों में बहुत असुविधा होने लगी थी विशेष रूप से जब निदेशकों और अधिकारियों को अपने अधिकार लागू करने पर शेयर धारियों की पूर्व स्वीकृति या पुष्टि लेनी पड़ती थी। क्या वे स्वीकृति या पुष्टि वास्तव में ली गई थी या नहीं यह मालूम नहीं किया जा सकता था क्योंकि निवेशकों, विक्रेताओं, लेनदारों और बाहरी व्यक्तियों का यह साहस नहीं था कि बहुत सारे शब्दों में निदेशकों से इन पुष्टियों के बारे में पूछें या सम्बन्धित प्रस्तावों को दिखाने के लिए कहें। स्वाभाविक रूप से माने, यदि कंपनी ने ''बांड'' या ''डिबेन्चर'' जारी किए हैं इससे पहले आप क्रय करें, आप निदेशकों से यह नहीं पूछेंगे कि शेयरधारियों का प्रस्ताव दिखाएं जिसके अनुसार उनको ऐसे बांड जारी करने का अधिकार दिया है। इस प्रकार यदि कोई निदेशक आपसे कुछ हजारों रुपये का समान कंपनी की ओर से, खरीदना चाहता है आप उससे अटर्नी अधिकार (Power of attorney) या कोई सम्बन्धित दस्तावेज नहीं मागेंगे जिसके अनुसार उस कंपनी की ओर से उसे यह अधिकार मिला है।

और यदि आप ऐसा करते हैं तो एक अच्छा ग्राहक सदा के लिए गवां देते हैं। कोई अधिकारी यदि अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है तो यह पता लगाना कठिन है कि अन्तर्नियमों के अनुसार उनकी मंजूरी और स्वीकृति तो ली गयी है। जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं वह यह मान लेते हैं कि जो अधिकारी या निदेशक उन से लेन-देन कर रहा है उसने आवश्यक अनुमति ले ली है। इस सिद्धांत को ''आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धांत'' कहते हैं। यह सिद्धांत सब से पहले **रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टरक्वेन्ड'' (Royal British Band v Turquand)(1856)** के केस में प्रतिपादित हुआ। इस केस के तथ्य इस प्रकार हैं :

कंपनी के अन्तर्नियमों द्वारा कंपनी के निदेशकों को बांड जारी करके ऋण लेने का अधिकार इस शर्त पर दिया कि उधार लेने वाली राशि के लिए, समय-समय पर साधारण सभा प्रस्ताव पारित करके अधिकार दिया जाए। निदेशकों ने बांड जारी कर दिए परन्तु कंपनी ने कोई प्रस्ताव पास नही किया। निर्णय हुआ कि "T" को यह मान लेने का अधिकार है कि कंपनी की साधारण सभा में प्रस्ताााव पास हुआ था।

आप नोट करें कि यदि विशेष प्रस्ताव द्वारा शेयरधारियों की अनुमति मिल जाती तो स्थिति अलग होती। यह इसलिए की धारा 117 के अनुसार सारे विशेष प्रस्ताव रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होने चाहियें और उन सारे दस्तावेजों का जिनका पंजीकरण रजिस्ट्रार के पास हो गया है यह माना जाता है कि उनकी जानकारी उन व्यक्तियों को है जो कंपनी के साथ (लेन-देन) करते हैं। अतः आपने पूर्व परिचर्चा से यह पाया कि ''प्रलक्षित सूचना का सिद्धांत'' ने उन व्यक्तियों पर जो कंपनी से अनुबन्ध कर रहे हैं यह जिम्मेदारी दे दी है कि उन्होने कंपनी के सीमानियम और अन्तर्नियम पढ़ लिए हैं भले ही उन्होंने उन दस्तावेजों को पढ़ा न भी हो। दूसरी ओर आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त, इस बात की अनुमति उन व्यक्तियों

को, जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं, देता है कि वह भी यह मान कर चलें कि कंपनी के अधिकारियों ने भी अन्तर्नियमों के प्रावधानों का पालन किया है। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति कंपनी के व्यवहार करते हैं वे इस बात के लिए बाध्य नहीं हैं कि वह यह जानकारी लें कि आंतरिक कार्यवाही नियमितता से की गयी है।

आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धांत के अपवाद

ऊपर बताये गये ''आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त के कुछ अपवाद हैं जिनका आधार केस (cases) हैं।'' अर्थात् निम्नलिखित परिस्थितियों में जो व्यक्ति कंपनी से व्यवहार कर रहे हैं उन्हें ''आन्तरिक प्रबन्ध के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिल सकता'' :

1) **जब बाहरी व्यक्तियों को अनियमितता की जानकारी थी** : यह नियम उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान नहीं करता जिसको वास्तविक या प्रलिक्षित अनियमितता की जानकारी है कि वह अधिकारी जो कंपनी की ओर से कार्य कर रहा है उसे कोई अधिकार नहीं हैं। अतः ऐसे व्यक्ति को यह अच्छी प्रकार मालूम है कि निदेशक को कोई लेन-देन करने का कंपनी की ओर से अधिकार नहीं है। यदि फिर भी वह अनुबन्ध करता है तो वह इस सिद्धांत के अन्तर्गत कोई संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता।

   Howard v Patent Ivory Co. के केस में अन्तर्नियम में निदेशकों को 1000 पौंड तक की राशि उधार लेने का अधिकार था। इस राशि से अधिक राशि के लिए शेयर-धारियों की साधारण सभा में सहमति होना आवश्यक था। उस राशि से अधिक राशि के लिए निदेशकों ने शेयरधारियों की ऐसी कोई सहमति लिए बिना एक निदेशक से 3500 पौंड उधार लिए और जिसको ऋण पत्र दे दिए। कंपनी ने भुगतान करने से मना कर दिया। निर्णय दिया क्योंकि निदेशकों को अनियमितता की जानकारी थी या होनी चाहिए थी। अतः कंपनी से ऋण पत्र केवल 1000 पौंड तक ही वसूल कर सकते हैं।

2) **अन्तर्नियम की कोई जानकारी नहीं** : यह नियम उस व्यक्ति के समर्थन में उपयोग नहीं किया जा सकता जिसने सीमानियम व अन्तर्नियमों को पढ़ा नहीं है और इस पर भरोसा नहीं किया है।

   Rama Corporation v Proved Tin & General Investment Co. (1952) के मुकदमें में "T" एक निवेश फर्म (Proved Tin and General Investment Co.) का निदेशक था। उसने कंपनी की ओर से काम करने का नाटक कर रामा कॉर्पोरेशन के साथ एक अनुबन्ध किया और उनसे एक चैक प्राप्त कर लिया। कंपनी के अन्तर्नियमों ने इस बात की आशा की थी कि निदेशक अपने अधिकार किसी एक को दें। लेकिन रामा कॉर्पोरेशन के व्यक्तियों ने यह अन्तर्नियम पढ़े नहीं थे। बाद में यह पता लगा कि कंपनी के निदेशकों ने T को अधिकार नहीं दिए थे। वादी (Rama Corpn.) ने आंतरिक प्रबन्धन के नियम पर भरोसा किया। यह निर्णय हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अधिकार देने की शक्ति के बारे में मालूम नहीं था।

3) **जालसाजी** : ''आन्तरिक प्रबन्धन का सिद्धांन्त'' उन लेन-देनों में लागू नहीं होता है जिनमें कोई जालसाजी हो या आरम्भ से अवैध हों या व्यर्थ हों। जालसाजी की अवस्था यह नहीं है कि स्वतन्त्र सहमति नहीं होती बल्कि सहमति होती ही नहीं। वे व्यक्ति जिसके हस्ताक्षर जाली बनाए गए हैं वह तो उस लेन-देन के बारे में जानते तक नहीं हैं। इसलिए उसकी सहमति स्वतन्त्र है या नहीं प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि कोई सहमति ही नही है। इसलिए कोई लेन-देन ही नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, यह नही है कि स्वामित्व का अधिकार त्रुटिपूर्ण है परन्तु कोई अधिकार ही नहीं है। इसलिए

जालसाजी कितनी ही चतुराई से की गयी हो, उस व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं है। एक वाद में सचिव ने दो निदेशकों के जाली हस्ताक्षर कर दिए जो अन्तर्नियम के अनुसार शेयर सर्टिफिकेट पर होने थे। उसने शेयर सर्टिफिकेट बिना अधिकार के जारी कर दिया। कंपनी के प्रार्थी को कंपनी का सदस्य के रूप में पंजीकृत करने से मना कर दिया गया। सर्टिफिकेट व्यर्थ माना गया और सर्टिफिकेट धारी को ''आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त'' का कोई लाभ नहीं दिया गया **Ruben v Great Fingal Comsolidated (1906)**। जालसाजी के मामले में आंतरिक प्रबन्धन का सिद्धांत लागू नहीं होता।

4) **लापरवाही** : ''आन्तरिक प्रबन्धन का सिद्धान्त'' किसी भी प्रकार से उन को जो लापरवाही करते हैं इनाम नहीं देता। अतः यदि कंपनी का कोई अधिकारी इस प्रकार कार्य करता है जो सामान्यतः उसके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को पूरी पूछताछ करनी चाहिए और अधिकारी के अधिकार के बारे में संतुष्टि करनी चाहिए। यदि उसने पूछताछ नहीं की तो उसे नियम पर निर्भर करने से रोक दिया जाता है। **Al Underwood v Bank of Liverpool (1924)** के केस में एक व्यक्ति, जो निदेशक और मुख्य शेयरधारी था कंपनी के नाम के चैक अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में जमा कराता था । बैंक से पूछताछ हुई और यह निर्णय हुआ कि बैंक को निदेशक के अधिकार के विषय में पूछताछ करनी चाहिए थी। निदेशक के स्पष्ट अधिकार पर बैंक निर्भर होने का अधिकार नहीं रखता इसी प्रकार **(BAnand Behari Lal v Dinshaw & Co. (Bankers) Ltd (1942)** के मामले में एक लेखापाल ने कंपनी की कुछ सम्पत्ति वादी के नाम हस्तांतरित कर दी। न्यायालय ने इस हस्तांतरण को व्यर्थ घोषित ठहराया क्योंकि कंपनी की सम्पत्ति को हस्तांतरित करना लेखापाल के अधिकार का विषय नहीं था। वादी को जांच करनी चाहिए थी।

5) **अन्य** : यह सिद्धान्त, जहां कंपनी को अपने कोई विशेष अधिकार का प्रयोग करने से पहले कोई पूर्व शर्त पूरी करनी हो, लागू नहीं होता। अर्थात् जहां कोई कार्य ना केवल निदेशकों/अधिकारियों के बल्कि कंपनी के भी शक्तिबाह्य **(Pacific Coast Coal Mines v Arbuthnote (1917)**।

बोध प्रश्न 2

1) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए :

   i) पंजीकृत हो जाने के बाद, सीमानियम, एवं अन्तर्नियम कंपनी और उसके .... को बाध्य करते हैं।

   ii) कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि उसे .... की विषयवस्तु की सूचना है।

   iii) कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह मान लेने का .... है कि कंपनी के आन्तरिक प्रबन्धन के सम्बन्ध में जो कुछ भी करना चाहिए था वह सब कर लिया गया है।

2) बताइये कि निम्नलिखित कथन **सही** हैं अथवा **गलत**।

   i) अन्तर्नियम सीमानियम की किसी भी अस्पष्टता का वर्णन कर सकते हैं।

ii) कंपनी के सीमानियम व अन्तर्नियम में कंपनी किन शर्तों पर अपने शेयर विक्रय कर रही है दिया होता है।

iii) कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति को यह मानने का अधिकार नहीं है कि आन्तरिक प्रबन्धन सम्बन्धी जो कुछ भी करना चाहिए था, कम्पनी ने वह सब कुछ कर दिया है।

iv) अन्तर्नियम कंपनी और सदस्यों के मध्य सम्बन्धों को नियमित करते हैं।

v) कंपनी के साथ व्यवहार करने वाला व्यक्ति यदि कंपनी के साथ व्यवहार करते समय अनियमितता का पता कर सकता है, तो वह आन्तरिक प्रबन्धन के सद्धिांत के अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

3) निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है –

i) तालिका F (च) में मॉडल रूप दिया है :

क) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के प्रबंधन के प्रावधानों का

ख) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी का सीमानियम

ग) गारंटी द्वारा सीमित कंपनी जिसकी शेयर पूँजी नहीं है उस का सीमानियम व अन्तर्नियम।

ii) यदि सीमानियम व अन्तर्नियम में विरोध हो तो :

क) अन्तर्नियम माने जाएंगे

ख) सीमानियम माना जाएगा

ग) निदेशक विरोध का हल निकालेंगे

ड) न्यायालय विरोध का हल निकालेगा

iii) अन्तर्नियमों का परिवर्तन किया जा सकता है

क) निदेशकों द्वारा

ख) कंपनी के किसी भी अधिकारी द्वारा

ग) शेयरधारियों द्वारा साधारण प्रस्ताव पारित करके

ड) शेयरधारियों द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके

8.11 सारांश

अन्तर्नियम कंपनी के नियम, विनिमय और प्रावधान होते हैं जो कंपनी के आन्तरिक मामलों के प्रबंधन और कारोबार संचालन को संनियमित करते हैं। अन्तर्नियम अधिकारियों की शक्तियों को परिभाषित करता है। ये कंपनी और सदस्यों तथा सदस्यों के परस्पर एक अनुबन्ध बनाते हैं। सीमानियम के सम्बन्ध में अन्तर्नियम की स्थिति सहायक की है। यदि दोनों के विरोध हो तो सीमानियम के प्रावधान लागू होंगे।

अन्तर्नियम की विषयवस्तु जैसे शेयर पूँजी, विभिन्न प्रकार के शेयरधारियों के अधिकार, शेयर प्रमाण पत्र शेयरों पर पूर्वाधिकार, शेयरों का हस्तांतरण व पारेषण, शेयरों पर मांग, शेयरों का स्टॉक व स्टॉक का शेयरों में परिवर्तन, साधारण सभाएं, उनकी कार्यवाही, निदेशक प्रथम निदेशक समेत, उनकी नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक, उनकी योग्यताएं उनकी शक्तियां व बोर्ड की सभाओं की कार्यवाही होती है।

अनुसूची 1 की तालिका **F,G,H,I और J** (च, छ, ज, झ, त्र) में विभिन्न प्रकार की कंपनियों के अन्तर्नियमों के मॉडल दिए हैं। कंपनी अपने से सम्बन्धित अन्तर्नियम सीधे अपना सकती है। कंपनी निगमन निमय 2014 के नियम 13 के अनुसार कंपनी के अन्तर्नियमों पर सीमानियम के प्रत्येक अभिदाता द्वारा हस्ताक्षर करने चाहिए, जो अपना नाम, पता और व्यवसाय विवरण लिखेंगे, यदि कोई है। हस्ताक्षर एक गवाह की उपस्थिति में होंगे जो उनके हस्ताक्षर प्रमाणित करेगा तथा अपने हस्ताक्षर भी करेगा और अपना नाम, पता, विवरण व व्यवसाय यदि कोई है, लिखेगा।

अन्तर्नियमों में परिवर्तन शेयरधारियों के विशेष प्रस्ताव पारित द्वारा हो सकता है। फिर भी, इस शक्ति की कुछ सीमाएं हैं जैसे परिवर्तन कंपनी अधिनियम या और विधि के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, पूर्ण सद्भावना के साथ कंपनी के पूर्ण हित में होना चाहिए और लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अधिकरण की अनुमति के बिना सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन नहीं हो सकता; जिसका परिणाम तीसरे पक्षों के साथ जो अनुबन्ध हुआ है उस का खण्डन न हो, सामान्यतः परिवर्तन पूर्वप्रभावी लागू नहीं होता। अन्तर्नियम में परिवर्तन उस ही प्रकार सदस्यों को बाध्य करता है जैसे मूल अन्तर्नियम लागू होते हैं।

धारा 399 के अनुसार पंजीकरण के पश्चात् सीमानियम और अन्तर्नियम सार्वजनिक दस्तावेज़ बन जाते हैं और कोई भी व्यक्ति निहित फीस देकर उनका निरीक्षण कर सकता है। यह सुविधा जो व्यक्ति कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं उन्हें उपलब्ध है, विधि में यह मान लिया जाता है कि उन्हें उनकी जानकारी ही नहीं हैं बल्कि उन्हें उसकी समझ भी है। अतः यह परिकल्पना की जाती है कि जिस व्यक्ति ने कंपनी के साथ व्यवहार किया है उसको स्पष्ट नही तो गर्भित नोटिस था। इसे ''प्रलक्षित सूचना का सिद्धान्त'' कहते हैं। परन्तु इस सिद्धान्त पर '' आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त'' एक सीमा का कार्य करता है। ''आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त'' सबसे पहले "Royal British Bank v Turquand" के केस में लागू हुआ। यही सिद्धान्त उनको जो कंपनी के साथ व्यवहार करते हैं रक्षा प्रदान करता है उन अधिकारियों से जिन्होंने अन्तर्नियम में दी हुई रीतियों को उन अधिकारों का प्रयोग करते समय पालन नहीं किया। कंपनी के साथ व्यवहार करने वाले बाध्य नहीं है कि वे यह मालूम करें कि आन्तरिक रीति उचित थी या नहीं।

फिर भी, ''आन्तरिक प्रबन्धन के सिद्धान्त'' का लाभ उन निदेशकों को नहीं मिलता जिन्होंने ना तो अन्तर्नियम पढ़े और जिन के पास सत्य की पुष्टि करने के साधन थे। पुनः यह जालसाजी और लापरवाही की स्थिति में लागू नहीं होता।

8.12 शब्दावली

प्रलक्षित सूचना (Constructive Notice)	:	कंपनी के साथ व्यवहार करने वालों के संबंध में कानून की यह मान्यता कि उन्हें दस्तावेजों की विषयवस्तु की जानकारी है।
(Inter se)	:	परस्पर एक दूसरे के बीच।
सार्वजनिक दस्तावेज (Public Document)	:	कोई भी ऐसा दस्तावेज जो किसी सरकारी अधिकारी के कब्जे में है तथा जिसकी कोई भी जाँच कर सकता है।

8.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) i) सीमानियम ii) आन्तरिक मामलों

2) i) सही ii) गलत iii) सही iv) सही v) गलत vi) गलत

बोध प्रश्न 2

1) i) सदस्यों ii) सीमानियम एवं अन्तर्नियम iii) अधिकार

2) i) सही ii) सही iii) गलत iv) सही v) सही

3) i) क; ii) ख; iii) ड

8.14 अभ्यास के लिए प्रश्न

1) अन्तर्नियम क्या होते हैं? इनमें कैसे परिवर्तन किया जा सकता है ?

2) ''कंपनी के अन्तर्नियमों मे परिवर्तन करने सम्बन्धी अधिकार व्यापक है किन्तु वे कई सीमाओं के अधीन होते हैं।'' स्पष्ट कीजिए।

3) अन्तर्नियम की सामान्य विषयवस्तु क्या होती है ?

4) अन्तर्नियम के कानूनी प्रभाव स्पष्ट कीजिए। वे बाहरी व्यक्तियों पर किस सीमा तक लागू होते हैं ?

5) सीमानियम तथा अन्तर्नियम के परस्पर सम्बन्ध की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

6) सीमानियम तथा अन्तर्नियम में क्या अन्तर है ?

7) आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धान्त को समझाए। इस सिद्धान्त के क्या कुछ अपवाद हैं ?

8) निम्नलिखित मामलों का कारणों सहित उत्तर दीजिए :

   i) कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ने 'x' के नाम एक शेयर प्रमाणपत्र जारी किया, जो प्रत्यक्षतः अन्तर्नियम के अनुसार था तथा उस पर दो निदेशकों व सचिव के हस्ताक्षर थे तथा उस पर कंपनी की 'सील' भी अंकित थी। वास्तव में, कंपनी के सचिव ने निदेशकों के जाली हस्ताक्षर कर दिए तथा बिना अधिकार प्राप्त किए कंपनी की 'सील' भी अंकित कर दी। क्या कंपनी इस शेयर प्रमाणपत्र से बाध्य होगी?

   ii) वादी ने प्रतिवादी कंपनी के निदेशक के साथ अनुबंध किया व अनुबंध के अन्तर्गत एक चैक दिया। अन्तर्नियमों के अंतर्गत निदेशक को अधिकार मिल सकता था, परन्तु वास्तवव में अधिकार नहीं था। वादी ने अन्तर्नियम नहीं पढ़े थे। निदेशक ने चैक का पैसा गबन कर लिया। वादी ने कंपनी पर वाद कर दिया। क्या कंपनी देनदार है?

   iii) कंपनी 'A' ने कंपनी 'B' की परिसम्पत्तियों को बन्धक कर ऋण प्रदान किया है। अन्तर्नियमों में निर्धारित कार्य-विधि का पालन नहीं किया गया था और दोनों कंपनियों के निदेशक एक ही थे। क्या इस बन्धक से कंपनी 'B' बाध्य है ?

   iv) सीमित कंपनी के अन्तर्नियम में एक खंड था जिसके अनुसार अनिल कंपनी का सॉलिसिटर नियुक्त हुआ तथा उसे दुराचरण के अतिरिक्त किसी अन्य आधार

पर नहीं निकाला जा सकता था। क्या कंपनी अनिल को उस पद से निकाल सकती है यद्यपि वह दुराचरण का दोषी नहीं है।

v) कंपनी जिसमें निदेशकों के पास बहुसंख्यक शेयर थे विशेष प्रस्ताव पारित करके अन्तर्नियमों में ऐसा परिवर्तन किया जिसके द्वारा निदेशकों को अधिकार दिया गया कि वे किसी ऐसे शेयरधारी को, जो प्रतिस्पर्धी व्यापार करता है, अपने शेयर निदेशकों द्वारा नामांकित व्यक्ति को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य करे। वादी 'S' जो कि प्रतिस्पर्धा व्यापार करता था तथा जिसके पास कंपनी के कुछ शेयर थे। क्या इस परिवर्तन से बाध्य है?

संकेत

i) नहीं; जालसाजी कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। अतः कंपनी उस शेयर प्रमाणपत्र से बाध्य नहीं हैं। (Ruben Vs Great Fingal Consolidated Co. का केस पढ़िए)।

ii) नहीं; कंपनी देनदार नहीं हैं। आन्तरिक प्रबन्ध के सिद्धांत के अन्तर्गत रक्षा नहीं मिलती जिस व्यक्ति को कंपनी के अन्तर्नियम का ज्ञान नहीं है **(Rama Corporation v Protection and Investment Co.)**।

iii) नहीं, यह बन्धक कंपनी B पर बाध्य नहीं है क्योंकि निदेशकों को अनिवार्य जानकारी थी।

iv) हॉ; कंपनी अनिल को पद से हटा सकती है क्योंकि अन्तर्नियम कंपनी और बाहरी व्यक्तियों के बीच अनुबन्ध का निर्णय नहीं करते (Eley vs Positive Government Life Assurance Col. Ltd के केस को पढ़िए)।

v) हाँ; 'S' परितर्वन से बाध्य है क्योंकि यह कंपनी के समुचित हित में है। देखें (Side Bottom v Kerskaw Leese & Co.)

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

टिप्पणी : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए हैं।

इकाई 9 प्रविवरण (Prospectus)

इकाई की रूपरेखा

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 प्रविवरण का अर्थ और महत्व

9.3 प्रविवरण की विषयवस्तु

9.4 प्रविवरण से संबंधित सांविधिक अपेक्षाएं

9.5 प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता कब नहीं होती

9.6 मानित प्रविवरण

9.7 शेल्फ प्रविवरण तथा रेड हेरिंग प्रविवरण

- 9.7.1 शेल्फ प्रविवरण
- 9.7.2 रेड हेरिंग प्रविरण

9.8 न्यूनतम अभिदान

9.9 प्रविवरण में मिथ्या कथन और इसके परिणाम

- 9.9.1 असत्य कथन/मिथ्या कथन क्या होता है?
- 9.9.2 दायित्व और बचाव

9.10 प्रविवरण का निर्माण करने का सुनहरा नियम

9.11 कल्पित नाम से शेयरों का आबंटन

9.12 प्रस्तावित पूँजी जारी संबंधी घोषणा

9.13 सारांश

9.14 शब्दावली

9.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.16 अभ्यास के लिए प्रश्न

9.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद, आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- प्रविवरण का अर्थ एवं महत्व समझा सकें;
- प्रविवरण की विषयवस्तु का वर्णन कर सकें;
- मानित प्रविवरण, शेल्फ प्रविवरण, सूचना ज्ञापन का अर्थ स्पष्ट कर सकें;
- न्यूनतम अभिदान की संकल्पना का वर्णन कर सकें;
- कल्पित नाम से शेयरों के आबंटन के परिणामों की व्याख्या कर सकें;
- प्रविवरण के निर्माण का सुनहरा नियम को समझा सकें; और
- प्रविवरण में मिथ्या कथन के प्रभाव और उपलब्ध उपचार बता सकें।

9.1 प्रस्तावना

निगमन के बाद कंपनी को अपना व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यक साधन जुटाने पड़ते हैं। आपने यह पढ़ा होगा कि निजी कंपनी के लिए जनता को अपनी शेयर पूँजी के अभिदान करने को आमंत्रित करना वर्जित है। इसलिए शेयर पूँजी के लिए अभिदान करने के लिए जनता को आमंत्रित करने की आवश्यकता केवल सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में ही होती है। सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में भी यदि निदेशक निजी तौर पर आवश्यक पूँजी की व्यवस्था करने के लिए आश्वस्त हैं तो उन्हें प्रविवरण के निर्गमन की आवश्यकता नहीं होती। साधारणतया एक सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण के निर्गमन के द्वारा अपनी पूँजी जुटाती है। प्रविवरण के निर्गमन का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को कंपनी के व्यवसाय, वित्तीय स्थिति, पूँजी की संरचना, भविष्य की प्रत्याशाओं और प्रबंध आदि के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस इकाई में आप प्रविवरण के निर्गमन का अर्थ महत्व और आवश्यकता के बारे में पढेंगे। आपको प्रविवरण की विषयवस्तु के बारे में बताया जायेगा, तथा मानित प्रविवरण, शेल्फ प्रविवरण और सूचना ज्ञापन तथा न्यूनतम अभिदान के बारे में भी बताया जाएगा। अन्त में प्रविवरण के निर्माण का सुनहरा नियम, कल्पित नाम में शेयरों को आबंटन के परिणाम तथा प्रविवरण में मिथ्या कथनों के लिए विभिन्न उपचारों पर चर्चा की जाएगी जो एक पीड़ित निवेशक को मिलती है।

9.2 प्रविवरण का अर्थ और महत्व

धारा 2(70)के अनुसार प्रविवरण (प्रास्पेक्टस) एक ऐसा प्रलेख है जो प्रविवरण के रूप में वर्णित या निर्गमित किया गया हो और जिसमें रेड हेरिंग प्रविवरण या शैल्फ प्रविवरण या ऐसी कोई सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रलेख भी शामिल हैं, जो किसी निगमित निकाय की प्रतिभूतियों के लिए अभिदान या क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करते हों। अतः प्रविवरण केवल एक विज्ञापन ही नहीं, यह एक परिपत्र या केवल सूचना भी हो सकता है। किसी दस्तावेज का प्रविवरण होने के लिए दो बातों का होना आवश्यक हैं :

क) यह किसी निगमित निकाय के शेयर या डिबेंचर के क्रय के या अभिदान के लिए आमंत्रित करता है;

ख) पूर्वकथित आमंत्रण जनता को दिया जाता है।

जनता को प्रस्ताव (offer) क्या होता है ?

धारा 42(4) के अनुसार किसी भी प्रस्ताव या आमंत्रण (invitation) को जनता को प्रस्ताव के रूप में माना जाएगा यदि ये धारा 42(2) के अनुसार प्राइवेट स्थापना (private placement) नहीं है। धारा 42(2) के स्पष्टीकरण (1) और उसके अन्तर्गत बनाए नियमों के अनुसार कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं, यदि जिस वर्ष में 200 की संख्या से अधिक व्यक्तियों को प्रतिभूतियां आबंटित करने का प्रस्ताव करती है या अभिदान आमंत्रित करती है या आबंटन के लिए करार करती है चाहे प्रतिभूतियां के लिए भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं या कंपनी भारत में या भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियां सूचीबद्ध करने का आशय रखती है या नही तो उसे जनता के लिए प्रस्ताव समझा जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यदि कोई कंपनी एक वित्तीय वर्ष में अभिदान आमंत्रित करती है या कोई प्रतिभूतियां आबंटित करती है तो उसे जनता को प्रस्ताव माना जाएगा। 200 व्यक्तियों की संख्या की गणना करते समय निम्नलिखित शामिल नहीं होंगेः

1) योग्य संस्थागत क्रेता (Qualified Institutional Buyers)

2) जिन कर्मचारियों की कर्मचारी 'स्टॉक विकल्प' की स्कीम के अन्तर्गत धारा 62 (1) (b) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतियां प्रस्तावित की गई हैं।

प्रविवरण होने के लिए इसे जनता को निर्गमित किया जाना चाहिए। केवल एक निजी सूचना को जनता को निर्गमित नहीं माना जाता **[Nash v. Lynde(1929]** । इस केस में एक प्रलेख की कई प्रतियां, जिनके ऊपर ''निजी और गोपनीय'' शब्द अंकित थे और जिसमें शेयरों के प्रस्तावित निगर्मन का विवरण दिया था और उनके साथ आवेदन पत्र के फार्म भी संलग्न थे प्रबन्धन निदेशक ने सह-निदेशक को भेजे। सह निदेशक ने इसकी एक प्रति सॉलिसिटर के पास भेज दी, उसने उसे अपने किसी ग्राहक को दे दी और उस ग्राहक ने अपने किसी संबंधी को दे दी। इस प्रकार यह दस्तावेज मित्रों के एक छोटे निजी समूह में ही घूमा। निर्णय दिया गया कि प्रलेख जनता को निर्गमित नहीं था।

इसके अतिरिक्त यह नोट करें कि सामान्यतः अनुबंध विधि में कोई निमन्त्रण जनता को निमन्त्रण नहीं माना जाएगा यदि उसका परिणाम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह नही होता कि उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिन्हें निमन्त्रण दिया गया हो अन्य व्यक्ति जो प्रतिभूतियों का क्रय या अभिदान करना चाहते हैं उनमें परिकलित न किया जा सके। 'A' को एक निमंत्रण मिलता है, 'B' जो 'A') का मित्र है वह अभिदान करना चाहता है 'B' का प्रस्ताव माना नहीं जाएगा क्योंकि उसे निमंत्रण नहीं दिया गया था और यह जनता को आमंत्रण नहीं माना जायेगा। इसके दूसरी ओर यह जनता को आमंत्रण माना जाएगा यदि 'B' का प्रस्ताव भी माना जाता है। निदेशक के सगे-संबंधियों को शेयर खरीदने का प्रस्ताव जनता को दिया आमंत्रण नहीं माना जायेगा **(Rattan Singh v Managing Director, Moga Transport Co. Ltd, 1959)**।

आपको याद रखना चाहिए कि प्रविवरण कंपनी द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह एक प्रस्ताव का निमंत्रण है। एक कंपनी प्रविवरण जारी करके जनता को शेयर, ऋणपत्र और दूसरी प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है। जो व्यक्ति कंपनी के शेयर क्रय करना चाहता है उसे आवेदन पत्र भर कर आवेदन शुल्क के साथ उसे जमा करना होता है। आवेदनकर्त्ताओं का यह कार्य जितने शेयर आवेदन पत्र में लिखे हैं उन्हें क्रय करने का कंपनी को एक प्रस्ताव के रूप में है। कंपनी निदेशक मंडल उस शेयर आवेदन फार्म के उत्तर में शेयर आबंटित करेगा। निदेशक मंडल का यह कार्य शेयर खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति देना है। अतः कंपनी और आवेदनकर्त्ता के बीच एक अनुबंध पूर्ण अनुबन्धात्मक अधिकारों और दायित्वों के साथ होता है।

धारा 33 के अनुसार (1) ''किसी कंपनी की किन्ही प्रतिभूतियों के क्रय के लिए कोई आवेदन पत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण (abridge prospectus) न लगा हो। आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण लगाने की आवश्यकता नहीं है यदि यह दर्शित किया जाता है कि ''आवेदन पत्र''।

क) ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में कोई अभिगोपन अनुबन्ध के लिए किसी व्यक्ति को सद्भावनापूर्ण आमंत्रण के संबंध में जारी किया गया था; या

ख) ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में जारी किया गया था जो जनता को प्रस्तावित नहीं की गई थीं।

2) प्रविवरण की एक प्रति, अभिदान सूची और प्रस्ताव बंद किए जाने के पूर्व किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे दी जाएगी।

3) यदि कोई कंपनी इस धारा के प्रावधानों का पालन करने में चूक करती है तो वह ऐसी प्रत्येक चूक के लिए पचास हजार रुपए के जुर्माने के लिए दायी होगी।

धारा 2(1) के अनुसार 'संक्षिप्त प्रविवरण (abridged prospectus) से अर्थ ऐसे ज्ञापन से है जिसमें किसी प्रविवरण की ऐसी मुख्य विशेषताएं अन्तर्विष्ट हैं, जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस विषय में विनिमय बनाकर निर्धारित की जाएं।

टिप्पणी: यहां शब्द ज्ञापन के अर्थ एक नोट, रिपोर्ट या पूर्ण विवरण है ना कि सीमानियम।

9.3 प्रविवरण की विषयवस्तु

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार, प्रविवरण की विषयवस्तु में शामिल किया जाएगा :

i) प्रविवरण में दी जाने वाली सूचनायें

ii) प्रविवरण में दी जाने वाली रिपोर्टें

iii) घोषणाएं

iv) अन्य विषय

प्रविवरण में दी जाने वाली सूचनायें :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 के तथा कंपनीज (**प्रविवरण और प्रतिभूति आबंटन) नियम 2014 के नियम 3** के अनुसार निम्नलिखित सूचनायें होनी चाहिए :

i) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, कंपनी सचिव, मुख्य वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षक, कानूनी सलाहकारों, न्यासियों, यदि कोई हैं, के नाम और पते, निर्गमन करने वाली कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नाम, पते व संपर्क का विवरण, निर्गमन करने वाली कंपनी के अनुपालन अधिकारी, निर्गमन के मर्चेन्ट बैंकर, और सह मैनेजर, निर्गमन के रजिस्ट्रार, स्टॉक दलाल, अभिगोपक, निर्गमन की साख एजेंसी तथा प्रलेख के प्रबंध करने वाले यदि कोई हैं, के नाम और पते और उन व्यक्तियों के नाम व पते जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनियमों में विहित किए गये हों;

ii) निर्गमन प्रारंभ करने और बंद करने की तारीखें और प्रविवरण में एक घोषणा जो बोर्ड या बोर्ड अधिकृत समिति द्वारा की जायेगी कि आंबटन पत्र जारी किया जायेगा या आवेदन पत्र राशि वापिस की जायेगी निर्गम बंद होने की तारीख के 15 दिन के अन्दर या उससे कम समय में जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तय करे या आवेदनकर्त्ताओं को तुरन्त वापिस की जायेगी अन्यथा उन्हें 15% की वार्षिक दर से उस देरी के समय तक का ब्याज दिया जायेगा;

iii) निदेशक बोर्ड द्वारा उस पृथक खाते के बारे में कथन जहां निर्गमन से प्राप्त धन अंतरित किए जाने हैं;

iv) सभी धनों के ब्यौरों का प्रकटन निर्धारित रीति द्वारा जिसके अंतर्गत पिछले निर्गमन से प्रयुक्त और अप्रयुक्त धन भी हैं;

v) निर्गमन के अभिगोपन के बारे में विस्तृत सूचना, अभिगोपकों के नाम, पते टेलीफोन नम्बर, फैक्स नम्बर, ई-मेल पता और उनके द्वारा अभिगोपित की गयी राशि;

vi) निदेशकों, लेखा, परीक्षकों, निर्गमन के बैंकरों, न्यासियों, सॉलिसिटर या वकील, निर्गमन के मर्चेन्ट बैंकर, देनदारों और विशेषज्ञों की सहमति;

vii) निर्गमन के प्राधिकार और उसके लिए पारित प्रस्ताव के ब्यौरे;

viii) प्रतिभूतियों के आबंटन और जारी करने की प्रक्रिया और समय सूची;

ix) पूँजी की संरचना को नीचे लिखी विहित रीति में दिखाना होगा जैसे कि :

i) क) कंपनी की अधिकृत, निर्गमित अभिदत्त तथा प्रदत्त पूँजी (प्रतिभूतियों संख्या, वर्णन, कुल सांकेतिक मूल्य);

ख) वर्तमान निर्गमन का आकार;

ग) प्रदत्त पूँजी :

i) निर्गमन के बाद

ii) परिवर्तनीय लेखा पत्रों के परिवर्तन के बाद (यदि लागू हैं)

घ) शेयरों प्रीमियम खाता (निर्गमन के पहले और बाद)

ii) निर्गमन कंपनी का सारणीबद्ध रूप में वर्तमान शेयर पूँजी का ब्यौरा, हर आंबटन के बारे में, आबंटन की तारीख, आबंटित शेयरों की संख्या, आबंटित शेयरों का अंकित मूल्य, प्रतिफल का मूल्य और प्रकार।

x) जारी किए जाने वाले प्रविवरण में निम्नलिखित विवरण दिये जाएंगे :

क) कंपनी का मुख्य उद्देश्य और वर्तमान व्यापार और उसका पता;

ख) निर्गमन के उद्देश्य;

ग) किस उद्देश्य के लिए कोष चाहिए;

घ) वित्त जुटाने के स्रोत;

ड) परियोजना सीमाक्षा रिपोर्ट का सारांश (यदि कोई है);

च) परियोजना का परिपालन की अनुसूची;

छ) कोषों का अंतरिम उपयोग यदि कोई है;

xi) निम्नलिखित से संबंधित विशिष्टियां :

क) परियोजना में विनिर्दिष्ट जोखिम कारकों का प्रबंधन संवेदन;

ख) परियोजना की निर्माणपूर्ण अवधि;

ग) परियोजना में की गई प्रगति की सीमा;

घ) परियोजना को पूरा होने का अंतिम समय;

ड) कंपनी के प्रवर्तकों के विरुद्ध पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी सरकारी विभाग या सांविधिक निकाय द्वारा लंबित या किया गया मुकदमा या की गई विविध कार्यवाही;

xii) न्यूनम अभिदान, प्रीमियम के रूप में देय राशि, शेयरों का नकद के अतिरिक्त निर्गमन;

xiii) निदेशकों का विवरण, जिनके अन्तर्गत उन की नियुक्तियां और पारिश्रमिक भी हैं और कंपनी में उन के हितों की प्रकृति और सीमा की ऐसी विशिष्टयां जो विहित की जाएं; और

xiv) प्रवर्तकों के अंशदान के स्रोतों के बारे में प्रकटन, ऐसी रीति में जो निर्धारित की जाएं।

प्रविवरण में जो रिपोर्ट देनी हैं

वित्तीय जानकारी के प्रयेजनों के लिए निम्नलिखित रिपोर्ट दी जाएंगी जैसे कि :

i) कंपनी के अंकेक्षकों द्वारा उसके लाभ और हानियां तथा परिसम्पतियाँ और देयताएं, प्रविवरण के जारी करने के पिछले पांच वित्तीय वर्षों में कंपनी के प्रत्येक शेयरों की

श्रेणी के लिए जारी करने वाली कंपनी द्वारा लाभांश की दर या रकम, यदि है, और कोई अन्य विषयों के सम्बन्ध में रिपोर्ट जो निर्धारित किए जाएं।

ii) प्रविवरण जारी करने के वित्त वर्ष के ठीक पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष की लाभ-हानि के संबध में निर्धारित विधि में अंकेक्षाकों द्वारा रिपोर्टें तथा कोई नियंत्रित कंपनी है तो उसके बारे में भी इस प्रकार की रिपोर्टें विहित रीति में;

परन्तु ऐसी किसी कंपनी की दशा में जिसके संबंध में निगमन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि नहीं पूरी हुई है प्रविवरण, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, उसके जारी करने के वित्तीय वर्ष से ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की लाभ और हानि के सम्बन्धित रिपोर्टें, जिसमें नियंत्रिक कंपनी की रिपोर्टें भी शामिल हैं, वर्णित करेगा;

iii) निगर्मन के ठीक पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए, कंपनी के कारोबार की लाभ/हानियों और ऐसी अंतिम तारीख को जिसको कारबार के लेखे तैयार किए गए थे, जो प्रविवरण के निगमन से पूर्व एक सौ अस्सी दिन से अधिक न हो, उसके कारोबार की परिसम्पत्तियों और देयताओं के संबंध में अंकेक्षकों द्वारा; विहित रीति में तैयार की रिपोर्टें;

पुनः ऐसी कंपनी की दशा में, जिसके संबंध में पांच वर्ष की अवधि निगमन की तारीख से नहीं बीती हैं, प्रविवरण, उस के निगमन की तारीख से सभी वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी के कारोबार के लाभ और हानियों तथा प्रविवरण जारी करने से पूर्व अंतिम तारीख को उसके कारोबार की परिसम्पतियों और देयताओं पर अंकेक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्टें विहित रीति में वर्णित करेगा; और

iv) उस व्यवसाय या लेन-देन के बारे में रिपोर्टें जिसके लिए प्रतिभूतियों के आगमों (proceeds of securities) का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग किया जाना है।

घोषणा

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के बारे में घोषणा तथा इस आशय का कथन कि प्रविवरण की कोई बात इस अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) अधिनियम 1956 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रतिकूल नहीं है।

अन्य विषय

प्रविवरण ऐसे अन्य विषयों का कथन करेगा और ऐसी रिपोर्ट वर्णित करेगा, जो विहित की जाएं और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 2009 के विनिमयों के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज के संबंध में विस्तारपूर्वक प्रकटन आवश्यकताओं की अपेक्षा करेगा। कंपनी को उनका अनुपालन करना होगा।

प्रविवरण में विशेषज्ञ का कथन

प्रविवरण में कभी किसी विशेषज्ञ का कथन भी दिया होता है। शब्द ''विशेषज्ञ'' के अन्तर्गत इंजीनियर, मूल्यांकक, लेखापाल, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल या कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल होता है जिसे कानून द्वारा सर्टिफिकेट देने का अधिकार होता है। किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्रविवरण में शामिल की जायेगी यदि–

i) विशेषज्ञ ऐसा व्यक्ति न हो जो किसी कंपनी के गठन या प्रवर्तन या उसके प्रबंधन में लगा हो या हितबद्ध है या रहा हो,

ii) उसने प्रविवरण जारी करने के लिए अपनी लिखित सहमति दी हो और रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए प्रविवरण की कोई प्रति भेजने से पूर्व सहमति वापस न ले ली हो।

iii) सहमति जो उसने दी है और उसे वापिस नहीं लिया हो, और उस आशय का कथन प्रविवरण में सम्मिलित किया गया हो।

अपवाद

धारा 26 की ऊपर लिखी अपेक्षाएं निम्नलिखित पर लागू नहीं होतीं :

i) अधिकारिक निगर्मन (Rights lssue) : किसी कंपनी के वर्तमान शेयरधारकों या डिबेंचर धारकों को कंपनी के शेयरों या उसके डिबेंचरों के संबंध में प्रविवरण या आवेदन पत्र जारी करना। चाहे किसी आवदेक को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में शेयरों को छोड़ देने का अधिकार है या नहीं।

ii) शेयरों का डिबेंचरों का एक समान होना : धारा 26 के प्रावधान ऐसे शेयरों या डिबेंचरों से सम्बन्धित प्रविवरण के निर्गमन या आवेदन पत्र पर लागू नहीं होंगे जो पूर्व से जारी किए गए शेयरों या डिबेंचरों से सभी प्रकार से एकसमान हैं या समान होंगे और तत्समय किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गये हैं या कोट (quote) किये गये हैं।

प्रविवरण के अनुबन्ध की शर्तों या उद्देश्यों में फेरबदल (धारा 27)

कोई कंपनी, किसी भी समय, प्रविवरण में निर्दिष्ट किसी अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों, को सिवाय विशेष प्रस्ताव के द्वारा फेरबदल नहीं कर सकती। परन्तु ऐसे विशेष प्रस्ताव की सूचना में शेयरधारकों को फेरबदल का औचित्य दर्शाना होगा तथा उसे उस शहर के समाचार पत्रों में (एक अंग्रेजी तथा एक स्थानीय भाषा के) जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, में भी प्रकाशित किया जाना चाहिए। और यह कि कोई कंपनी प्रविवरण के माध्यम से उस के द्वारा जुटाई गई किसी रकम का किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के (साधारण) शेयर क्रय करने, उस में व्यापार करने या अन्यथा व्यवहार के लिए उपयोग नहीं कर सकती।

निकास विकल्प (exit option)

कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार उन शेयर धारकों को बाहर निकलने के विकल्प का अधिकार दिया गया है जो प्रविवरण में विनिर्दिष्ट अनुबन्धों की शर्तों और उद्देश्यों में फेरबदल करने का प्रस्ताव से सहमत नहीं है। निर्गम विकल्प प्रवर्तकों या नियंत्रक शेयरधारकों द्वारा ऐसी निर्गम कीमत पर और ऐसी विधि और शर्तों पर दिया जायेगा जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इसके हेतू विनियम बनाकर विनिर्दिष्ट की जाए।

कंपनी के कुछ सदस्यों द्वारा शेयरों के विक्रय का प्रस्ताव (धारा 28)

आप नोट करें कि कंपनी अधिनियम 2013 में पहली बार कंपनी के कुछ सदस्यों द्वारा अपने शेयरों के विक्रय के प्रस्ताव का प्रावधान किया है जो कंपनी के द्वारा उनकी ओर से किया जायेगा। इसके अनुसार जहां किसी कंपनी के कुछ सदस्य, निदेशक बोर्ड के परामर्श से, विधि के प्रावधानों के अनुसार उनके द्वारा संपूर्ण शेयर धारण या उसका भाग जनता को प्रस्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं वे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विहित की जाएं, ऐसा कर सकेंगे (चाहे एक या बहुत शेयरधारक हों) ऐसे सदस्य सामूहिक रूप से उस कंपनी को जिसके शेयर जनता को विक्रय के लिए प्रस्तावित किए गये हैं अपने लिए और उनकी ओर

से विक्रय के लिए प्रस्थापना के संबंध में सभी कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत करेंगे और इस विषय में वे कंपनी द्वारा किए गये व्यय की प्रतिपूर्ति करेंगे।

धारा 28 के अनुसार कोई दस्तावेज जिसके द्वारा जनता को विक्रय की प्रस्थापना की गई है; सभी प्रयोजनों के के लिए कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण समझा जाएगा और प्रविवरण की विषयवस्तु और प्रविवरण में गलत कथनों या उसके लोपों से सम्बन्धित या अन्यथा प्रविवरण से संबधित दायित्व के बारे में बनाए गए सभी कानून और नियम इस प्रकार लागू होंगे मानो यह कंपनी द्वारा जारी किया गया कोई प्रविवरण है।

9.4 प्रविवरण से संबंधित सांविधिक अपेक्षाएं

1) **प्रविवरण को दिनांकित करना :** धारा 26 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या किसी प्रस्तावित कंपनी के सम्बन्ध में जारी किये गये प्रविवरण पर तिथि लिखी होनी चाहिए। धारा में आगे कहा गया है कि **प्रविवरण में उपदर्शित तिथि को उसके प्रकाशन की तिथि समझा जाएगा।**

2) **प्रविवरण का पंजीकरण :** धारा 26(1) के अन्तर्गत जारी प्रविवरण की एक प्रति उसके प्रकाशन के पूर्व रजिस्ट्रार को भेजनी होगी। जो प्रति रजिस्ट्रार को भेजी गयी है उस पर इन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं जिनका नाम निदेशक के या प्रस्तावित निदेशक के रूप में दिया गया है या उसके अधिकृत अटारिनी द्वारा।

   उपधारा (1) के अंतर्गत जारी प्रविवरण की प्रत्येक प्रति के मुख पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से –

   क) यह लिखा होगा कि उपधारा (4) के अन्तर्गत यथा अपेक्षित एक प्रति पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार को भेज दी गई है; और

   ख) इस धारा के अधीन अपेक्षित ऐसे कोई दस्तावेजों का वर्णन किया जाएगा जो इस प्रकार भेजी गयी प्रति के साथ संलग्न किए जाने हैं या प्रविवरण में सम्मिलित विवरणों में निर्दिष्ट किए जाते हैं जो दस्तावेजों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करें।

रजिस्ट्रार तब तक प्रविवरण का पंजीकरण नहीं करेगा जब तक उसके पंजीकरण के संबंध में इस धारा की अपेक्षाओं का पालन न किया गया हो और प्रविवरण के साथ उसमें में नामित सभी व्यक्तियों की लिखित में सहमति न लगी हो।

उपर्युक्त लिखी सभी आवश्यकताएं पहले से मौजूद कंपनियों को या जो प्रस्तावित हैं लागू होती हैं।

कोई प्रविवरण विधिमान्य नहीं होगा यदि वह उस तारीख से, जिसको उसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजी गयी है, 90 दिनों से अधिक दिन के पश्चात किया जाता है।

प्रविवरण का पंजीकरण करने से इनकार

धारा 26(7) के अनुसार रजिस्ट्रार किसी प्रविवरण को तब तक पंजीकृत नहीं करेगा जब तक इसमें उसके पंजीकरण के संबंध में इस धारा की अपेक्षाओं का पालन न किया गया हो और प्रविवरण के साथ प्रविवरण में नामित सभी व्यक्तियों की लिखित में सहमति न लगी हो। अतः रजिस्ट्रार प्रविवरण का पंजीकरण करने से इन्कार कर देगा यदि :

क) यह दिनांकित नहीं है।

ख) उसमें विषय, रिर्पोट और घोषणा (declaration) नहीं है।

ग) इसमें उस विशेषज्ञ का कथन या रिर्पोट लगी है जो कंपनी के गठन या संवर्धन या उस के प्रबंधन में लगा या हितबद्ध है या रहा हो।

घ) इस में विशेषज्ञ का कोई कथन लगा है परन्तु उसमें उसने प्रविवरण के जारी होने पर अपनी लिखित सहमति का कथन नहीं दिया और ना ही प्रविवरण की कापी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण के लिए भेजने से पहले अपनी सहमति वापिस नहीं ली है।

ड़) रजिस्ट्रार को जो कापी भेजी गयी है उस पर हर उस व्यक्ति के जिसका नाम निदेशक या प्रस्तावित निदेशक के रूप में है या उनके अधिकृत अटारिनी के हस्ताक्षर नहीं है।

उल्लंघन के लिए दंड

यदि कोई प्रविवरण इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन कर जारी किया जाता है तो कंपनी को कम से कम पचास हजार रुपये जुर्माना किंतु जो तीन लाख रुपए तक हो सकता है किया जायेगा और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो जानबूझ कर ऐसे प्रविवरण के जारी होने का पक्षकार है ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है या जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किंतु तीन लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा [धारा 26(9)]।

विज्ञापन के रूप में प्रविवरण (धारा 30)

जहां कंपनी के किसी प्रविवरण का कोई विज्ञापन किसी भी रीति में, प्रकाशित किया जाता है, उसमें सीमानियम की विषयवस्तु जिसमें कंपनी के उददेश्यों, सदस्यों के दायित्व और शेयर पूँजी की रकम के बारे में सीमानियम के हस्ताक्षरकर्त्ताओं के नाम, और उनके द्वारा अभिदत्त शेयरों की संख्या तथा उसकी पूँजी संरचना को उस में विनिर्दिष्ट करना आवश्यक होगा।

9.5 प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता कब नहीं होती

कंपनी को निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रविवरण जारी करना अनिवार्य नहीं है :

1) एक निजी कंपनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

2) सार्वजनिक कंपनी को भी प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नही होती यदि निदेशकों या प्रवर्तकों को यह प्रतीत होता है कि वे व्यक्तिगत सम्बन्ध और सम्पर्क से पूँजी एकत्र कर सकते हैं तो उन्हें शेयरों या डिबेंचरों का विक्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

3) जब कंपनी वर्तमान सदस्यों या डिबेंचर धारकों को कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों को उनके 'अधिकार' के रूप में दे (राइट्स इश्यू) चाहे अन्य व्यक्ति के पक्ष में शेयरों का त्यजन करने का अधिकार हो या नहीं। [धारा 26(2)(a)]।

4) जहां निर्गमन ऐसे शेयरों या डिबेंचरों से संबंधित है जो पूर्व में जारी किए गए शेयरों या डिबेंचरों की भांति सभी प्रकार से समान हैं या समान होंगे और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार किए जाते हैं या कोट (quoted) किए जाते हैं।

बोध प्रश्न 1

1) नीचे दिए गए वाक्यों के उचित विकल्प चुनिये :

i) रजिस्ट्रार प्रविवरण का पंजीकरण नहीं करेगा यदि :

क) इस पर तारीख नहीं लिखी हुई।

ख) विशेषज्ञ के कथन पर उस के हस्ताक्षर नहीं है।

ग) सूचना छह माह पुरानी है।

घ) उपर्युक्त सभी अवस्थाओं में।

ii) एक प्रविवरण जो विज्ञापन के रूप में है उनमें वर्णित होना चाहिए :

क) कंपनी के उद्देश्य जिनके लिए उसका गठन हुआ है।

ख) सदस्यों के दायित्व।

ग) कंपनी की शेयर पूँजी की रकम।

घ) इसकी पूँजी की संरचना।

ब) उपर्युक्त सभी

iii) प्रविवरण के जारी होने की तारीख होती है :

क) जो प्रविवरण पर छपी हुई है।

ख) वह तारीख जिस दिन प्रविवरण प्रकाशित हुआ है।

ग) वह तारीख जिस पर कंपनी रजिस्ट्रार ने कंपनी का पंजीकरण किया है।

iv) एक सार्वजनिक कंपनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती यदिः

क) अधिकार शेयर (rights issue) या डिबेंचर जारी किए जाएं।

ख) जारी किए जाने वाले शेयर या डिबेंचर सभी प्रकार से समान हैं या समान होंगे या तत्समय किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में व्यौहार किए जाते हैं या कोट किए गए हैं।

ग) जब विज्ञापन के द्वारा निमंत्रण दिया जाए।

घ) उपर्युक्त केवल (क) और (ख) में

ड) उपर्युक्त क, ख और ग में

9.6 मानित प्रविवरण (Deemed Prospectus/Prospectus by Implication)

सामान्यतः प्रविवरण से संबंधित कंपनी अधिनियम के प्रावधान उन स्थितियों तक सीमित हैं जहां कंपनी या उसकी ओर से उसके शेयरों या डिबेंचरों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है। इसलिए कंपनी का एक समय संभव था कि वे प्रविवरण के सांविधिक प्रावधानों को अपने शेयर या डिबेंचरों को निर्गमन संस्थाओं के द्वारा जनता को आबंटित करके टाल सकते थे। पहले कंपनी द्वारा अपने शेयर या डिबेंचर निर्गमन संख्या (issue house) को आबंटित किए जाते हैं और उसके बाद निर्गमन संख्या अपने दस्तावेजों के द्वारा जनता को इन्हें अभिदान के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए कंपनी बिना प्रविवरण जारी किए जनता से अप्रत्यक्ष रूप से अभिदान एकत्रित कर सकती थी।

धारा 25 निर्गमन संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के बारे में है। तद्नुसार ऐसा प्रस्ताव दस्तावेज (offer document) कंपनी द्वारा जारी किया हुआ प्रविवरण माना जाता है। धारा 26 के प्रावधानों की अनदेखी को धारा 25 (धारा 26 के अनुसार प्रविवरण में कुछ रिपोर्ट और कुछ सूचनाएं देनी अनिवार्य हैं) में शेयरों व डिबेंचरों के निर्गमन संस्थाओं द्वारा विक्रय के प्रस्ताव को विशेष रूप से बताया गया है।

धारा 25(1) के अनुसार जहां कोई कंपनी अपने शेयरों या डिबेंचरों को जनता के लिए विक्रय की प्रस्थापना करने की दृष्टि से आबंटित या आबंटित करने का करार करती है, ऐसा कोई दस्तावेज जिसके द्वारा जनता को विक्रय का प्रस्ताव दिया जाता है सभी प्रयोजनों के लिए वह कंपनी द्वारा जारी प्रविवरण माना जाएगा।

धारा 25 की उपधारा (2) कहती है कि जब तक प्रतिकूल साबित न किया गया हो, शेयरों और डिबेंचरों का कोई आबंटन या आबंटन करने का करार जनता को शेयरों और डिबेंचरों को जनता को विक्रय करने की दृष्टि से किया गया माना जायेगा यदि यह दिखाया जाता है कि :

क) शेयरों और डिबेंचरों के विक्रय के लिए जनता को प्रस्ताव आबंटन या आबंटन करने के करार के छह मास के भीतर किया गया था; या

ख) उस तारीख को जब प्रस्ताव किया गया था प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त किया जाने वाला संपूर्ण प्रतिफल उसके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।

मानित प्रविवरण से संबंधित अतिरिक्त अपेक्षाएं

जो दस्तावेज मानित प्रविवरण माना जाता है उसमें धारा 25(3) के अनुसार धारा 26 में जो सूचनाएं अपेक्षित हैं उनके अतिरिक्त, कुछ और सूचनाएं होनी चाहिए। ये अतिरिक्त सूचनाएं, जिनकी अपेक्षा की गई हैं इस प्रकार हैं :

क) कंपनी द्वारा ऐसे शेयरों या डिबेंचरों (ऋणपत्र) के विक्रय प्रस्ताव सम्बन्धित प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल की निवल राशि; और

ख) अनुबन्ध का वह समय व स्थान जिसके अन्तर्गत तथाकथित शेयरों या डिबेंचरों का आबंटन किया गया है या किया जायेगा, का निरीक्षण किया जा सकेगा। धारा 26 जो प्रविवरण के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित है धारा 25(3) (iii) के अनुसार मानिस प्रविवरण पर भी लागू होती है अतः जनता को प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति कंपनी के मानित निदेशक माने जायेंगे।

जब प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी या फर्म है, उस दस्तावेज (अर्थात् मानित प्रविवरण) पर दो निदेशकों या आधे साझेदारों (जैसा भी स्थिति हो) के हस्ताक्षर होंगे (धारा 26(4))।

9.7 शेल्फ प्रविवरण तथा रेड हेरिंग प्रविवरण (Self Prospectus and Red Herring Prospectus)

9.7.1 शेल्फ प्रविवरण (धारा 31)

'शेल्फ प्रविवरण' का अर्थ एक ऐसे प्रविवरण से है जिसकी बाबत उसमें सम्मिलित प्रतिभूतियां या प्रतिभूतियों की श्रेणी को दोबारा कोई और प्रविवरण जारी किए बिना कुछ अवधि तक एक या अधिक निर्गमन के लिए जारी किया जाता है, (स्पष्टीकरण धारा 31)।

धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार शेल्फ प्रविवरण ऐसे किसी वर्ग या वर्गों की कंपनियों द्वारा जारी किया जा सकता है जिन्हें प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इस संबंध में विनिमयों द्वारा उपबंधित करें।

कई प्रकार की प्रतिभूतियों के माध्यम से जनता से राशि जुटाना करना काफी समय ले लेता है। जब भी इस प्रकार का निर्गमन आता है, तो एक नया प्रविवरण जारी करना पड़ता है। यद्यपि यह बार बार दोहराने का कार्य है परंतु कार्यविधि काफी समय ले लेती है। ऐसी संस्थाओं का भार कम करने हेतु शेल्फ प्रविवरण का आरंभ किया गया। शेल्फ प्रविवरण की अवधि प्रतिभूतियों के उस प्रविवरण के अन्तर्गत प्रथम प्रस्ताव खोलने की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाद के प्रस्तावों (offering) के लिए, सूचना ज्ञापन जो विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत सूचना का नवीनीकरण करते हुए फाइल करना होगा और पूरा सेट जिसमें शेल्फ प्रविवरण व सूचना ज्ञापन शामिल है प्रविवरण कहलायेगा और जनता में परिचालित किया जाएगा।

इस संबंध में धारा 31 के प्रावधान निम्नलिखित हैं :

i) शेल्फ प्रविवरण को प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विनिमयों के अन्तर्गत किसी भी वर्ग या वर्गों की कंपनियों द्वारा जारी किया जा सकता है।

ii) एक बार जारी एवं पंजीयक के पास जमा कराने के बाद, कंपनी को शेल्फ प्रविवरण की वैधता, जो एक वर्ष से अधिक नहीं है, की अवधि के भीतर प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रस्ताव के लिए बार-बार प्रविवरण जमा नहीं करना होगा।

iii) शेल्फ प्रविवरण फाइल करने वाली किसी कंपनी के शेल्फ प्रविवरण के अन्तर्गत प्रतिभूतियों को दूसरे या बाद के प्रस्ताव जारी करने से पहले निर्धारित समय के भीतर एक सूचना ज्ञापन फाइल करना होगा जिसमें शामिल होंगे : नये प्रभार, कंपनी की वित्तीय स्थिति में ऐसे परिवर्तन जो प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव, प्रतिभूतियों के पूर्व प्रस्ताव और प्रतिभूतियों की उत्तरवर्ती प्रस्ताव के बीच हुए हों।

iv) सूचना ज्ञापन के साथ शेल्फ प्रविवरण जो पहली प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के समय फाइल किया गया था, जनता को जारी किया जायेगा। जब भी ऐसा सूचना ज्ञापन शेल्फ प्रविवरण के साथ जारी किया जायेगा, एक प्रविवरण ही कहलाएगा।

टिप्पणी : ज्ञापन शब्द का अर्थ यहां रिपोर्ट या विस्तार नोट या सारांश है ना कि सीमानियम।

9.7.2 रेड हेरिंग प्रविवरण (धारा 32)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 32 में - रेड हेरिंग प्रविवरण' से सम्बन्धित निम्नलिखित प्रावधान हैं :

i) प्रतिभूतियों के निर्गमन का प्रस्ताव करने वाली कंपनी कोई प्रविवरण जारी करने से पूर्व रेड हेरिंग प्रविवरण जारी कर सकती है। रेड हेरिंग प्रविवरण ऐसा प्रविवरण है जिसमें प्रतिभूतियों की कीमत या मात्रा के बारे में सम्पूर्ण विवरण नहीं है।

ii) रेड हेरिंग प्रविवरण जारी करने का प्रस्ताव करने वाली कंपनी को अभिदान सूची और प्रस्ताव खुलने की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व यह प्रविवरण पंजीयक के पास जमा करना होगा।

iii) रेड हेरिंग प्रविवरण पर वही दायित्व लागू होंगे जो एक प्रविवरण पर लागू होते हैं।

iv) यदि प्रविवरण या रेड हेरिंग प्रविवरण में कोई अंतर है तो कंपनी को इन अंतरों को प्रविवरण में दर्शाना होगा।

v) प्रतिभूतियों के निर्गमन के प्रस्ताव के बंद होने पर, प्रविवरण में निम्नलिखित वर्णन करना होगा :

   क) जुटाई गई कुल पूँजी चाहे वह ऋण या शेयर पूँजी के रूप में प्राप्त की गई हो,

   ख) प्रतिभूतियों की अंतिम कीमत, और

   ग) और कोई अन्य ब्यौरे जो रेड हेरिंग प्रविवरण में सम्मिलित नहीं किए गए हों उन्हें रजिस्ट्रार और प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास फाइल करना होगा।

9.8 न्यूनतम अभिदान (Minimum subscription)

जनता को अभिदान के लिए प्रस्तावित किसी कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों का आबंटन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रास्पेक्टस (प्रविवरण) में वर्णित रकम न्यूनतम राशि के रूप में अभिदत्त नहीं कर दी गयी हो और आवेदन के संबंध में देय राशि को कंपनी द्वारा चेक या अन्य किसी प्रपत्र द्वारा भुगतान या प्राप्त कर लिया गया हो (धारा 39)।

यदि वर्णित न्यूनतम राशि का अभिदान नहीं किया गया है और आवेदन पर देय राशि प्रास्पेक्टस जारी करने की तारीख से तीस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की गयी हो, प्राप्त नहीं की जाती है तो उपधारा (1) के अधीन प्राप्त राशि को ऐसे समय के भीतर और रीति में जैसा विहित किया जाए, वापस करनी होगी। Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules 2014 के नियम 11 के अनुसार आवेदन राशि शेयरों का निर्गमन बंद होने के 15 दिन के भीतर बिना ब्याज के लौटानी होगी। राशि न लौटाने पर कंपनी के निदेशक जो कंपनी के अधिकारी हैं जिससे चूक हुई है संयुक्त और पृथकतः (Jointly and severally) रूप से उस राशि को 15 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

वापस किए जाने वाली आवेदन राशि केवल उसी बैंक खाते में लौटानी होगी जहां से अभिदान भेजा गया था। कंपनी के राशि वापस न लौटाने की दशा में प्रत्येक चूक के लिए कंपनी तथा उसके अधिकारी प्रत्येक दिन के लिए जब तक चूक जारी रहती है 1000 रु. या एक लाख रु. दोनों में जो भी कम हो के उत्तरदायी होंगे (धारा 39(5))।

9.9 प्रविवरण में मिथ्या कथन और इसके परिणाम

भावी शेयरधारियों को प्रविवरण के द्वारा सही व विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। जिन व्यक्तियों द्वारा प्रविवरण जारी किया जाता है उनका कर्त्तव्य है कि हर बात वे सत्य बताएं और कोई मूल तथ्य न छोड़े।

9.9.1 असत्य कथन/मिथ्या कथन क्या होता है?

अधिनियम की धारा 34 (1) के अनुसार कोई कथन प्रविवरण में असत्य माना जाएगा :

क) यदि जिस रूप या संदर्भ में कथन सम्मिलित किया गया है वह भ्रामक है या

ख) जहां किसी विषय के सम्मिलित या लोप किए जाने से कोई भ्रम होने की संभावना है।

अतः प्रविवरण के बारे में यह तय करना है कि यह कपट पूर्ण है या नहीं केवल यह देखना ही आवश्यक नहीं है कि इनमें कोई झूठा कथन है, चाहे प्रविवरण में हर शब्द सत्य भी हो परन्तु मूल तथ्य को छुपाना भी इस को कपटपूर्ण बना देगा। इसके प्रभाव को जांचने के लिए इसे पूरा पढ़ना चाहिए।

रेक्स बनाम किल्सैट [Rex v Kylsant (1932)] के मुकदमे में कंपनी ने एक प्रविवरण निर्गमित किया जिसमें कोई मिथ्या कथन नहीं था। एक कथन के द्वारा पिछले कुछ वर्षों में दिए गए लाभांश की दर बताई गई थी। यह एक सच्चा कथन था। परंतु लाभांश व्यापारिक लाभों में से नहीं दिए गए थे बल्कि लाभांश पूँजीगत लाभों में से दिए गए थे। यह मूल तथ्य प्रविवरण में नहीं दिया गया। निर्णय दिया गया कि इस तथ्य को न बताना एक महत्वपूर्ण चूक थी। लार्ड किलसैंट जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे, जिन्हें यह मालूम था कि यह झूठ है, छलकपट का दोषी करार दिया गया।

केवल चुप रहना आबंटन को रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। तथ्य को छुपाना ऐसा होना चाहिए कि यदि इसे उजागर नहीं किया गया तो जो कुछ बतलाया गया है वह बिल्कुल असत्य हो जायेगा।

पीक बनाम गारने [Perk v Gurney (1873)] के मामले में निर्गमित किए गए प्रविवरण में कुछ देयताओं के बारे में नहीं बताया गया था। इस से कंपनी के समृद्ध होने की गलत धारणा बनी। प्रविवरण को असत्य घोषित किया गया।

9.9.2 दायित्व और बचाव

वह व्यक्ति जिसने प्रविवरण में दिए गए कथनों पर विश्वास कर शेयरों के लिए अभिदान किया है उसे ही कंपनी, निदेशकों या प्रवर्तकों के विरुद्ध उपचार प्राप्त है यदि प्रविवरण में (i) मिथ्या कथन है, या (ii) मूल तथ्यों को शामिल या छोड़ दिया गया है जिसके कारण जो वर्णन किया है वह भी मिथ्या बन गया।

यह ध्यान रखिये कि किसी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार केवल उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिस ने प्रविवरण के विश्वास पर, शेयरों या डिबेंचरों को खरीदने के लिए आवेदन किया है, जिसमें मिथ्या कथन है। इस प्रकार शेयरों को खुले बाजार में खरीदने वाले बाद में क्रेताओं को कंपनी या निदेशकों या प्रवर्तकों के विरुद्ध कोई उपचार प्राप्त नहीं है।

यदि प्रविवरण में मिथ्या कथन महत्वपूर्ण है तो ऐसी स्थिति में (i) दीवानी दायित्व (ii) आपराधिक दायित्व उत्पन्न हो सकते हैं :

दीवानी दायित्व

धारा 35 (1) के अनुसार जहां किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए प्रविवरण में ऐसे किसी विषय के जो भ्रामक सम्मिलित या लोप किए जाने या किसी कथन पर कार्य करते हुए कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के लिए अभिदान किया है और उसके परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति उठाई है तो कंपनी और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति –

क) जो प्रविवरण जारी किए जाने के समय कंपनी का निदेशक है;

ख) उसने या तो शीघ्र या समय के किसी अंतराल के पश्चात् अपने को कंपनी के निदेशक के रूप में प्रविवरण में नामित किए जाने के लिए स्वयं को प्राधिकृत किया है या ऐसे निदेशक बनने के लिए सहमति दी है;

ग) जो कंपनी का प्रवर्तक है;

घ) जिसने प्रविवरण का जारी किया जाना प्राधिकृत किया है; और

ड.) जो धारा 26 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट कोई विशेषज्ञ है,

धारा 36 के अन्तर्गत दंड के अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने ऐसी हानि या क्षति उठाई है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।

आप नोट करें कि धारा 36 में, धन का निवेश करने के लिए व्यक्तियों को कपटपूर्ण ढंग से उत्प्रेरित करने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 36 के प्रावधानों की हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।

दीवानी दायित्व से उपलब्ध बचाव

धारा 35(1) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति दायी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि :

क) कंपनी के निदेशक बनने के लिए सहमति देने पर भी उसने प्रविवरण के जारी किए जाने के पूर्व अपनी सहमति वापस किया गया था; या

ख) वह उसके प्राधिकार या सहमति के बिना जारी ली थी; या

ग) प्रविवरण उस जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया था और इस बात की जानकारी होने पर उसने तुरंत यथोचित सार्वजनिक सूचना दे दी थी कि प्रविवरण उसकी जानकारी या सहमति के बिना जारी किया गया है।

जहां यह सिद्ध कर दिया जाता है कि प्रविवरण, कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के आशय से या किसी अन्य कपटपूर्वक प्रयोजन के लिए, जारी किया गया था, उपधारा (I) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सभी या किन्हीं हानियों या क्षतियों के लिए जो किसी व्यक्ति द्वारा जिसने ऐसे प्रविवरण के आधार पर प्रतिभूतियों में अभिदान किया है उठाई गयी हों दायित्व की किसी सीमा के बिना, व्यक्तिगत रूप में उत्तरदायी होगा [धारा 35(3)]।

आपराधिक दायित्व

धारा (34) के अनुसार जब कोई जारी, परिचालित या वितरित किए गए किसी प्रविवरण में कोई ऐसा कथन सम्मिलित है जो असत्य है या उस रूप या संदर्भ में उसे सम्मिलित किया गया है जो भ्रामक है, या जहां किसी विषय के सम्मिलित या लोप किए जाने से कोई भ्रम होने की संभावना है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रविवरण का जारी किया जाना प्राधिकृत करता है उसको कम से कम छह महीने और अधिकतम 10 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है और उस पर जितनी रकम छल कपट में शामिल है उतना जुर्माना हो सकता है लेकिन यह जुर्माना कपट की रकम का तीन गुना भी हो सकता है।

आपराधिक दायित्व से उपलब्ध बचाव

उपर्युक्त आपराधिक दायित्व ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि ऐसा कथन या लोप महत्वहीन था या उसके पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार थे और प्रविवरण जारी किए जाने के समय तक वह विश्वास करता रहा था कि कथन सत्य है या सम्मिलित किया जाना अथवा लोप किया जाना आवश्यक था।

धन का निवेश करने के लिए व्यक्तियों को कपटपूर्वक उत्प्रेरित करना

धारा 36 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो :

i) या तो जानते हुए असावधानीवश कोई ऐसा कथन, वचन या पूर्वानुमान करता है जो मिथ्या, कपटपूर्ण या भ्रामक है; या

ii) किसी अन्य व्यक्ति को विशेष प्रकार के करार करने का प्रस्ताव करने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए किन्हीं मूल तथ्यों को जान बूझकर छिपाता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक हो सकती है, दण्डित किया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा और जुर्माने की राशि कपट में शामिल राशि से कम नहीं होगी, किन्तु यह कपट में शामिल राशि रकम के तीन गुणा तक भी हो सकती है।

करार जो धारा (36) के अन्तर्गत आते हैं, वे हैं :

क) प्रतिभूतियों की प्राप्ति, निपटान, उनके लिए अभिदान या अभिगोपन करने का या ऐसा करने की दृष्टि से कोई करार; या

ख) ऐसा कोई करार, जिसका प्रयोजन या बनावटी प्रयोजन पक्षकारों में से किसी पक्षकार को प्रतिभूतियों की प्राप्ति में से या प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार चढ़ाव से लाभ सुनिश्चित करना है; या

ग) किसी बैंक या वित्तीय संस्था से उधार सुविधाएं प्राप्त करने के लिए या उसकी दृष्टि से कोई करार।

प्रभावित व्यक्तियों द्वारा कार्यवाही (धारा 37)

प्रविवरण में किसी भ्रामक कथन या किसी विषय के सम्मिलित करने या लोप करने के कारण प्रभावित किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या व्यक्तियों की किसी संस्था द्वारा धारा (34) या धारा (35) या धारा (36) के अधीन कोई मुकदमा फाइल किया जा सकता है या कोई अन्य कार्यवाही की जा सकती है।

9.10 प्रविवरण का निर्माण करने का सुनहरा नियम

प्रविवरण का निर्माण करने का सुनहरा नियम (Golden Rules for Framing of Prospectus) जस्टिस किंडरसेली ने (Justice Kindersely) ने New Brunswick & Canada Rly & Land Co, v Muggeridge (1860) के केस में निर्धारित किया। संक्षिप्त में नियम इस प्रकार है –

जो प्रविवरण जारी करते हैं वे जनता को यह कहते हैं कि जो प्रस्ताविक उपक्रम है उसके शेयर क्रय करने से उन व्यक्तियों को बहुत लाभ होगा। प्रविवरण में दिए हुए कथन के विश्वास पर जनता को शेयर क्रय करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जनता कंपनी के प्रवर्तकों की दया पर निर्भर होती है। इसलिए हर बात पूरी ईमानदारी और सत्यता से बतानी चाहिए। कोई भी बात जो तथ्य नहीं है उसे तथ्य के रूप में बताना नहीं चाहिए। ना ही कोई तथ्य लोप होना चाहिए जिसके कारण प्रविवरण में जो लाभ और सिद्धांतों की प्रकृति व गुण दिए हैं, जिसके कारण शेयर क्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अन्य शब्दों में, कंपनी के उपक्रम की सही प्रकृति बतानी चाहिए।

Rex vs Kytsant के केस में प्रविवरण में यह कथन दिया गया था कि काफी लम्बे समय से 5 से 8 प्रतिशत लाभांश लगातार दिया जा रहा है। सत्य यह था कि कंपनी प्रविवरण

के जारी होने की तिथि के पिछले सात वर्षों से काफी हानि उठा रही थी। वास्तव में पूँजीगत लक्ष्यों में से लाभांश दिया जा रहा था। निर्णय हुआ कि प्रविवरण मिथ्या और भ्रामक है। कथन यद्यपि सत्य था परंतु वह जिस संदर्भ में दिया था वह मिथ्या था।

उदाहरणार्थ, आधा सत्य, यदि पूर्ण सत्य के रूप में कहा जाए तो वह मिथ्या कथन माना जाता है **(Lord Halsbury in Aarons Reefs v Twisa)**।

अतः प्रविवरण जारी करने वाले व्यक्तियों को ना केवल प्रविवरण में अधिनियम की धारा 26 में दिए हुए सभी उचित विवरण देने चाहिए जो अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अपने आप से भी दूसरी सूचनाएं जो उनकी जानकारी में हैं और जो किसी भावी निवेशक के निर्णय को प्रभावित कर सकती है वह भी होनी चाहिए।

9.11 कल्पित नाम से शेयरों का आबंटन

धारा 38 के अधीन कोई व्यक्ति जो :

क) किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को प्राप्त करने या उन के लिए अभिदान करने के लिए कल्पित नाम से कोई आवेदन करता है या करने का दुष्प्रेरण (abet) करता है, या

ख) प्रतिभूतियों को अर्जित करने और उनके लिए अभिदान करने के लिए भिन्न-भिन्न नामों में या विभिन्न समुच्चयों में (combination) या अपने नाम या उपनाम में कंपनी को बहु आवेदन करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, या

ग) अन्यथा किसी कंपनी को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसे या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कल्पित नाम से प्रतिभूतियों को आबंटन करने या उनके हस्तांतरण को रजिस्टर करने के लिए उत्प्रेरित करता है;

उसे ऐसी अवधि के कारावास से जो कम से कम छह माह की अवधि का हो सकता है, किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकता है दंडित किया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो कपट में शामिल रकम से कम नहीं होगा और वह रकम कपट में शामिल रकम के तीन गुना हो सकती है।

ऊपर लिखे दण्डनीय प्रावधान कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रविवरण में और प्रतिभूतियों के लिए आवेदन पत्र में विशिष्ट रूप से दिखाए जाने चाहिए।

जहां किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया गया है वहां न्यायालय उस व्यक्ति द्वारा लिए गए अभिलाभों को, यदि कोई है, वापस करने और उसके कब्जे में की गयी प्रतिभूतियों के अभिग्रहण (seizure) और निपटान (disposal) का आदेश भी कर सकेगा।

प्रतिभूतियों के वापस करने और उनके निपटान द्वारा प्राप्त रकम को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा किया जाएगा।

9.12 प्रस्तावित पूँजी जारी संबंधी घोषणा

कंपनियाँ प्रायः प्रमुख समाचार पत्रों में प्रस्तावित शेयरों या डिबेंचरों के जारी करने की घोषणा करती हैं। कंपनी विधि में ऐसा करना आवश्यक नहीं है। परन्तु जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि वे प्रस्तावित शेयर क्रय करें यह किया जाता है। ऐसी घोषणा के ऊपर लिखा जाता है यह केवल घोषणा है प्रविवरण नहीं जिससे धारा 34 और 35 के

अन्तर्गत दंड देने वाले प्रावधानों से बचा जा सके। धारा 30 इस सम्बन्ध में कहती है कि किसी कंपनी के प्रविवरण का विज्ञापन यदि किसी भी रीति से प्रकाशित हुआ हो, उसमें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित देना आवश्यक है –

i) सीमानियम में दिये गए उद्देश्य
ii) सदस्यों का दायित्व,
iii) कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी की रकम;
iv) सीमानियम में हस्ताक्षरकर्त्ताओं के नाम, उनके द्वारा अभिदान शेयरों की संख्या, और
v) कंपनी की पूँजी की संरचना।

बोध प्रश्न 2

1) रिक्त स्थान भरिये :

   i) एक कंपनी को जनता को प्रविवरण जारी नहीं करना चाहिए जब उसकी एक प्रतिलिपि .... को नहीं भेजी हो।

   ii) शेल्फ प्रविवरण की अवधि केवल .... रहती है।

   iii) एक प्रविवरण जिसमें विशेषज्ञ का कथन है उसमें .... होना चाहिए।

   iv) पंजीकरण की तारीख से एक प्रविवरण .... दिन में जारी होना चाहिए।

2) बताइए निम्नलिखित कथन **सही** है या **गलत**।

   i) एक सार्वजनिक कंपनी अपने शेयरों का आबंटन प्रविवरण जारी किए बिना कर सकती है।

   ii) प्रविवरण तब तक प्रविवरण नहीं कहलाएगा जब तक जनता को कंपनी की शेयर या डिबेंचर या कोई प्रतिभूति अभिदान करने को आमंत्रित नहीं किया जाता।

   iii) प्रविवरण पर तिथि होनी चाहिए।

   iv) एक सार्वजनिक कंपनी जो अपने मित्रों और संबंधियों को शेयर जारी करती है उसे प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता।

   v) यदि किसी व्यक्ति ने खुले बाजार में शेयर क्रय किए हैं और ना ही प्रविवरण में दिए मिथ्या कथन को पढ़ा है वह व्यक्ति शेयरों के क्रय का अनुबंध रद्द कर सकता है।

   vi) यदि किसी व्यक्ति को शेयर आबंटित हुए हैं और वह प्रविवरण में यदि कोई मिथ्या कथन पाता है तो वह क्षति के लिए कंपनी पर वाद कर सकता है और साथ में शेयर अपने पास भी रख सकता है।

   vii) एक निदेशक पर आपराधिक दायित्व लागू नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि उसके पास विश्वास करने के उचित आधार थे कि जिस कथन को असत्य कहा जा रहा है वह सत्य है।

   viii) जब एक प्रविवरण में मिथ्या कथन है तो वे व्यक्ति जिन्होंने इसके निर्गमन को प्राधिकृत किया था उन पर 5,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

   ix) रेड हेरिंग प्रविवरण वह प्रविवरण होता है जो रजिस्ट्रार के पास प्रविवरण जारी होने के बाद फाइल होता है।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

9.13 सारांश

सार्वजनिक कंपनी प्रायः अपनी शेयर पूँजी के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित करती है, निजी कंपनी की तरह नहीं जो अपनी शेयर पूँजी मुख्यतः अपने मित्रों और सम्बन्धियों से प्राप्त करती है। ऐसी दशा में सार्वजनिक कंपनी अभिदान आमंत्रित करने के लिए प्रविवरण जारी करती है। वास्तव में कंपनी को प्रविवरण जारी से पहले कई कदम उठाने पड़ते है जैसे बैंकरों, लेखा परीक्षकों, दलालों, हामीदारों की नियुक्ति स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों को सूचीबद्ध कराना, प्रविवरण का ढांचा बनाना इत्यादि।

इसके बाद, निदेशक बोर्ड प्रविवरण जारी करने का समय तय करते है। इस कार्य के लिए बोर्ड कई बातों का अध्ययन करता है जैसे पूँजी बाजार की स्थिति, निवेशकर्त्ताओं का मिजाज, सरकार की राजस्व और मौद्रिक नीतियाँ और व्यावसाय की हालत।

प्रविवरण का अर्थ परिभाषा : प्रविवरण का अर्थ ऐसे दस्तावेज से है जो प्रविवरण के रूप में वर्णित और जारी किया गया और इस के अन्तर्गत रेड हेरिंग प्रविवरण या शेल्फ प्रविवरण या ऐसी कोई सूचना, परिवत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज भी हैं, जो किसी निगमित निकाय के प्रतिभूतियों के अभिदान या क्रय के लिए जनता से प्रस्थापनाएं आमंत्रित करते हैं। जनता को प्रस्ताव का क्या अर्थ है, धारा 42(4) कहती है कि यदि ये निजी प्रस्ताव नहीं हैं तो यह प्रस्ताव या निमंत्रण जनता को निमंत्रण माना जायेगा। धारा 42 के स्पष्टीकरण (1) के अन्तर्गत नियमों के अनुसार यदि कोई कंपनी सूचीबद्ध या असूचीबद्ध है यदि वह 200 से अधिक व्यक्तियों को किसी वित्तीय वर्ष में, प्रतिभूतियों के आबंटन का प्रस्ताव या अभिदान का आमंत्रण या आबंटन का अनुबंध करती है तो इसे जनता को प्रस्ताव माना जायेगा।

प्रविवरण की विषय वस्तु : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार प्रविवरण की विषयवस्तु में शामिल है :

i) प्रविवरण में सूचनाएं देना

ii) प्रविवरण में रिपोर्ट देना

iii) घोषणायें

iv) अन्य विषय

यद्यपि अधिकतर कंपनियाँ अपनी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रविवरण जारी करती हैं, परंतु प्रविवरण जारी करना अनिवार्य नहीं है। निम्नलिखित अवस्थाओं में प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं होती :

i) एक सार्वजनिक कंपनी को जनता से अभिदान लेने की आवश्यकता नहीं यदि प्रवर्तकों और निदेशकों का यह प्रतीत होता है कि वे व्यक्तिगत संबंधों और सम्पर्क से पूँजी एकत्र कर सकते हैं।

ii) जब वर्तमान शेयर धारियों या डिबेंचर धारियों को अधिकार के रूप में शेयर या डिबेंचर प्रस्तुत किए जाए।

iii) जब शेयरों या डिबेंचरों का निर्गमन पूर्व में जारी किए गए शेयरों या डिबेंचरों से सभी प्रकार से समान हैं और किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार किए जाते हैं या कोट किए गए हैं।

iv) जब जनता को विज्ञापन द्वारा निमंत्रण दिया जाए।

कंपनी किसी भी समय, प्रविवरण में निर्दिष्ट किसी अनुबंध की शर्तों या उद्देश्यों में फेरबदल नहीं कर सकती, वह केवल विशेष प्रस्ताव द्वारा ही कर सकती है। इसके साथ कंपनी उन शेयरधारकों को जो इन फेरबदल के प्रस्ताव से सहमत नहीं है उन्हें बाहर निकालने की छूट देगी।

प्रविवरण से संबंधित कानूनी आवश्यकताएं धारा 26 के अनुसार प्रविवरण के किसी कंपनी द्वारा या उसकी ओर से या किसी प्रस्तावित कंपनी से संबंधित जारी होने पर उस पर तारीख प्रकाशित होनी चाहिए। धारा आगे कहती है कि प्रविवरण पर लिखी तारीख को उसके प्रकाशन की तारीख को समझा जाएगा। इस धारा के अनुसार प्रविवरण की एक प्रति रजिस्ट्रार को इसके प्रकाशन की तारीख वाले दिन या पहले सुपुर्द की जाएगी।

रजिस्ट्रार जब तक प्रविवरण का पंजीकरण नहीं करेगा जब तक उसके पंजीकरण के संबंध में इस धारा की आवश्यकताओं का पालन न किया गया हो और साथ में उन व्यक्तियों की लिखित में सहमति नहीं लगी हो जिनको प्रविवरण में नामित किया गया है।

कोई प्रविवरण जिस तारीख से एक प्रति रजिस्ट्रार को सुपुर्द की गई थी उस तारीख से 90 दिन के बाद जारी नहीं किया जाएगा।

मानित प्रविवरण : प्रविवरण से संबंधित प्रावधानों की अनदेखी रोकने के लिए धारा 25 के अनुसार सारे दस्तावेज जिन के द्वारा शेयरों या डिबेंचरों का विक्रय करने के लिए प्रस्ताव किया जाए प्रविवरण शब्द की परिभाषा में आते हैं। इसलिए, निर्गमन संस्था के माध्यम से शेयर या डिबेंचरों के क्रय का निमंत्रण करने पर भी प्रविवरण से संबंधित प्रावधानों का पालन करना होगा, यदि इसमें कुछ शर्ते पूरी कर दी गई हों।

इसके अतिरिक्त कोई कंपनी प्रविवरण जारी करने से पहले, जनता को निर्गमन का प्रस्ताव करती है तो वे रेड हेरिंग प्रविवरण जारी कर सकती है। रेड हेरिंग प्रविवरण का वह प्रविवरण होता है जिसमें उसमें सम्मिलित प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत की पूरी विशिष्टियों को सम्मिलित नही किया जाता।

प्रविवरण में मिथ्या कथन : यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रविवरण में सकारात्मक मिथ्या वर्णन या जानबूझ कर विशेष मूल जानकारी को लोप किए जाने के कारण भावी निदेशक छल कपट में न फंस जाएं, पीड़ित पक्ष को, जिसने प्रविवरण में मिथ्या वर्णन या चूक पर विश्वास कर शेयरों का अभिदान दिया है, के लिए कुछ उपचार हैं। यह उपचार है : अनुबंध निरस्त करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और कंपनी व अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजना जो कारागार के रूप में हो सकती है जो छह माह से कम नहीं होगी परंतु दस वर्ष तक हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी हो सकता है जो कपट में शामिल राशि से कम नहीं होगा किंतु वह इस रकम का तीन गुना भी हो सकती है।

कल्पित नाम से शेयरों का आबंटन : धारा 28 के अधीन किसी कल्पित नाम से कंपनी के शेयर क्रय करने का आवेदन नहीं हो सकता। इस धारा में ऐसे कार्य के लिए कम से कम छह मास का कारावास हो सकता है और जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने भी हो सकता है जो कपट में शामिल रकम से कम नहीं होगा, किन्तु वह कपट में शामिल रकम के तीन गुना तक भी हो सकता है।

9.14 शब्दावली

न्यूनतम अभिदान (Minimum Subscription) : यह वह राशि जो प्रविवरण में बताई गई है और SEBI विनिमय 2009 के अनुसार किसी भी दशा में निर्गमन राशि 10% से कम नहीं हो सकती। न्यूनतम अभिदान न जुटाने पर कंपनी को सारी आवेदन राशि लौटानी होगी।

प्रविवरण (Prospectus) : यह कंपनी द्वारा निर्गमित एक प्रलेख है जिसके द्वारा कंपनी की शेयर पूँजी के लिए अभिदान करने के जनता को आमंत्रित किया जाता है।

संक्षिप्त प्रविवरण : इसका अर्थ उस ज्ञापन से है जिसमें मुख्य विशेषताएं है जो एक प्रविवरण में होती है और जो सेबी (SEBI) द्वारा विहित की जाएं।

शेल्फ प्रविवरण : एक ऐसा प्रविवरण जो कंपनी द्वारा एक या अधिक उन प्रतिभूतियों के निर्गमन के लिए जारी किया जाता हैं जो उस प्रविवरण में निर्दिष्ट हों। यह एक वर्ष के लिए होता है। ऐसी कंपनी को हर बार प्रविवरण जारी नहीं करना पड़ता जब तक वह प्रतिभूतियाँ जनता को निर्गमित करती है। ऐसी कंपनी को केवल एक सूचना ज्ञापन फाइल करना होता है जिसमें कंपनी की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन, नया प्रभाव आदि का वर्णन होगा।

रेड हेरिंग प्रविवरण : एक ऐसा प्रविवरण जिसमें प्रतिभूतियों की कीमत व मात्रा के बारे में पूरा विवरण नहीं होता।

निर्गमन संस्था : ऐसी निवेश बैंकिंग फर्म जिसका कार्य शेयरों या डिबेंचरों का अभिगोपन करना है और जनता को प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करना है।

सूचना ज्ञापन : यह शेल्फ प्रविवरण के साथ जारी होता है और इसमें सब मूल तथ्य, जो नए प्रभार, वित्तीय स्थिति में परिवर्तनों जो कई प्रस्तावों के बीच हुए हैं देने होंगे और अन्य परिवर्तन जो विहित किए जाएं।

मानित प्रविवरण : एक ऐसा प्रपत्र जब कंपनी अपने शेयरों के आबंटन का विक्रय प्रस्ताव निगर्मन संस्था द्वारा करती है।

9.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1) (i) घ (ii) ब (iii) क (iv) ड

बोध प्रश्न 2

1) (i) कंपनी रजिस्ट्रार (ii) एक वर्ष (iii) विशेषज्ञ की स्वीकृति कथन (iv) 90 दिन

2) (i) सही (ii) सही (iii) सही (iv) सही (v) गलत (vi) सही (vii) सही (viii) गलत (ix) गलत

9.16 अभ्यास के लिए प्रश्न

1) साधारण शेयरों का निर्गमन करने वाली कंपनी के प्रविवरण का पंजीकरण कराने संबंधी कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए। कौन से दस्तावेज रजिस्ट्रार को इस कार्य के लिए कंपनी को फाइल करने पड़ते हैं?

2) मिथ्या और भ्रामक प्रविवरण के आधार पर कब और कौन शेयर के आबंटन को निरस्त कर सकता है?

3) एक कंपनी के शेयर या डिबेंचर के निर्गमन के लिए प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता कब नहीं होती? कब जनता को शेयर अभिदान करने के आमंत्रण को जनता के लिए नहीं माना जाता?

4) विशेषज्ञत कौन होता है? उसके द्वारा प्रविवरण में प्रकाशित हुई रिपोर्ट में मिथ्या कथन पर उसके दायित्व क्या हैं?

5) प्रविवरण की परिभाषा दीजिए? इस की विषयवस्तु का संक्षिप्त में विवेचन कीजिए।

6) प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिए निदेशकों और कंपनी के दायित्वों को बताएं। कोई निदेशक प्रविवरण में मिथ्या कथन के लिए पीड़ित पक्ष के लिए कब उत्तरदायी नहीं होता?

7) टिप्पणी लिखिएः

   i) शेल्फ प्रविवरण

   ii) रेड हेरिंग प्रविवरण

8) मानित प्रविवरण क्या होता है? मानित प्रविवरण से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

9) निम्नलिखित समस्याओं का कारण सहित उत्तर दीजिए :

   i) 'x' कंपनी लिमिटेड एक रबड़ भू-क्षेत्र क्रय करना चाहती थी। इसके प्रविवरण में एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट के कुछ अंश लिखे थे जिसमें भू-क्षेत्र में पेड़ों की संख्या दी हुई थी। रिपोर्ट गलत थी। क्या किसी शेयरधारी को इस कथन के विश्वास पर कंपनी के शेयर क्रय करने पर कंपनी के विरुद्ध कोई उपचार उपलब्ध हैं? जिन व्यक्तियों ने प्रविवरण जारी करने को अधिकृत किया था क्या अपने दायित्व से बच सकते हैं?

   ii) कंपनी ने एक प्रविवरण जारी किया जिस में कुछ व्यक्तियों द्वारा काफी अधिक धन का अभिदान करने का वचन था ताकि जनता को शेयर खरीदने के लिए उत्प्रेरित किया जा सके। वादी को दस शेयर आबंटित हुए उसने मूल मिथ्या कथन का आरोप लगाया, निर्णय दीजिए।

   iii) 'A' और 'B' से एक कंपनी के प्रविवरण के गलत कथन के आधार पर 1000 शेयर क्रय किए। कंपनी के विरुद्ध 'A' को कौन से उपचार प्राप्त हैं?

   iv) एक कंपनी ने एक प्रविवरण निर्गमित किया जिसमें सब कथन सत्य थे। एक कथन में पिछले कुछ वर्षों में दिए गए लाभांश की दर बताई गई थी परन्तु

लाभांश व्यापारिक लाभों में से नहीं दिए गए थे बल्कि पूँजीगत लाभों में से दिए गए थे। एक शेयरधारी अनुबंध इस बात पर निरस्त करना चाहता है कि प्रविवरण में मूल सूचनाएं मिथ्या थीं। निर्णय दीजिए।

संकेत :

i) शेयरधारक को कंपनी से हर्जाना लेने का अधिकार है। जिन व्यक्तियों ने प्रविवरण जारी करने के लिए प्राधिकृत किया था वे उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि उन्होंने विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर निर्भर किया था। परन्तु विशेषज्ञ के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

ii) शेयर धारक को शेयर वापिस करने और हर्जाना वसूल करने तथा मूल्य वापिस लेने का अधिकार है। कंपनी और वो व्यक्ति जिन्होंने प्रविवरण जारी किया है उनके विरुद्ध आपराधिक दायित्व बनता है।

iii) 'A' को कोई उपचार प्राप्त नहीं है क्योंकि उसने कंपनी से शेयर क्रय नहीं किए।

iv) हाँ, शेयरधारी सफल होगा देखें रेक्स बनाम कैलसेंट वाद।

टिप्पणी : इन प्रश्नों में आपको इस इकाई को और अच्छी तरह से समझने में सहायता मिलेगी। उनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। लेकिन अपने उत्तर विश्वविद्यालय को मत भेजिए। ये सिर्फ आपके अपने अभ्यास के लिए दिए गए हैं।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

कुछ उपयोगी पुस्तकें

कंपनी अधिनियम 2013, अकलंक पब्लिकेशन, अकलंक कुमार जैन

कंपनी अधिनियम 2013 एवं नियम, कमर्शियल लॉ पब्लिकेशन

अवतार सिंह, कंपनी विधि, 2015 संस्करण

डॉ. आर.के.विश्नोई, भारतीय कंपनी अधिनियम, साहित्य भवन, आगरा

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY